खण्ड-146, अंक-3
बुधवार, 24 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(15 दिसम्बर, 1954 ई0)

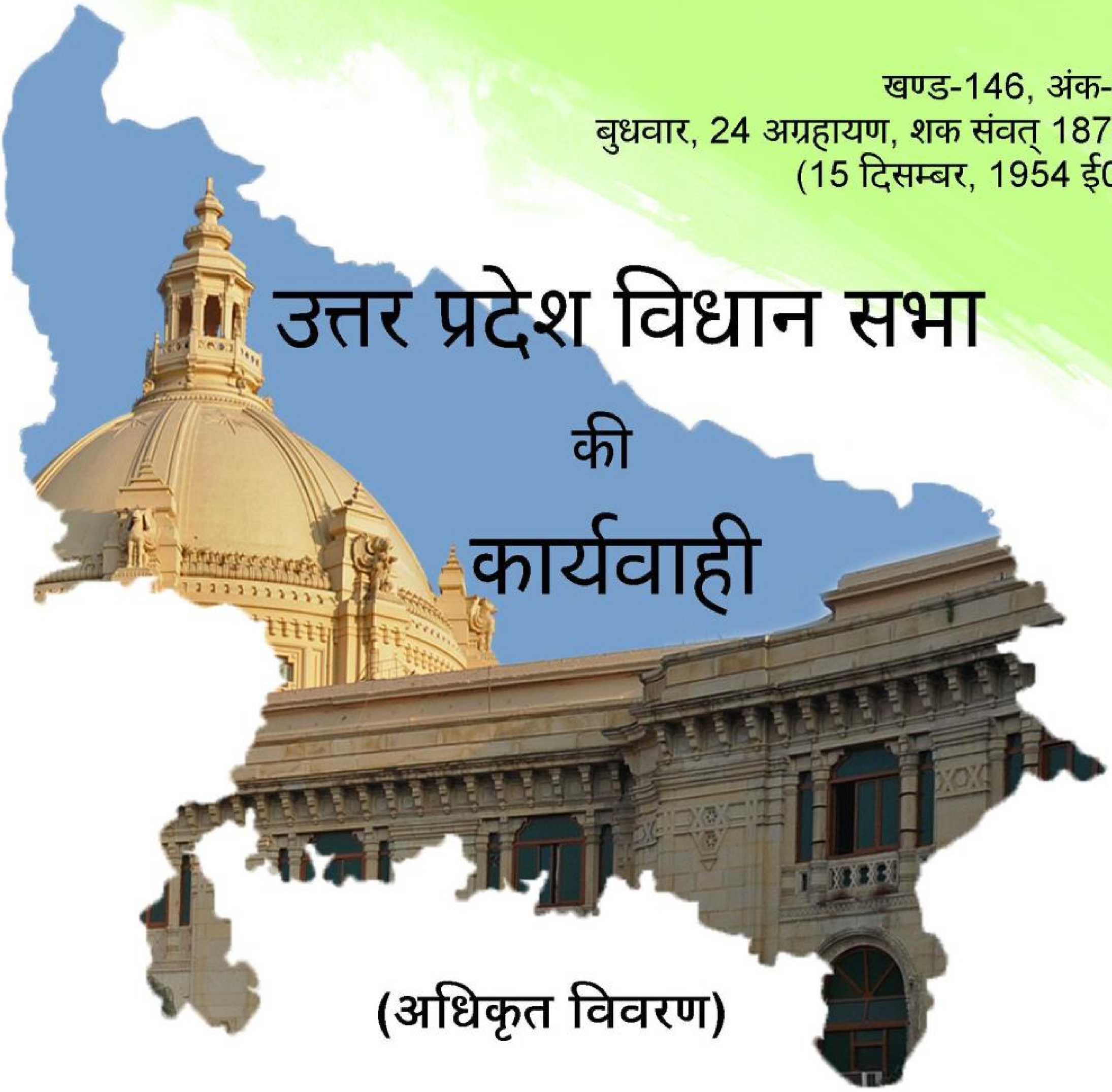

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 146 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

### उपस्थित सदस्यों की सूची (३११)

अजीज इमाम, श्री
अतहरहुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री

चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास , श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयाल शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द, वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्री
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द , डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

—:o:—

# प्रश्नोत्तर

## तारांकित प्रश्न

### कानपुर में बेना झावर रोड और मकरावट गंज के बीच के गन्दे नाले की सुधार योजना

*१—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर शहर में बेना झावर रोड और नवाबगंज रोड तथा मकरावटगंज और ब्रजेन्द्र स्वरूप मार्क के बीच में कोई खुला हुआ गन्दे नाला है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां।

*२—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस गन्दे नाले की लम्बाई चौड़ाई और गहराई कितनी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस नाले की लम्बाई २,८०० फीट, गहराई ६ फीट ६ इंच, ऊपर की चौड़ाई ५६ फीट तथा तली की चौड़ाई ४२ फीट है।

*३—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस गन्दे नाले के सुधार के लिये सरकार के पास कोई योजना है? अगर हां, तो वह क्या है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, गंदे पानी को दूसरे सीवर में डालने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस गंदे पानी को दूसरे सीवर में डालने के लिये उसका अनुमानित व्यय क्या है?

श्री मोहनलाल गौतम—दूसरे सीवर के बनाने में १ लाख का व्यय अनुमानित किया जाता है।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुधार कब तक हो जायगा?

श्री मोहनलाल गौतम—आशा यह है कि यह कार्य अगले वित्तीय वर्ष में हो जायगा।

## गढ़वाल जिले में कांडई पट्टी दशजूला में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार

*४—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या स्वास्थ्य मंत्री को विदित है कि पट्टी बचणस्यू, पट्टी मलानागपुर और पट्टी दशजूला, जिला गढ़वाल में कोई भी औषधालय नहीं है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—जी नहीं, जिला गढ़वाल में पट्टी बंचणस्यू, पट्टी मलानागपुर तथा पट्टी दशजूला में क्रमशः खेरसू, चिंका तथा चोपटा में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं।

*५—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि जिला नियोजन समिति ने कमोल्डी, पट्टी बचणस्यू मंडल, पट्टी मलानागपुर और कांड़ई पट्टी दशजूला में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव किया है? यदि हां, तो ये औषधालय कब तक खुल जायेंगे?

श्री बनारसी दास—कांड़ई पट्टी दशजूला में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव आया है और विचाराधीन है। अन्य प्रस्ताव नहीं आये हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि खिरसू पट्टी बंचणस्यु में नहीं है?

श्री बनारसी दास—इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि उन स्थानों में नहीं है?

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि खिरसू पट्टी बंचणस्यु से १५ मील की दूरी पर है?

श्री बनारसी दास—जी हां, हो सकता है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार वहां नया अस्पताल खोलने का विचार करती है?

श्री बनारसी दास—इस समय जो प्रस्ताव वहां की सलाहकार समिति ने भेजे हैं उन पर नये वर्ष में विचार किया जा रहा है।

## फाटा, जिला गढ़वाल के चिकित्सालय को स्थायी करने का विचार

*६—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि फाटा, जिला गढ़वाल में प्रति-वर्ष केवल ६ महीने के लिये सिविल अस्पताल रखा जाता है ? यदि हां, तो शेष ६ महीने के लिये रुग्ण जनता के उपचार के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, चिकित्सालय के स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार को मालूम है कि ६ महीने वहां डाक्टर नहीं रहता है तो उस समय लोगों के उपचार के लिये क्या व्यवस्था की जाती है ?

श्री बनारसी दास—वहां की जनता की तरफ से तो यह प्रस्ताव आया है । १९४८ से इसको मुस्तकिल करने का विचार था, लेकिन धनाभाव के कारण इसको स्थगित करना पड़ा, लेकिन आगामी वर्ष में ऐसा करने के लिये विचार किया जा रहा है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार जब तक यह अस्पताल स्थायी नहीं किया जाता तब तक ६ महीने के लिये एक कम्पाउन्डर रखने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बनारसी दास—अब तो अगले वर्ष में वहां इसको स्थायी करने का ही विचार चल रहा है ।

*७—९—श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—[१२ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

## इलाहाबाद म्युनिसिपल क्षेत्र को बढ़ाने के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*१०—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार इलाहाबाद म्युनिसिपल क्षेत्र में फाफामऊ गांव तथा नैनी गांव और सुलेमसराय गांव को मिलाने की योजना कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

*११—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[१९ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[५ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३—१५—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[१२ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

## कानपुर के औषधालयों को म्युनिसिपल बोर्ड से सहायता

*१६—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने सन् १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में अपने क्षेत्र में बोर्ड द्वारा संचालित दवाखानों तथा दूसरे दवाखानों को अलग-अलग, कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में निम्नलिखित आर्थिक सहायता बोर्ड द्वारा संचालित दवाखानों तथा दूसरे दवाखानों को दी है :—

| | | रु० |
|---|---|---|
| | १९५२–५३ | |
| (१) | बोर्ड द्वारा संचालित दवाखानों को .. .. | २,५१,५१५ |
| (२) | दूसरे दवाखानों को .. .. | ७६,००० |
| | १९५३–५४ | |
| (१) | बोर्ड द्वारा संचालित दवाखानों को .. .. | २,३६,२५० |
| (२) | दूसरे दवाखानों को .. .. .. | २०,०६१ रु० ५ आना |

*१७—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड अपने एरिया में सन् १९५४–५५ में बोर्ड द्वारा संचालित दवाखानों तथा दूसरे दवाखानों को अलग-अलग, कितनी-कितनी आर्थिक सहायता देने का निश्चय कर चुका है और उस निश्चय के अनुसार सितम्बर, १९५४ के अन्त तक अलग–अलग–कितनी कितनी आर्थिक सहायता दे चुका है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने १९५४–५५ में निम्नलिखित आर्थिक सहायता बोर्ड द्वारा संचालित दवाखानों तथा दूसरे दवाखानों को देने का निश्चय किया है :—

| | | रु० |
|---|---|---|
| (१) | बोर्ड द्वारा संचालित दवाखानों को .. .. | ३,००,००० |
| (२) | दूसरे दवाखानों को .. .. .. | ५०,००० |

तथा सितम्बर, १९५४ के अन्त तक बोर्ड द्वारा संचालित दवाखानों को १,२७,२६५ रु० ६ आना और दूसरे दवाखानों को १२,४३१ रु० १४ आना दिया जा चुका है।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३–५४ का खर्चा सन् १९५२–५३ से कम क्यों है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी जिम्मेदारी वहां के बोर्ड और इन्तजाम करने वालों पर है। सरकार इसके लिये ज्यादा नहीं जानती है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या यह सच है कि वहां के दवाखानों में दवाइयों का उचित प्रबन्ध नहीं है, इसलिये खर्च कम है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा मैंने निवेदन किया, ये सारी चीजें लोकल बोर्ड्स के प्रबन्ध में हैं। उसमें सरकार को दखल देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है।

*१८—श्री नारायण दत्त तिवारी—[ १९ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*१९–२१—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[१२ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२—श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—[१९ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

## इलाहाबाद में गंगा जी में गन्दा पानी गिरने से रोकने के लिए आयोजन

*२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि इलाहाबाद में गंगा जी में गंदा पानी गिराया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस गन्दे पानी को रोकने का कोई आयोजन कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, कुछ गंदा पानी गंगा जी नदी में इस समय गिरता है। इस समय इलाहाबाद के नालों के जल की निकासी संबंधी कुछ योजनाओं पर जो कार्य हो रहा है उससे आशा है, इस दिशा में सुधार हो सकेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इस समय निकासी संबंधी योजना बनी है, उसके अनुसार गन्दा पानी किस स्थान पर गिरेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—प्रयत्न यह किया जायगा कि वह गंगाजी में न पड़ कर खेतों में जाय ताकि वह खाद का काम दे सके।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस निकासी संबंधी योजना में कितना रुपया खर्च किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह इलाहाबाद की ड्रेनेज स्कीम बहुत लम्बी है। इस पार्टिकुलर काम के लिये कितना है और बाकी ड्रेनेज के लिये कितना हो सकता है यह कहना मेरे लिये कठिन है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब तक कार्यरूप में परिणत हो जायगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रयत्न किया जा रहा है कि वह योजना मार्च सन् ५६ तक समाप्त हो जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि आगामी कुछ वर्षों में गंगा में पड़ने वाला समस्त पानी गंगा में न पड़ कर अन्यत्र पड़ेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रश्न इतना लम्बा है कि जहां से गंगा जी निकलती हैं और जहां तक यू० पी० में बहती हैं वहां तक के लिये कोई योजना नहीं है। खास शहरों को लेकर योजनायें बनती हैं और उस पर कार्य हो रहा है। इसलिये उसके लिये आश्वासन देना बहुत कठिन मालूम होता है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब बनी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—ये योजनायें बनती ही रहती हैं। जैसे-जैसे रुपया दिखलाई देता है योजनायें निकलती जाती हैं।

*२४-२५—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[१९ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

## जौनपुर जिले में टाउन और नोटीफाइड एरियाओं को सहायता

*२६—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जौनपुर जिले में किन-किन टाउन एरिया और नोटीफाइड एरियाओं को सन् १९५० लगायत सन् १९५४ जुलाई तक कितना रुपया ग्रान्ट के रूप में दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् १९५१ में केवल टाउन एरिया केराकत को १,५०० रुपया अनुदान स्वरूप सरकार से प्राप्त हुआ था।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो १,५०० रुपया केराकत टाउन एरिया को दिया गया है वह किस आधार पर दिया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—टाउन एरियाओं को अनुदान की बहुत थोड़ी सी रकम रहती है बजट में। २६५ टाउन एरिया हैं और किया यह जाता है कि एक जिले में १ टाउन

एरिया को मिल जाय। इस प्रकार से पिछली दफा १३ को मिला जो २६५ का २१ वां हिस्सा है। बजट में थोड़ा प्राविजन होने से सब टाउन एरियाओं की दिक्कतें दूर करना मुश्किल नजर आता है।

## झांसी जिले में ग्राम सगोली बिलाटी के तालाब की मरम्मत की आवश्यकता

*२७—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सगोली बिलाटी (झांसी) के तालाब की कब से मरम्मत नहीं हुयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—लगभग २१ वर्ष से इस तालाब की मरम्मत नहीं हुयी है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पिछली बारिश में तालाब के कई जगह टूट जाने से आस-पास के गांवों को बहुत ज्यादा हानि पहुंची थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—तालाब ठीक रखना किसकी जिम्मेदारी है यह मैं अभी निश्चय नहीं कर पाया हूं। मुझे यह सूचना मिली है कि यह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में है इसलिये मेरे लिये इस सवाल का उत्तर देना मुश्किल होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इर्रीगेशन में जाना चाहिये था इस सवाल को।

## बस्ती जिले में टाउन एरिया मेंहदावल को सहायता देने का विचार

*२८—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया मेंहदावल (बस्ती) ने सड़कों की मरम्मत के लिये कुछ कर्ज या सहायता मांगी है ? यदि मांगी है तो कितनी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, ५,००० रुपये के अनुदान की मांग की है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह टाउन एरिया बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में होने के कारण इसकी हालत खराब है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सब टाउन एरियाज की ठीक-ठीक हालत का तो पता नहीं है, लेकिन जितनी अच्छी हालत माननीय सदस्य चाहते हैं उतनी अच्छी हालत नहीं है इतना मैं कह सकता हूं।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार से जो अनुदान मांगा गया है उसको अगले साल सरकार देने पर विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, विचाराधीन है।

## गोंडा जिले की बलरामपूर तहसील में रोगों की अधिकता

*२९—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि गोंडा जिला की बलरामपुर तहसील में मलेरिया के भीषण प्रकोप के अतिरिक्त फील पाव, घेंघा और कोढ़ की भी बीमारी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है ?

श्री बनारसी दास—चारों रोग इस क्षेत्र में अवश्य हैं, परन्तु उनकी रोकथाम सफलता-पूर्वक हो रही है।

*३०—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह पता है कि केवल एक औरहवा ग्राम, थाना पचपेड़वा में लगभग २०० से अधिक व्यक्ति कोढ़ से पीड़ित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उन पीड़ितों को सहायतार्थ उसने अब तक क्या किया है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, निकटवर्ती पचपेड़वा डिस्पेंसरी में कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा का प्रबन्ध है ।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन रोगों की स्थिति इस क्षेत्र में क्या है ?

श्री बनारसी दास—मलेरिया रोग के आंकड़े तो इस समय मेरे पास नहीं हैं । हां, जहां तक फील पांव, घेंघा और कोढ़ का सम्बन्ध है उनके आंकड़े उपलब्ध हैं और उनसे ज्ञात होता है कि फील पांव को छोड़कर और रोगों में कमी हुयी है । सन् ४७ में घेंघा की तादाद ९४३ थी, जबकि ५३ में ४२७ रह गयी और कोढ़ की तादाद ४४३ थी जो ५३ में केवल ४२८ रह गयी ।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन रोगों के निवारणार्थ कोई विशेष सुविधा देने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास—जी हां, वहां पर जो अस्पताल है उसमें घेंघा वगैरा के लिये विशेष रूप से औषधियां हैं ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इस जिले में फील पांव, कोढ़ और घेंघा आदि जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनको देखते हुये क्या सरकार कोई निश्चित योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि इसकी रोकथाम सफलतापूर्वक की जा रही है ।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि पचपेड़वा अस्पताल का कोई वार्ड उन रोगों के लिये सुरक्षित कर दिया गया है ?

श्री बनारसी दास—उन रोगों की जो विशेष दवाइयां होती हैं इंजेक्शन आदि उनकी व्यवस्था का इस डिस्पेंसरी के अन्दर प्रबंध है ।

## गोंडा जिले के चौधरी डीह में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की आवश्यकता

*३१—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि गोंडा जिला अस्पताल सलाहकार समिति ने राप्ती पार स्थान "चौधरी डीह" में एक एलोपैथिक अस्पताल खुलवाने की मांग की है जहां पर कि राज्य बलरामपुर द्वारा निर्मित अस्पताल की इमारत मौजूद है ?

श्री बनारसी दास—जी हां ।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चौधरीडीह में अस्पताल अब तक क्यों नहीं खोला गया ?

श्री बनारसी दास—इसमें कठिनाई यह है कि जो इमारत अस्पताल के लिए थी वह बलरामपुर राज्य की थी । वह इमारत नहीं मिल पायी किराये पर मिली है । डाइरेक्टर साहब से पूछा गया है कि बलरामपुर वाले जो किराया उसका मांगते हैं वह उचित है या नहीं है । इमारत की मरम्मत भी कराना है । अब देखना यह है कि मरम्मत का रुपया गवर्नमेंट को देना होगा या वे किराये में काटने को तैयार हैं ।

## गोंडा जिले में सीखमपुर-ललिया सड़क पर पानी भर जाने से कठिनाई

*३२—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या स्वशासन मंत्री को पता है कि जिला गोंडा में राप्ती पार थाना "ललिया" है जहां से सीखमपुर-ललिया सड़क पर पानी भर जाने के कारण पुलिस दल का जिले के हेड क्वार्टर तक आना जाना महीनों कठिन हो जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, यह सत्य है कि सीखमपुर-ललिया सड़क का स्तर कहीं-कहीं नीचा है और ऐसे स्थानों पर वर्षा ऋतु में जब कि नदी में बाढ़ होती है पानी भर जाता है, जिसके कारण थाना ललिया के पुलिस कर्मचारियों का थाने से जिला हेडक्वार्टर के आवागमन में कठिनाई होती है ।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पोस्ट मार्टम के लिये लाशों को जिले के हेड क्वार्टर पर भेजने के लिये ७–७, ८–८ दिन लग जाते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—हो सकता है ठीक हो मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां जहां इस प्रकार की कठिनाई है वहां पुल बनवाने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री मोहन लाल गौतम—ये सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास हैं और चूंकि उनके पास धन की कमी है इसलिये यह नहीं हो पा रहा है ।

## अतारांकित प्रश्न

### ईंटों पर नियंत्रण बनाये रखने की आवश्यकता

१—श्री बलदेव सिंह (जिला बनारस)—क्या सरकार ईंटों पर से नियंत्रण हटाने का विचार कर रहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अन्नमंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी नहीं । अभी ऐसा विचार नहीं है । ईंट का नियंत्रण या विनियंत्रण कोयले की पूर्ति पर निर्भर है । इस समय कोयला की पूर्ति की स्थिति कुछ अच्छी अवश्य है, किन्तु यह स्थिति अस्थायी है । जब तक नियमित रूप से कोयले की पर्याप्त पूर्ति निश्चित नहीं हो जाती तब तक ईंट के विनियंत्रण का विचार नहीं है ।

२—श्री बलदेव सिंह—क्या यह सत्य है कि सहकारी भट्ठों के ईंटों की दर निजी भट्ठों की ईंटों की दर से अधिक निर्धारित की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

### आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के उत्तरी क्षेत्र में जच्चा-बच्चा अस्पताल की आवश्यकता

३—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में फूलपुर तहसील के उत्तरी क्षेत्र में कहां-कहां जच्चा-बच्चा अस्पताल है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के उत्तरी भाग में कोई जच्चा-बच्चा केन्द्र नहीं है । भविष्य में सरकार उस क्षेत्र में केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

### गोंडा जिले में मलेरिया निरोध में लगे कर्मचारी

४—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिला में इस समय मलेरिया निरोध में लगे हुये कितने कर्मचारी स्थायी या अस्थायी पदों पर कितने समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गोंडा जिले में सितम्बर, १९५२ ई० में मलेरिया निरोध योजना लागू की गयी थी, सारे कर्मचारी जो इस योजना में कार्य कर रहे हैं अस्थायी हैं, क्योंकि मलेरिया योजना ही अभी अस्थायी है ।

इस समय निम्नलिखित कर्मचारी गोंडा तथा बस्ती (दोनों जिलों की) सर्वे यूनिट में काम कर रहे हैं :

| | |
|---|---|
| १.—मलेरिया सर्वे आफिसर | १ |
| २—मलेरिया इन्सपेक्टर कम लेबरेटरी असिस्टेंट | २ |
| ३—करणिक | १ |
| ४—मोटर ड्राइवर | १ |
| ५—इन्सेक्ट कलेक्टर | २ |
| ६—अर्दली | १ |
| ७—चपरासी | १ |
| ८—चौकीदार | १ |
| ९—मेहतर | १ |

और निम्नलिखित कर्मचारी सिर्फ गोंडा जिला में (Control Operation) में काम कर रहे हैं ।

१—२ मलेरिया इन्सपेक्टर,

२—२ ट्रेनिंग गैंग,

(हर एक गैंग में एक जमादार और तीन मजदूर हैं )

३—एक मैकेनिक ।

उपर्युक्त समस्त कर्मचारी मलेरिया निरोध योजना के कार्यान्वित होने की तिथि से काम कर रहे हैं ।

## कुष्ठ रोगाश्रमों की आवश्यकता

५—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बढ़ते हुये कुष्ठ रोग की रोक-थाम के लिये प्रत्येक जिले में कुष्ठ रोगाश्रम तथा चिकित्सालय खोलने पर वह विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यद्यपि ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, परन्तु सरकार पूर्णरूप से कुष्ठ रोग की रोक-थाम पर जागरुक तथा प्रयत्नशील है ।

---

## दर्शक दीर्घा प्रदर्शन जांच समिति के कार्यकाल में वृद्धि

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि दर्शक दीर्घा संबंधी जांच समिति का कार्यकाल १५ दिसम्बर, सन् १९५४ को समाप्त होता है, किन्तु यह समिति अभी तक अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पायी है । अतः मैंने इसका समय ३१ दिसम्बर, १९५४ तक बढ़ा दिया है ।

---

## लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ विषयक याचिका

श्री अध्यक्ष—एक सूचना और है कि श्री विजय कुमार जी ने सदन की सेवा में एक याचिका उपस्थित की है और सचिव विधान मंडल के पास नियम के अनुसार भेजी है । उसकी सूचना सचिव विधान मंडल सदन को देंगे ।

सचिव विधान मंडल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आदरणीय सदन को सूचना देनी है कि आज लगभग १० बजकर ३५ मिनट पर श्री विजयकुमार जी ने एक याचिका, जिसपर अन्य ५० आदमियों के हस्ताक्षर थे, नियम २०८ के अनुसार लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक से संबंधित दी है ।

श्री अध्यक्ष—तो इस याचिका को मैं समिति को निर्देश करता हूं कि वह उसके ऊपर नियमानुसार विचार करके अपना जो निर्णय हो उसकी सूचना दे और उसके बाद में नियमानुसार सदन को सूचना दूंगा कि क्या किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, याचिका समिति की सभा अगर आज ही सायंकाल हो सके तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—हां, यह सुझाव ठीक है। मैं यह प्रयत्न करूंगा लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि समिति के सदस्य यहां मौजूद हैं या नहीं। अगर आज नहीं हैं तो कल हो जायगी।

## श्री ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव के निधन पर शोकप्रकटन

*गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय! ऐसी सूचना मिली है कि आज सबेरे साढ़े चार बजे श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का देहान्त हो गया। वे काफी समय से बीमार थे और यहां इलाज के लिये आये थे। लेकिन दुर्भाग्य से इलाज सफल न हो सका। वे इस प्रदेश के बहुत ख्यातनामा उद्योगपति रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस सदन के सदस्य भी थे और कुछ दिनों तक यहां उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं। वे गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक्जीक्यूटिव कौंसिल में भी रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके देहान्त से कई क्षेत्रों में इस प्रदेश की क्षति हुई है जिसका हम सब लोगों को शोक है और मेरा निवेदन है कि आप हमारी इस भावना को उनके दुखी परिवार तक कृपया पहुंचा दें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विचार माननीय गृह मंत्री जी ने श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव के संबंध में प्रकट किये हैं उनसे मैं सहमत हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के कुछ सफल उद्योगपतियों में से थे। जो लोग उद्योग को तरक्की देने के मामले में अगुआ रहे हैं, उनमें से वे एक रहे हैं। यह स्पष्ट है कि वह जिस प्रथा की उपासना करते थे उसके पक्ष में नहीं थे और न हैं। परन्तु यह भी है कि जिस देश में उद्योग की तरक्की नहीं होगी वहां फिर समाजवाद की तरक्की होने में भी रुकावट पड़ती है। तो ऐसे लोग जो देश के उद्योग को तरक्की दे सकें और उससे प्रगति का पथ प्रशस्त हो सके देश के लिये बड़े आवश्यक होते हैं और उस आवश्यकता को श्री ज्वाला प्रसाद जी पूरा करते थे। आज भी देश में ऐसे उद्योग-पतियों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की और इस कमी की पूर्ति श्री ज्वाला प्रसाद जी श्रीवास्तव करते थे। उनके इस अचानक निधन से हम सभी को दुख है और मैं प्रार्थना करूंगा अध्यक्ष महोदय कि आप उनके दुखी परिवार को हम सभी लोगों की तरफ से, माननीय सदन की तरफ से समवेदना सूचित कर दें।

*श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—श्रीमन्, सर ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव के निधन से मुझे महान दुख हुआ है और उनके व्यक्तित्व के बारे में प्रत्येक व्यक्ति इस प्रदेश का और देश का पूरी तौर पर जानता है। उनके इस निधन से बहुत दुख हुआ है मैं भी अपने दल के नेता की अनुपस्थिति में चाहता हूं कि हमारी ओर से भी उनके परिवार को समवेदना भेजने की कृपा करें और जो भाव माननीय श्री गेंदा सिंह जी व गृह मंत्री जी ने प्रकट किये हैं उनसे भी मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव जी के आकस्मिक निधन पर, जिसकी खबर मुझे अभी-अभी सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने दी यकायक मेरे हृदय पर बड़ा जबरदस्त आघात हुआ मुझे कल्पना भी नहीं थी शायद मैं अखबार पढ़ने में चूक गया हूं (आवाजें—खबर अखबार में अभी नहीं आई।) अखबार में अगर अभी नहीं आई तो इससे मालूम होता है कि अभी-अभी खबर आई है। इससे जो धक्का सब के हृदयों पर पड़ा होगा और जो भावनायें उठती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

हैं उनके साथ में अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। श्री श्रीवास्तव एक अनोखे व्यापार में सफल व्यापारी थे। साधारण स्थिति से वह हमारे देश के एक ऊंचे व्यापारी हो गये थे, वैसे तो बहुत से हमारे व्यापारी और पैसे वाले कुटुम्ब अपने देश में और अपने प्रदेश में मौजूद हैं जो कि अपने घर के व्यवसाय को बढाते हैं लेकिन वह एक ऐसे कुटुम्ब से आये हुये थे जो कि केवल अपनी बुद्धि के ऊपर ही कार्य करने में कुशल रहा हो वह ऐसे समाज से आये थे जिस का व्यापार से कोई संबंध नहीं था और उन्होंने इतने बड़े-बड़े काम करके दिखलाये और व्यापार के क्षेत्र में बड़े-बड़े सुधार उन्होंने किये और उन्होंने व्यवसायियों का सहयोग किया और उसके बाद वह स्वयं एक बड़े मिलओनर और व्यापारी बन गये, यह उनके जीवन में एक आश्चर्य की बात थी और दूसरा आश्चर्य यह था कि अधिकतर व्यापारी लोग पीछे रह कर राजनैतिक सूत्रों को चलाया करते हैं लेकिन उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष आकर और स्वयं अग्रणी होकर बहुत बड़े काम देश के लिये किये और अपनी बुद्धि और विचारधारा के अनुसार चाहे कोई उन विचारों से सहमत न हो जो बात भिन्न है, जो उनके कार्य हुये उनसे उन की बुद्धिमत्ता स्पष्ट प्रकट होती है और सच्चा देशप्रेम भी प्रकट होता है। उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में भी इस प्रकार अपना नाम ऊंचा किया। इस सदन के भी वह सदस्य रहे और उस के बाद वह यहां इस प्रदेश के मंत्री भी रहे और उसके बाद उनको केंद्र के मंत्री रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ थी। ऐसे व्यक्ति को अनेक कामों में व्यस्त रहने पर भी जब भी मैंने उनको देखा सदैव प्रसन्नचित्त पाया, जहां भी वह जाते थे वहां किसी के ऊपर दुख का चिन्ह नहीं दिखाई देता था और हर जगह प्रसन्नता छाई रहती थी। इसी प्रकार से वह सामाजिक क्षेत्र में भी बड़े लोकप्रिय सज्जनों में से थे। अभी थोड़े दिन हुये वह बीमारी की दशा में यहां आये थे। चेहरे से उनके दिखाई देता था कि वह बहुत बीमार हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे हैं लेकिन उन्होंने उस दशा में भी हंसते हुये जवाब दिया कि मेरी हेल्थ ठीक है, कुछ जरा सी तकलीफ है, अभी अच्छा हो जाऊंगा। इस तरह से वह सदा ही प्रसन्नचित्त रहते थे। यदि ऐसे व्यक्ति के लिये हमें आज दुख होता है तो यह एक नैसर्गिक बात है। सदन ने जो भावनायें प्रकट की हैं, मैं उन से सहमत हूं और जो सम्वेदना यहां प्रकट की गई है उसको उनके कुटुम्ब के प्रति भेजने की व्यवस्था मैं कर दूंगा।

आप अब कृपा करके एक मिनट के लिये खड़े हो कर उनकी आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सब सदस्य एक मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

## *उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४

† खंड ७

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ८

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३८ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा ३८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"38. The term of office of a member elected or nominated to fill a casual vacancy or a vacancy remaining unfilled

*उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक २, दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†१४ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

at the general election shall begin upon the declaration of his election under the Act and shall be the remainder of the term of the board."

**श्री विष्णुदयाल वर्मा** (जिला मैनपुरी)—मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

खंड ८ में प्रस्तावित धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"38. The term of office of a member elected or nominated to fill a casual vacancy or a vacancy remaining unfilled at the general election shall be the remainder of the term of the board, commencing from the declaration of his election under the Act."

श्रीमन्, यह कोई सिद्धांत का अमेंडमेंट नहीं है सिर्फ भाषा संबंधी है। यह मैंने इसलिये रखा है कि यह अधिक कंसलिडेटेड और संक्षिप्त है और जो दिया हुआ है वह अधिक लम्बा है। इसलिये अगर मंत्री जी यह समझते हों कि यह अधिक अच्छा है तो इसे स्वीकार करने की कृपा करें। और इसके लिये अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

**स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो इसमें विचार है यह बिलकुल ठीक है लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बोर्ड का टर्म ४ साल का है और जो कैजुअल वैकेंसी होगी वह उसी टर्म के अन्दर की होगी। धारा ३८ में है:

"38. The term of office of a member elected or nominated to fill a casual vancacy or a vacancy remaining unfilled at the general election shall begin upon the declaration of his election under the Act and shall be the remainder of the term of the Board."

इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

**श्री विष्णुदयाल वर्मा**—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

**श्री मोहनलाल गौतम**—श्री वीरेंद्रपति यादव के नाम में जो संशोधन छपा है वह शाब्दिक है और मैं चाहता हूं कि यह आ जाय। वे इस समय नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष**—इसे कोई भी पेश कर सकता है।

**श्री मोहनलाल गौतम**—तो मैं पेश करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा 38 की पंक्ति ४ में शब्द "election" के बाद शब्द "or nomination" बढ़ा दिये जायं।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ३८ की पंक्ति ४ में शब्द "election" के बाद शब्द "or nomination" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया ग[illegible] स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

यू०पी० ऐक्ट, २, १९१६ की धारा ४३ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ४३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"43. (1) As soon as may be, after the election of members of a board is completed at a general election, the members shall elect a President of the Board in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

(2) For the purposes of the election of President, the election of the members of the board shall, notwithstanding any seat remaining unfilled, be deemed to be completed if at least four-fifths of the total number of members fixed under section 9 have been elected."

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि मैं अपना प्रस्ताव पेश करूं मैं चाहता हूं कि अपने प्रस्ताव का कुछ अंश निकाल दूं। खंड ४३ का क्लाज (a) देखा जाय तो उसकी आखिरी लाइन में शब्द obtaining the highest number of votes यह निकाल दिये जायं और "candidates" के बाद फुलस्टाप रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—बाकी आप पेश कर रहे हैं।

श्री इस्तफा हुसैन—जी हां।

श्री अध्यक्ष—आप पेश कर सकते हैं।

श्री इस्तफा हुसैन—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"43. (*a*) As soon as may be after a Board is completed at a general election the members shall elect a President of the Board by a simple majority vote in case there are only two candidates and in case of more than two candidates by the system of eliminating the candidate or candidates obtaining lesser votes than the two candidates obtaining the greatest number of votes at the first round of voting and again putting to the vote the names of the remaining two candidates.

(*b*) Every member desiring to vote shall raise his hand when names of candidates are put to the vote.

*Explanation*—For the purposes of election of President a Board shall, notwithstanding any seat ramaining unfilled, be deemed to be complete if atleast four-fifths of the total number of members fixed under section 9 have been elected."

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव है वह विधेयक के खंड ९ में प्रस्तावित धारा में जैसा दिया हुआ है उससे तीन बातों में मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो प्रेसीडेंट का चुनाव है वह सिम्पिल मैजोरिटी वोट से होगा। जो विधेयक है उसमें यह दिया हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन से और सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के जरिये चुनाव होगा। मेरा प्रस्ताव उससे मुख्तलिफ है। दूसरी बात जो फर्क की है वह यह है कि सीक्रेट वोटिंग होगी। मेरा प्रस्ताव इसके खिलाफ है कि सीक्रेट वोटिंग नहीं होगी बल्कि जो मेम्बरान वोट में मौजूद होंगे और प्रेसीडेंट का चुनाव करेंगे वह अपना हाथ उठा करके वोट देंगे। तीसरी बात जो विधेयक

के प्रस्ताव से मुख्तलिफ है वह यह कि मेम्बरान का इलेक्शन मुकम्मिल हो जाने के बाद नहीं बल्कि बोर्ड जो है उसमें अगर चार बटे पांच मेम्बरान की तादाद हो, तो वह बोर्ड कम्प्लीट समझा जायगा ।

अध्यक्ष महोदय, जो दो दिन से बहस इस सदन में हो रही थी उसमें माननीय सदस्यों ने यह बताया कि चेयरमैन का चुनाव खुले हुये तरीके से होना चाहिये और माननीय सदस्यों ने यह भी बताया कि जैसे बोर्ड के अन्दर किसी दल की मैजारिटी हो उसको अख्तियार अपना चेयरमैन बनाने का पूरी तौर पर होना चाहिये और यह कि जो वोट दिया जाय वह पोशीदा तौर पर नहीं होना चाहिये । मैंने उन्हीं बातों को, जो हमारे माननीय सदस्यों ने अपने खयालात के जरिये से पेश कीं, अपने संशोधन में इनकार्पोरेट कर दिया है । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मंजूर करेंगे ।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट और प्रौसेस आफ एलीमिनेशन का ताल्लुक है उसके संबंध में मैं कल भी निवेदन कर चुका और फिर इतना सिर्फ दोहराना चाहता हूं कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट ज्यादा साइंटिफिक ढंग है एलीमिनेशन का । ऐलीमिनेशन को इस्तफा साहब चाहते ही हैं कि अगर दो से ज्यादा उम्मीदवार हों तब जिनको कम वोट मिले उनको हटाकर जिनको ज्यादा वोट मिले हों उन पर वोट ले लीजिये अगर पहले ऐबसोल्यूट मेजारिटी किसी को न मिली हो । तो यह उसूल दोनों में है । यह हो सकता है कि अगर कुछ मेम्बर वोट न दें तो उसमें जो डिक्लेयर हो उसको ऐबसोल्यूट मैजारिटी न मिले । लेकिन अगर सब वोट करें तो अन्त में जब दो ही रह जायेंगे तो किसी न किसी की एबसोल्यूट मैजारिटी रह ही जायगी । तो इतना तो कामन है । लेकिन वह प्रोसेस कैसा हो, एलिमिनेशन कैसे हो, इसमें मतभेद है । इसलिये सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से कोई घबड़ाने की बात नहीं है । लेकिन एक बात और है कि हो सकता है कि ५ उम्मीदवार हों और उनमें से जिसका नम्बर फर्स्ट प्रेफरेंस वाले से तीसरा हो, वह चुना जाय और पहले के जो फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकेंड प्रेफरेंस वाले हों, वह न चुने जायं । जो इस्तफा साहब का तरीका है उसमें यह जरूरी है कि जिनको फर्स्ट और सेकेंड प्रेफरेंस है वही चुने जायेंगे । सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट में हो सकता है कि तीसरे को ज्यादा वोट मिल जायं और वह डिक्लेयर हो जाय । तो यह तो हिसाब की बात है । एलिमिनेशन का सिद्धांत सब मानते हैं और कोशिश सबकी यह है, इस सदन की, माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो प्रेसीडेंट चुना जाय वह ऐबसोल्यूट मैजारिटी प्राप्त कर सके । कम से कम स्ट्रेट फाइट में उसको सबसे ज्यादा वोट मिले ।

दूसरे आपने ओपेन वोटिंग के बारे में कहा । इसके फायदे और नुकसान के बारे में तो इस हाउस में दो रायें हैं । उन्होंने ओपेन वोटिंग की तारीफ की । बहुत से सीक्रेट बैलेट की भी तारीफ कर सकते हैं । इसलिये एक आगे अमेंडमेंट है "५ ख" श्री रामनरेश शुक्ल का जिसमें यह लफ्ज सब हटाकर (इन दी मैनर प्रेस्क्राइब्ड) रख दिया गया है और यह हाउस के सामने प्रश्न है, तो चूंकि जैसा खयाल है कि उसको मंजूर कर लिया जाय तो फिर यह सब कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस वक्त इसको वह प्रेस न करें ।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि अपने दोस्त माननीय इस्तफा हुसेन साहब के इस संशोधन का मैं विरोध करना चाहता हूं । किसी मौके पर माननीय स्वशासन मंत्री का भी इस संशोधन में विरोध करने का इरादा मैं रखता हूं लेकिन इस वक्त ऐसा सोचता हूं कि माननीय इस्तफा हुसेन साहब का जो उन्होंने संशोधन नामंजूर किया है, वह अच्छा ही किया है । लेकिन एक खतरा भी उन्होंने बताया और वह खतरा कुछ रामनरेश जी के संशोधन को लेकर के पैदा होता है । हम लोग इसमें कोई शक नहीं, चाहते तो यह हैं कि जो तरीका पिछले जमाने में बहुत सोच समझ कर के रखा गया था आम चुनाव का अध्यक्षों के लिये वही रहे । लेकिन हम नहीं जानते हैं कि उसके भाग्य का क्या फैसला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

होने वाला है। जैसा स्वशासन मंत्री जी का रुख है, उससे तो ऐसा लगता है कि शायद कोई बहुत ज्यादा इस विधेयक में परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। तो यदि वही नकशा रहता है तो वैसी हालत में जो चुनाव का तरीका माननीय इस्तफा हुसैन साहब बदलना चाहते हैं, वह नहीं बदला जाना चाहिये और वही रहना चाहिये। जहां तक खुले वोट का तरीका है वह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मालूम होता है। खुले वोट से इसमें कोई शक नहीं कि लोग अपने साहस का परिचय देते हैं। लेकिन साहस का परिचय देने में बड़ी गलती भी हो जाती है और बेकार की दुश्मनी बढ़ती है। सच्चे माने में जो लोग झगड़ा मोल लेना पसन्द नहीं करते पब्लिक लाइफ में, वह या तो मैदान छोड़कर चले जाते हैं, वोट ही देने नहीं आते हैं या वोट देने आते हैं तो कभी कभी वह गलत वोट भी कर देते हैं। तो इसलिये अगर वह छिपे हुये वोट का तरीका अगर रहे तो ज्यादा लोग गैर हाजिर नहीं होंगे और जिस दिन चेयरमैन का चुनाव होगा उस दिन हाजिर रहेंगे और हाजिर हो कर अपने वोट का इजहार चुपके से कर सकते हैं। चुपके से वोट का तरीका हम समझते हैं कि वह न सिर्फ चेयरमैन के चुनाव के लिये बल्कि और लोगों के चुनावों में भी ज्यादा मुनासिब है, जिसमें अपने खयाल का इजहार आदमी बहुत ही आजादी के साथ कर सकता है।

मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। स्वशासन मंत्री जी ने इंकार कर दिया है, लेकिन एक ही बात की दरख्वास्त मैं उन से करूंगा कि जिस खतरे से उन्होंने आगाह किया है उसको वह भी खतरा समझें। रामनरेश जी के बारे में क्या बतलाऊं, वह खतरे ही पैदा किया करते हैं। वह हाउस में नहीं हैं, हम उनसे कहते कि आप ऐसा खतरा मत पैदा कीजिये। इसलिये इसको ऐसे ही चलने दीजिये। संभव है रामनरेश जी भी राजी हो जायं। यदि मंत्री जी पहले ही से संकेत नहीं करते तो वह राजी हो जाते, लेकिन इस संकेत के बाद वह शायद न मानें। तो मैं स्वशासन मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह उस तजवीज को भी न मानें।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न गम्भीर अवश्य है और मुझे दुख है कि मैं माननीय गेंदा सिंह जी की राय से सहमत नहीं हूं और मैं, जो माननीय इस्तफा हुसैन ने संशोधन उपस्थित किया है उसका समर्थन करता हूं। परन्तु इस प्रश्न को एक तरह से माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ही हल कर दिया जब उन्होंने कह दिया कि ५(ख) पर जो रामनरेश जी का संशोधन आया है उसको संभवतः वह स्वीकार करने जा रहे हैं। परन्तु इस पर भी मैं माननीय मंत्री महोदय की सेवा में यह कह देना उचित समझता हूं कि यह संशोधन जसा कि रखा गया ह यह ज्यादा अच्छा है। एक बात माननीय गेंदा सिंह जी ने भी कह दी है कि इस प्रकार से वोट देने में साहस की आवश्यकता पड़ती है और जब इस तरह के प्रश्न उपस्थित होते हैं तो लोग खुले तौर से वोट देने में डर जाते हैं और गलत वोट दे देते हैं, तो मैं समझता हूं कि जबकि जनतांत्रिक प्रणाली हमारे प्रदेश में, मुल्क में अभी शैशव की अवस्था में है फिर तो ऐसी दशा में हमें जरूरत इस बात की है कि हम, जो वोट देने वाले हैं उनमें साहस पैदा करें और लोगों को इस बात का सबक दें, उन्हें तैयार करें कि साहस के साथ जो उनका विचार है उसको वह कार्य रूप में परिणत करें। वोट के मामले में मैं मानता हूं। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से सहमत हूं कि बहुत से लोग साहस नहीं करते हैं और उल्टी बात कर देते हैं लेकिन हमारा तो यह ध्येय होना चाहिये कि हम लोगों में इस प्रकार का साहस उत्पन्न करें कि वह हिम्मत के साथ उचित काम को करें और हाथ उठाकर, प्रत्यक्ष रूप से वोट दें। जो ऐसा वोट होगा, निःसन्देह उसमें साहस की आवश्यकता पड़ेगी और साहस से काम लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार होना चाहिये और अगर वह नहीं स्वीकार होता है तो ५ (ख) से काम चल सकता है और जिस खतरे की बात गेंदा सिंह जी करते हैं उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इसका विरोध करूं, मैं यह कह देना चाहता हूं कि इसके विरोध करने का मतलब माननीय मंत्री जी यह नहीं समझ लें कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। उनका विरोध तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन यह संशोधन जो माननीय इस्तफा हुसेन ने रखा है वह यह है कि एक प्रकार से प्रेसीडेंट का चुनाव दुबारा हो सकता है तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। दूसरी चीज इसमें संशोधन यह रखा गया है कि बजाय सीक्रेट वोट के वह ओपेन वोट यानी हाथ उठाकर होगा। तो हाथ उठाने की जो प्रणाली है वह बहुत प्राचीन है और हम उसका बहिष्कार कर चुके हैं, क्योंकि वह प्रजातंत्र के प्रतिकूल है। उसमें तो जो जबरदस्त होगा उसको अगर कोई वोट नहीं देना चाहता है तो जब ओपेन (खुला) वोट होगा तो लोग अपना सही मत प्रगट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में या तो यह होगा कि जो वोट देना नहीं चाहेंगे वह गैर हाजिर रहेंगे और जो वोट देंगे वह हिम्मत नहीं करेंगे और अगर हिम्मत करेंगे तो बेकार की दुश्मनी मोल लेंगे। इसलिये ईमानदारी से काम नहीं हो सकेगा। जहां तक मंत्री जी ने शुक्ल जी के संशोधन "इन दी मैनर प्रेस्क्राइब्ड" का जिक्र किया है। वह तो और भी खतरनाक है और जब वह आयगा तो उसका विरोध किया जायगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं कि मंत्री जी का जो सिस्टम है उससे भी ज्यादा यह खतरनाक है और अप्रजातांत्रिक है।

**श्री हरिसिंह** (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री इस्तफा हुसैन ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और इसमें एक खास बात जो देखी गई है वह यह है कि हर आदमी को स्वतंत्रता के साथ मतदान करना चाहिये और मतदान के साथ-साथ जो भी मतदान करने वाला है वह अपने स्वाभिमान को भी कायम रख सके और जिसको वह ईमानदारी के साथ चाहता है उसको वोट दे सके। यदि मतदान का गुप्त तरीका रखा गया तो वह कभी भी लालच या प्रलोभन के वशीभूत होकर चोरी से या छिपकर अपने स्वाभिमान को बेच सकता है। यह अधिकतर देखा गया है कि इस प्रकार से जो मतदान हुये हैं उनमें ऐसा हुआ है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इसको अवश्य मान लें ताकि सदस्यों को स्वतंत्रता के साथ मतदान करने का अभ्यास हो सके और वह अपने स्वाभिमान के साथ मत दे सकें।

*__श्री सुल्तान आलम खां__ (जिला फर्रुखाबाद)—स्पीकर महोदय, जो अमेंडमेंट मेरे दोस्त श्री इस्तफा हुसैन ने पेश किया है मैं भी उसकी ताईद करता हूं। अगरचे मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से राय का इजहार हो जाने के बाद इस पर कुछ ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो इस सिलसिले में हैं वह सामने आजायं तो इसको समझने में ज्यादा मदद मिलेगी।

मैंने तकरीरों के दौरान में एक ही एतराज सुना और वह यह है कि खुले तरीके पर अगर वोट दिये जायेंगे तो हो सकता है कि कुछ घपला पैदा हो, लोगों पर कुछ दबाव पड़ जाय और वह सही राय न दे सकें। मैं यह समझता हूं कि यह हमारे मुल्क के लोगों की तौहीन है जिनके मुताल्लिक ऐसा खयाल किया जाता है और यह भी सही है कि अगर कोई शख्स अपनी राय को गलत तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक मोरेली तरीके पर मेरा यह खयाल है कि जो खुला हुआ वोट दिया जाता है वह ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि छिपकर वोट दिया जाय। हम एक शख्श को अगर पसन्द करते हैं तो उसको एक तरीके पर वोट दें। और दूसरे तरीके पर दूसरे शख्स को वोट दें। यह हो सकता है कि इसमें कुछ दिक्कत हो, कुछ गड़बड़ी भी पैदा हो, लेकिन मेरा तो यह यकीन है कि अगर गुप्त किस्म का वोट रख दिया तो उसमें लोगों को ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। हमारे यहां जब एलेक्शन होता है तो आमतौर पर लोग वोटर्स के पास जाते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

और वोटर्स की ही वजह से बहुत से लोगों को एलेक्शन में बहुत सी दुश्वारियां पैदा होती हैं। अगर वोटर एक दफा सफाई के साथ यह कह दे कि हम तुम्हें वोट देंगे और दूसरे से यह कह दें कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे तो शायद एलेक्शन की नौबत न आये लेकिन होता यह है कि हर तरफ हां की जाती है और आखिर वक्त तक भी यह अंदाजा नहीं होता है कि वोटर किसे वोट देंगे। मैं समझता हूं कि यह बड़ी इम्मारेलिटी है हमें एलेक्शन के सिलसिले में मारेलिटी पैदा करनी है। हमें लोगों को सही बात समझानी है। हो सकता है कि सही बात समझाने में कुछ दुश्वारियां आयें लेकिन अगर लोगों को इस बात की तरफ रागिब किया जाय कि वे सही बात कहें तो इस चीज का अगर एक एलेक्शन में असर नहीं होगा तो दूसरे में जरूर होगा। मैं तो समझता था कि जो तरीका इसमें रखा गया है वह बहुत अच्छा है। आमतौर पर होता यह है कि जो सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से वोटिंग नहीं होती तो उसमें यही होता है कि नाम पेश किये जाते हैं और एक शख्स जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वह मुन्तखिब हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त ने जो इसमें तरीका पेश किया है उसमें मैजारिटी वोट भी शामिल है, सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट भी शामिल है और बहुत सी बातें शामिल हैं। सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट में जो तरीका इसमें उन्होंने पेश किया है उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि वह बन्द होगा या खुला होगा लेकिन तरीका वही है कि जिसको कम वोट मिलते हैं उसका नाम एलिमिनेट हो जाता है। अगर ५ या ६ आदमी हैं तो हर मर्तबा जिसको कम वोट मिलते हैं उसका नाम हटा दिया जायगा और आखिर में जब दो रह जायेंगे उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वह एलेक्ट होगा। मैं समझता हूं कि इस तरीके से यह भी मुमकिन हो जायगा कि जिसको सब से ज्यादा लोग चाहें वह एलेक्ट हो। इसके जरिये से एक सही इन्तखाब होगा और लोगों को जो सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट का तरीका आमतौर पर है उसके काउन्ट करने में जो दिक्कतें होती हैं उनसे भी बच जायेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो अमेंडमेंट की भाषा पेश हुई है उसमें तीसरी पंक्ति में "of the Board" के अल्फाज जो लिखे हुये हैं ये कुछ गैरजरूरी से मालूम होते हैं। अगर सिर्फ "a President by a simple majority" " रहे तो मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट ,अपनी जगह पर काफी ठीक हो जायगा। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि यह अमेंडमेंट रिऐक्शनरी किस्म का है। हम रोज ऐक्ट में तरमीम करते हैं और जरूरत के मुताबिक करना पड़ेगा। यह कोई ऐसी बात नहीं है। खुद ऐक्ट में प्रेसीडेंट का इन्तखाब का तरीका आपने बदल दिया है कि अभी तक डाइरेक्ट होता था अब इंडायरेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट एलेक्शन किस तरीके पर होगा इसके मुताल्लिक इस अमेंडमेंट में कुछ कहा गया है। मेरा खयाल तो यह है कि यह अमेंडमेंट इस काबिल है कि इसका ट्रायल किया जाय और यह बिल जो इस वक्त आया है यह एक आखिरी लफ्ज नहीं है। इसको साल दो साल तक हम ट्राई करें और अगर इसमें कोई दुश्वारी या दिक्कत पैदा होती है तो उसको फिर बदला जा सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं इस अमेंडमेंट की ताईद करता हूं।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, मेरे मित्र इस्तफा हुसैन साहब ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं वस्तुस्थिति का जब ध्यान नहीं रखा जाता तब लोग कल्पित आदर्श की बात कह कर अपने-अपने पक्ष का समर्थन करना चाहते हैं। हमारे मित्र हरिसिंह जी और सुल्तान आलम खां साहब ने भी आदर्शवाद के तर्कों का सहारा लिया। वस्तुस्थिति यह है कि जिस नैतिकता की दुहाई दी गयी है यदि उस नैतिकता का स्तर होता तो आज डाइरेक्ट एलेक्शन से इनडाइरेक्ट एलेकशन पर हमें आने की आवश्यकता नहीं होती।

डाइरेक्ट इलेक्शन में जो चेयरमैन सारे नगर के बहुमत को प्राप्त करके निर्वाचित होता है, लोकतंत्र के पवित्र सिद्धांत के अनुसार उस बोर्ड में चुना गया, अन्य सदस्यों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उस चेयरमैन को अपना सहयोग और समर्थन प्रदान करें। किन्तु आज वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नैतिकता हमारे अन्दर नहीं है जिसकी दुहाई हमारे सुल्तान आलम साहब और हरि सिंह जी ने दी है। इस दृष्टि से हमारे सामने कोई और दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय जो रास्ता हमारे विधेयक में बताया गया है। मैं अधिक इस संबंध में कहना नहीं चाहता। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को अपने अन्तर को टटोलना चाहिये और टटोलने के बाद फिर नैतिकता, स्वाभिमान और आत्म सम्मान की बात करनी चाहिये। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि हमारे माननीय मित्र इस्तफा हुसैन इसको वापस लेंगे और विधेयक में जो मार्ग बताया गया है उसी का अनुसरण करेंगे।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय इस्तफा हुसैन साहब ने जो संशोधन पेश किया है, उसका विरोध करता हूं। और विरोध इसलिये करता हूं कि वास्तव में जो संशोधन रखा गया है उसके मानी यह हैं कि जब हमारे सदस्यगण वोट देंगे तो खुले रूप में से हाथ उठा कर वोट देना पड़ेगा। मान लीजिये, एक से ज्यादा, तीन या चार उम्मीदवार हैं तो एलीमिनेट करने का तरीका उन्होंने अख्तियार किया है। वह एक चीज अच्छी हो सकती है। लेकिन वास्तव में जैसा माननीय मिश्र जी ने कहा, ऐसा आदर्श और साहस हम लोगों में नहीं है। सच वोट उसी वक्त दे सकते हैं जब कि गुप्त मतदान हो। विधेयक में इस गुप्त मतदान की बात मानी गयी है। वोटर बिलकुल अपनी ही इच्छा के अनुसार और बिना किसी दबाव के वोट दे सकता है। इस सिद्धांत को माना गया है। लेकिन अगर पहला या दूसरा संशोधन मान लिया जाता है तो इसके मानी यह हो जाते हैं कि खुले रूप से हाथ उठाकर वोट दिये जायेंगे और जिस तरह से हाथ उठा कर वोट दिये जाते हैं उसमें एक बड़ी दिक्कत पैदा होती है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह माननीय रामनरेश जी के संशोधन को मान लेंगे जिसमें लिखा है "इन दि मैनर प्रेस्क्राइब्ड" अगर ऐसा हो जाँयगा तो मैं चाहूंगा कि अगर यह माना भी गया तो उसमें भी सीक्रेट बैलट का स्थान अवश्य रखा जाय। यदि हम को बरदाश्त में प्रजातंत्र का आदर करना है, उसे बढ़ाना है, तो यह अति आवश्यक हो जाता है कि हम गुप्त मतदान की व्यवस्था करें। इस संशोधन के मानने से गुप्त मतदान का कोई स्थान नहीं रहता। या तो ऐसा होना चाहिये कि जैसा हमारे प्रस्तुत विधेयक में व्यवस्था की गयी है उसको मान लिया जाय और यदि उसको नहीं माना जाता है तो अगर माननीय रामनरेश जी का संशोधन मान लिया जाय तो उसमें भी गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाय।

इसलिये इन शब्दों के साथ मैं माननीय इस्तफा हुसैन के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय इस्तफा हुसैन साहब के संशोधन का हृदय से समर्थन करता हूं, और इसलिये करता हूं कि किसी देश में प्रजातंत्र हो या कोई सा तंत्र होता है वह इतना आवश्यक नहीं है जितना यह आवश्यक है कि किसी देश में नैतिक स्तर किसी तरफ जा रहा है। यह सत्य है कि अपनी जगह पर जिन्हें पिछले दिनों का अनुभव होगा या आज का अनुभव हो, इस प्रकार से सीक्रेट वोटिंग से एक व्यक्ति जो कि एक ही समय में दो-दो तीन-तीन चार-चार बातें करता है उसका स्तर कितना नीचा गिर रहा है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा यह चाहता हूं कि हम सचमुच अपने हृदय को टटोलें और यह देखें कि क्या यह सच नहीं है कि एक समय के ऊपर दो-दो तीन-तीन और चार चार बातें एक ही वक्त में कहीं जाती हैं। प्रजातंत्र कामयाब हो या न हो, यह इतना आवश्यक नहीं है इस देश के लिये, क्योंकि हमने देखा है यह ज्यादा आवश्यक है कि देश का नैतिक स्तरऊंचा रहे और नैतिक स्तर ऊंचा होने के लिये यदि किसी म्युनिसिपरल बोर्ड के जो अगुवा हैं, जो सदस्य चुने हुये हैं, उनमें इतनी हिम्मत और दम नहीं होता है कि वे खुल कर सही व्यक्ति का समर्थन करें; तो फिर लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? इसलिये मैं इस्तफा हुसैन के संशोधन का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवक्षर्णी नहीं किया।

*श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल जो विधेयक आप के सामने है, मैं उसकी ताईद करता हूं। अगर सिंगिल नान ट्रान्सफरेबिल वोट रहे तो उसमें बन्द वोटिंग की जरूरत है। अभी हमारे माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि भाई नैतिक स्तर ऊंचा होना चाहिये। लेकिन मांगने वाला जो वोट का होता है वह तरह-तरह की धमकियां देता है, तरह-तरह की कोशिश करता है। आप लोग इस बात को जानते हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है। वोटर बेचारा क्या करे? मजबूर होता है। संविधान में भी वोट का हक है और वह भी बैलट द्वारा। बैलट खत्म करने की फिर आप क्या बात कह रहे हैं कि खुला हुआ वोट हो। वोट की हालत आप जानते हैं। मांगने वाले और देने वाले दोनों को एक ही दिक्कत है, तो फिर बन्द वोटिंग ही सही है ताकि पता न चले कि किसने दिया और किसकी क्या राय है। ईमानदारी से राय तभी दी जा सकती है जब बन्द वोटिंग हो। जमींदारों को दबाया, महाजनों को दबाया, आज वोटरों के साथ क्या-क्या कैफियत की जाती है। हमारे मंत्री जी किसी झझंट में न फसें बल्कि पहले की तरह जो वोट ज्यादा लावे उसी को चेयरमैन बना दें। पहले भी ऐसा ही था कि चिट्ठी डाल देते थे और जिसको जिसे चुनना होता था उसके नाम चिट्ठी डाल देता था। कहीं कहीं हाथ भी उठाया जाता था। या तो आप इस झंझट में पड़िये, नहीं तो जो ज्यादा वोट लावे वही चेंयरमैन हो जाय और वोट बन्द हो। यह कहना कि देश का स्तर गिरा जा रहा है, यह बात मानने की नहीं है। मैं बड़े जोरों से कहूंगा कि वोटर गलती करता है और मांगने वाला भी गलती करता है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट पर, जो प्रस्तुत है, भिन्न-भिन्न विचार धारायें माननीय सदस्यों ने रक्खीं। इसके सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार रखना उचित समझता हूं आज हमारे देश का नैतिक पतन जो हो रहा है उसकी समस्यायें जुदा जुदा हैं। हम किसी दशा में यह नहीं चाहते हैं कि नैतिक पतन हो लेकिन साथ-साथ जो असली वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं वे ये हैं कि यदि हम अपने मतदान का ठीक तरह से उपयोग न कर पायें तो क्या होगा? उसके अलग-अलग वाक़यात हैं, अलग-अलग समस्यायें हैं। आज हमारे देश में ग़रीब तबक़ा है। वह यह चाहता है कि हम अपने मतदान का सदुपयोग करें, लेकिन कुछ लोग ऐसी परिस्थितियां वोट देने वालों के लिये पैदा कर देते हैं जिसके कारण वे मत का सही उपयोग नहीं कर पाते। उदाहरणार्थ जब म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ करता था, तो वह डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट था। कुछ वाक़यात हमें मालूम हैं जहां वोटरों को, मेम्बरों को, चेयरमैन के इलैक्शन वोट देने में दिक्क़तें हुई हैं। हाथ उठा कर वोट देने से बड़ी गन्दगी पैदा होती है। मुज़फ़्फ़रनगर का हाल है कि वोटरों को मंसूरी ले जा कर बन्द किया गया। उनके घर वालों को यह पता भी नहीं कि हमारे वोट देने वाले कहां हैं। वह उनको ढूंढ़ते रहे और परेशान रहे। तो क्या इससे नैतिक उत्थान हुआ? मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह से सोचेंगे और समझेंगे। यहां तक मुझे मालूम है कि जब लिखने की बात आई तो वोटर इतना गड़बड़ा गया और इतनी दिक्क़तें उसके सामने पेश की गईं कि वह किसी भी फरीक़ को वोट नहीं दे सका और अपना नाम उसने लिख दिया। मैं समझता हूं कि हाथ उठा कर सही राय देने में समय लगेगा। गांव सभाओं में हाथ उठाया जाता है तो वहां, हालांकि जमींदार अब नहीं रहे, लेकिन शक्तिशाली लोग, जो डंडे के पुजारी हैं, वे वोटरों पर दबाव डाल कर ठीक से वोटिंग नहीं होने देते हैं। इसलिये इन सब बातों को सोचते हुए मेरा विचार यह है कि गुप्त मतदान होना चाहिये और तभी वोटर अपनी राय ठीक जाहिर कर सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करने में विवश हूं।

*श्री ऐज़ाज़ रसूल (जिला हरदोई)—मैं क्लोजर मूव करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—११६

विपक्ष में—१८।)

श्री इस्तफा हुसैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बिल्कुल दुःख नहीं है कि हमारे पड़ोसी जिले के माननीय सदस्य गेंदा सिंह जी ने मेरे संशोधन का विरोध किया लेकिन मुझे खुशी हुई कि हमारी बात जो मंत्री जी ने पसंद नहीं की, उसका उन्होंने भी विरोध किया और मंत्री जी की बात को माना। अब जहां तक मेरे संशोधन का ताल्लुक है, माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि अगले कार्यक्रम में माननीय राम नरेश जी का जो प्रस्ताव है वह बहुत ही अच्छा है। उनके इस आश्वासन से मुझे इत्मीनान हो गया है इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री विष्णुदयाल वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 43 की उपधारा (1) की पंक्ति ३ में शब्द 'Board' तथा शब्द 'in' के बीच में वाक्यांश 'from amongst themselves' रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, जो प्रस्तावित धारा है, उसमें जो प्रावीजन रखा गया है उससे यह मालूम होता है कि जो प्रेसीडेंट का चुनाव होगा उसको इलेक्टोरेट और इलेक्टेड दोनों में से चुना जा सकता है। सन् ४९ से पहले इनडायरेक्ट पद्धति थी। उसमें यह था कि इलेक्टेड मेम्बर्स में से चुनाव होता था लेकिन उसको बदल दिया गया था और उसको डायरेक्ट कर दिया गया था; लेकिन उसमें कुछ खराबी और खामियों की वजह से मंत्री जी उसको चेंज कर रहे हैं और पुरानी पद्धति जो उन्होंने आंशिक रूप में रखने की कोशिश की है। जो इस प्रकार से आंशिक रूप में पुरानी पद्धति ली जा रही है उसमें भी खराबियां हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे इस संशोधन को मान लें क्योंकि इसमें अच्छाई है, क्योंकि हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि जो इस प्रकार से चुनाव होता है वह जनता का बिलकुल भी नुमायंदा नहीं होता। इसलिये इस प्रकार की इन्डायरेक्ट इलेक्शन ठीक नहीं है क्योंकि उसमें डायरेक्ट इलेक्शन का बिलकुल अंश नहीं है। अगर कोई आदमी पब्लिक से चुना हुआ आयेगा तो उसमें पब्लिक की कुछ न कुछ सहानुभूति अवश्य होगी लेकिन जो सीधा आदमी चुना जायगा उसमें ऐसा आदमी हो सकता है कि वह किन्हीं मेम्बरों को लालच के वश कर ले और इस तरह से उनको फेवर में कर ले। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन है बहुत छोटा सा है तथा अच्छा भी है, और यह इन खराबियों को दूर करेगा। आशा है माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्मा जी ने जो यह संशोधन रखा है, वह शायद इस गलतफहमी में हैं कि पहले जब इनडाइरेक्ट एलेक्शन होता था तो उस वक्त प्रेसिडेंट केवल मेम्बरों में से ही चुना जाता था। मैं भी बदक़िस्मती से एक म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर रह चुका हूं और जब मैं मेम्बर था तो जहां तक मुझे याद आती है, बाहर से भी चुने जाते थे। असल बात यह है कि मेम्बरों को चुन कर उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है कि आप काम चलाइये और आप अपना प्रेसीडेंट चुनिये। वे अगर अपना प्रेसिडेंट अपने में से ही चुनना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं है और यदि बाहर से चुनना चाहें तो भी कोई रोक नहीं है। इसलिये उनके इस च्वायस को सीमित कर देने से कई दफा शायद नगरों का उतना भला न हो। हमने यह भी देखा है कि बड़े बड़े लोग, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री पुरुषोत्तम दासटंडन आदि चेयरमैन रह चुके हैं जब कि वे बोर्ड के मेम्बर नहीं चुने गये थे।

[श्री मोहनलाल गौतम]

माननीय अध्यक्ष महोदय भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो इसलिये उसको सीमित कर देना कुछ मुनासिब नहीं है। यह बात साफ है कि बोर्ड के मेम्बर ही चुनेंगे, कोई बाहर का आदमी उसमें दखल नहीं देगा। इनडाइरेक्टली भले ही किसी का कुछ दखल हो सकता है। इसलिये यह उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाय और उसे सीमित न किया जाय तो अच्छा है।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, जो मेरे मित्र ने अभी संशोधन पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने भवन को बतलाया, मैं भी इसको मानता हूं कि पहला तजुर्बा और जो फायदा इनडाइरेक्ट एलेक्शन का है, उसको मैं मानता नहीं था, लेकिन यह पास होने जा रहा है तो मैं समझता हूं कि इन झगड़ों को देखते हुये जो आज कल म्युनिसिपल बोर्ड्स में चल रहे हैं, यह जरूरी है कि बोर्ड्स को इससे फ्री रखा जाय कि अगर मेम्बरों में आपस में तय न हो सके तो फिर एक झगड़ा रहेगा। यदि कोई भी आदमी उनके शहर का ऐसा मिल जाय जो बाहर से आ कर वहां का प्रेसीडेंट हो तो उसको रोक देना, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का कहना ठीक है, मुनासिब नही होगा। इसलिये मैं अपने मित्र से कहूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापस लें। इस संशोधन से कोई लाभ नहीं होगा बल्कि हानि ही होगी।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय विष्णुदयाल वर्मा जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें माननीय मंत्री जी ने बोर्ड को यह अधिकार दे रखा है कि अपने अलावा वह बाहर से भी जिसको चाहे चुन कर अपना चेयरमैन रख सकते हैं। लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जो चेयरमैन हो वह बाहर का न हो बल्कि जो जनता द्वारा चुने हुए सदस्य हों उन्हीं में से कोई चेयरमैन हो और सभी मेम्बर बैठ कर अपनी राय से अपने उसी क्षेत्र से चुने गये किसी सदस्य को चेयरमैन बनायें तो वह वहां की म्युनिसिपल बोर्ड का काम अच्छी तरह चला सकता है। लेकिन अगर कहीं बाहर का कोई आदमी चुन गया और वह अपने मन के मुताबिक किसी पक्ष या किसी पार्टी के आदमी रखता है जो किसी अंश में जनता द्वारा चुने हुये नहीं हैं जो सदस्य बहुमत में आये हैं, वे उनसे सहमत नहीं होंगे और उनके काम में बहुत कठिनाई पड़ेगी और जनता का सहयोग न प्राप्त होगा और न वहां कोई काम अच्छी तरह से चल सकेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वर्मा जी ने जो यह संशोधन रखा है कि जो मेम्बर चुन कर आये हैं उन्हीं में से किसी को प्रेसीडेंट चुना जाय उसे कृपया मान लें, जिससे वहां का काम आसानी से चल सके। इसलिये मैं वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रूखाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्री वर्मा जी ने अपने संशोधन में म्युनिसिपैलिटीज के लिये बहुत ही सीमित दायरा रखने की बात सोची है। बहुत से ऐसे भी विद्वान नागरिक हो सकते हैं जो मेम्बरशिप के लिये खड़ा होना पसन्द न करते हों और चुनाव से अपने को अलग रखना चाहते हैं परन्तु वास्तव में योग्य हैं और जिनको म्युनिसिपैलिटी के चुने हुये सदस्य अपना काम अच्छी तरह से चलाने के लिये बहुत ही उपयुक्त समझते हों। यदि इस संशोधन को मान लिया जाय तो इस प्रकार के भले और योग्य व्यक्तियों को कोई भी स्थान म्युनिसिपैलिटी की चेयरमैनी के लिये नहीं मिल सकता है और जिस प्रकार के इस संशोधन बिल में दोनों प्रकार की क्वाइस रखी गई हैं कि बाहर से या चुने हुये मेम्बर्स में से जिसको सदस्य लोग मुनासिब समझें चेयरमैन बना सकते हैं, वह ठीक है। इससे तो उनकी संकीर्ण विचार धारा प्रकट होती है और इस प्रकार इस दायरे को संकुचित करना उचित न होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस लेकर जो संशोधन बिल में रखा गया है उसी को मानने की कृपा करेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं चाहता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—अब बसन्त लाल शर्मा जी बोल लें। उसके बाद देखा जायगा।

*श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय वर्मा जी का है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उसमें यह कहा गया है कि म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के चुनाव में जो मेम्बर वहां चुन कर पहुंचे वह केवल अपने में से ही किसी को चेयरमैन बनावें। मैं ऐसा समझता हूं कि यह बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव प्रत्यक्ष या डायरेक्ट होता तो इस बात का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और न जनता के सामने यह कठिनाई ही होती कि वहां कौन योग्य आदमी भेजा जाय जो चेयरमैनी का काम ठीक से कर सके। लेकिन आज जब हम अपने यहां इनडायरेक्ट प्रणाली को कायम करने जा रहे हैं तो इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि जो मेम्बर चुनकर आवेंगे वह विभिन्न वार्डों से आयेंगे और जो लोग आयेंगे वह अपनी अपनी योग्यतानुसार ही आयेंगे। लेकिन चुनाव के अन्दर जिस प्रकार की दलबन्दियां और छीछालेदर होती हैं, उसमें बहुत से ऐसे पढ़े-लिखे, योग्य सीधे लोग भी होते हैं जो पड़ना पसन्द नहीं करते और बाहर ही रह जाते हैं और जो जनता के चुने हुये व्यक्ति मेम्बर्स की हैसियत से आवेंगे वही गणमान्य समझें जायेंगे क्योंकि उनके पीछे जनमत का बल होगा। यह मानी हुई बात है कि जो जनता के प्रतिनिधि होकर चुने जायेंगे वह विश्वसनीय आदमी होंगे और वह उस नगर के कल्याण के लिये ही जायंगे और उनको अच्छी तरह से नगर के कल्याण की जिम्मेदारी महसूस करनी होगी और जब हम उनके कन्धों पर यह भार देते हैं तो हमें उनको यह स्वतंत्रता देना ही चाहिये कि वह चाहें तो अपने में से या बाहर के किसी योग्य व्यक्ति को चेयरमैन के पद के लिये चुन सकें, जो उस काम को ठीक से चला सके और अच्छी राय उनको दे सके। इन शब्दों के साथ मैं श्री वर्मा जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विष्णुदयाल वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने साथियों के भाषण सुने। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आज से पहले कुछ दिनों तक अंग्रेजों ने राज्य किया, उन्होंने जो प्रथा कायम रखी थी, उसी में हेरफेर करके हम ला रहे हैं। मैंने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो एलेक्शन होता था, उसमें जो प्रेसीडेंट चुने जाते थे, वे मेम्बरों से चुने जाया करते थे, लेकिन वहां कोई दिक्कत नहीं आयी। अब न मालूम इसमें क्या दिक्कत आ जायगी। मुझे मालूम है कि यह बिल जो लाया गया है, वह भी यह साबित करता है कि यह सरकार अभी एक्सपेरीमेंटल स्टेज पर है। वे कभी इधर देखते हैं और कभी उधर कि कौन ठंडा है लेकिन भाड़ सब गरम हैं। लेकिन सब लोगों की राय है कि मैं इसे वापस ले लूं और इसलिये लोगों की राय को मानते हुये मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 43 की उपधारा (1) में पंक्ति तीन से लेकर अन्त तक के शब्द "In accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot' के स्थान पर "in the manner prescribed" रख दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा संशोधन बहुत साफ है। मैं समझता हूं कि इस समय इसके पक्ष में ही जो कुछ कहा जा सकता है वह कहा जा सकता है, इसके विपक्ष में भी नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

कहा जा सकता और अगर कुछ कहा भी जायगा वह केवल अनुमान लगाने की बात होगी। मेरे मित्र भाई गेंदा सिंह जो इस समय बहुत सिर हिला रहे हैं, वे ज्योतिषी हो सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वास्तव में इस समय कोई अनुमान लगाना उचित नहीं है और इसमें जिस प्रकार से बोर्ड का हित होगा, जैसे उसका संचालन ठीक से होगा और जिस प्रकार से नियमित रूप से प्रजातांत्रिक प्रणाली में काम चल सकेगा, उसको जो एक्सपर्टस हैं वह विचार करके रखेंगे। इसलिये मैं यह संशोधन आपके सम्मुख रखता हूं।

*श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनरेश जी के संशोधन का विरोध करता हूं। (कई आवाजें—घोर)। मैंने "घोर" इसलिये नहीं कहा कि रामनरेश जी का संशोधन है तो मैं उनको ऐसे शब्दों में निराश नहीं करना चाहता, जिससे वह अगर वापस लेने के मूड में हों तो निराश होकर वह वापस न लें। माननीय रामनरेश जी ने यह कहा कि मैं कुछ अनुमान लगाकर इस संशोधन का विरोध करूंगा। कुछ अनुमान लगाना ही नहीं है क्योंकि अगर माननीय रामनरेश जी चुप रहते और माननीय इस्तफा हुसैन के संशोधन की बात न आयी होती तब तो अनुमान लगाने की बात होती, लेकिन माननीय इस्तफा हुसैन साहब के संशोधन का समर्थन करते हुए उनके जो विचार हैं, उनसे लोगों को मालूम हो गया कि वे क्या चाहते हैं। अब इसमें मैं नहीं कह सकता कि कुछ सांठगांठ माननीय मंत्री जी से हुयी भी या नहीं क्योंकि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने माननीय इस्तफा हुसैन का संशोधन स्वीकार नहीं किया, इसलिये कि माननीय रामनरेश जी का संशोधन आने वाला है। तो यह सारी चीजें कुछ इस तरीके की मालूम देती हैं, माननीय इस्तफा हुसैन के संशोधन का समर्थन माननीय राम नरेश जी द्वारा और माननीय स्वशासन मंत्री जी का उसको उसी समय स्थगित करवा देना, यह सब चीजें कुछ ऐसी हैं जो अनुमान लगाने को विवश करती हैं और बात बहुत साफ मालूम होती है इसलिये मैं समझता हूं कि यह बात इस वक्त बिलकुल पक्की-पकाई तैयार है कि इसमें क्या प्रेस्क्राइब्ड तरीका होगा। वह प्रेस्क्राइब्ड तरीका इसी वक्त बहुत साफ हो गया। मैं खुद अगर राम नरेश जी की स्थिति में होता तो मैं जरूर इस तरफ की बात नहीं करता और वह बात अगर चुपके-चुपके ही जाती तो कोई बात नहीं थी। यह बात जाहिर ही है कि हमारे सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनकी यह इच्छा नहीं है कि वह इस गलत तरीके को अपनावें कि असर डालकर, लालच देकर या दबाव डाल कर लोगों से वोट लिया जा सके। मैंने माननीय राम दास जी की बात सुनी और मैं समझता हूं कि अगर वह लाबी की तरफ न चले गये होंगे तो उन्होंने भी सुना होगा।

एक सदस्य—वह यहां ही बैठे हैं।

श्री गेंदासिंह—मैं यह बात कहने की माफी चाहूंगा कि वह सदन की कम सुनते हैं। वह और बातें सुनते हैं। इसलिये मैं उनसे कहूंगा और माननीय रामदास जी की बात उनको याद दिलाने की प्रार्थना करूंगा कि वह याद कर लें कि मुजफ्फरनगर का एक मेम्बर देहरादून भगा ले जाया गया और फिर उसके हाथ में जो सीक्रेट बैलेट है उसमें भी ज्यादती की गुंजाइश की गयी। यह तो मैं देख रहा हूं कि माननीय राम नरेश जी बड़े नाराज हो रहे हैं इसलिये कि मैं नैतिक स्तर की बात कर रहा हूं। ठीक है, नैतिक स्तर की बात मैं मुंह से रोज करना मुनासिब नहीं समझता हूं। वह तो आचरण में पड़े तभी ठीक मालूम होता है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि कुछ अनैतिकता हो सकती है जबकि आदमी को कुछ शक्ति मिलने की आशा हो कि वह अनैतिक कार्य करके भी शक्ति को प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग तो जीत को ही धर्म मान लेते हैं और ऐसे लोगों की कमी अभी हमारे देश में नहीं है। इसलिये हर तरीका अख्तियार किया जा सकता है अपना बहुमत बनाने के लिये। इसमें कोई संदेह नहीं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने एक बात यह सोची कि हमारा जो पुराना तरीका था कि प्रत्यक्ष चुनाव हो, उसमें उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ी कठिनाई समझी हालांकि मैं उनके साथ इसमें बिलकुल नहीं हूं, उसको बदल दिया जाय। उसको बदल कर वह उस कठिनाई को हल कर लेंगे, ऐसी उनकी आशा है, लेकिन खैर, उन्होंने सोचा और सोच करके एक विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन इसमें यह गुंजाइश जरूर रखी है कि कुछ सच्चाई बरती जा सके, कुछ लोग साहसपूर्वक, बगैर किसी डर के, अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन अब अगर माननीय राम नरेश जी इस संशोधन को मनवा लेते हैं या उनका यह संशोधन मान लिया जाता है तो जो थोड़ी सी गुन्जाइश अच्छाई की थी वह भी निकल जायगी। तो मैं माननीय राम नरेश जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह गुप्त मतदान की क्रिया को रहने दें और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह कोई मौरूसी थोड़े ही हो गया है कि एक चीज जो हमने मान ली बना ली वह सदा के लिये हो जायगी। साल दो साल में फिर बदल देंगे और हम भी सोचते हैं कि अगर फिर भी हम देखते हैं कि जो खराबियां हैं वह किसी तरीके से दूर नहीं हो सकती हैं तो फिर हम उसको बदल देंगे। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी के तजुर्बे से फायदा उठाया जाय और उनके पीछे जो उनके मुहकमे के बड़े-बड़े तजुर्बेकार लोग हैं उनके तजुर्बे से फायदा उठाया जाय। उन्होंने इस बात को महसूस किया और उसके बाद यह सीक्रेट बैलट वोटिंग का तरीका रखा और खास तौर से इस विधेयक में इसकी गुंजाइश कर दी। इसमें गुंजाइश इसलिये कर दी कि बहुत स्पष्ट मामला रहे, लोग समझें कि हमको इस तरीके से वोट देना है। बहुत जगह हमें मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। किसी कानून के बनाने में सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि उसको कागजी सामान बना करके, आलमारी का सामान बना करके रख दें। इससे हमारे कम से कम ८०-८५ लाख आदमियों का सम्बन्ध है। उनमें एक मनोविज्ञान पैदा करना है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हुये भी इसमें इस बात की गुंजाइश है कि सही आदमी चुन करके आ सके। हम लोगों ने इस बात को महसूस किया, जिस वक्त मंत्री जी ने कहा कि इलाहाबाद में मेम्बर चुन करके नहीं आये थे, जैसे पं० जवाहर लाल नेहरू, हमारे श्रद्धेय टंडन जी। लेकिन लोगों ने यह मुनासिब समझा कि उनको अपना अध्यक्ष बनाना है। लोगों ने अध्यक्ष बनाया और मैं समझता हूं कि जिस समय पंडित जवाहर लाल जी अध्यक्ष थे, चाहे टंडन जी थे या आप (अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए) झांसी के अध्यक्ष थे, तो कम से कम उस शहर के लोग अब भी याद करते हैं कि भाई फलां जमाने में फलां अध्यक्ष थे और उन्होंने यह काम किया, पहले यह काम किया और बाद में यह काम करते हैं। उस बात को हम लोगों ने स्वीकार किया कि जरूर करना चाहिये। उसी तरह माननीय राम नरेश जी से आग्रहपूर्वक अपील करूंगा कि वह अपनी राय इस वक्त बदल दें। हम समझते हैं कि वह ऐसे आदमी नहीं हैं कि किसी चीज को जिद के साथ पकड़े रहें। लेकिन एक ही डर हमको जरूर है कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने अभी इस पर कोई राय नहीं दी। हमारी दरख्वास्त उनसे भी है कि माननीय राम नरेश जी को वह मना लेने की कोशिश करें और वह अपने ऊपर से एक बोझ उठा करके इस विधेयक के ऊपर बोझ डाल देंगे कि इस विधेयक में जो बात साफ रहेगी तो मंत्री जी के ऊपर उनके विभाग के ऊपर कोई दोष नहीं आयेगा। तो ज्यादा मैं क्या कहूं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं और बड़े जोर के साथ अपील करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर वह चाहेंगे तो स्वीकार नहीं होगा। इसलिये मैं दोनों से अपील करना चाहता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार न करें और माननीय रामनरेश जी इसको वापस ले लें।

श्री नेकराम शर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राम नरेश जी ने जो संशोधन रखा है उसका विरोध करता हूं।

(तालियां)

विरोध करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है और वह यह है कि यह सदन का अधिकार है कि प्रेसीडेंट का चुनाव कैसे हो, उसकी व्यवस्था इस विधेयक में रक्खी जावे। लेकिन अगर इस संशोधन को मान लें तो इसका मतलब यह होगा कि सरकार

[श्री नेकराम शर्मा]

को अख्तियार दे देंगे और सरकार इस संशोधन के मान लेने के बाद रूल्स बनाये और उसी से चुनाव कराये और हो सकता है कि वह रूल्स चाहे सदन के समक्ष रखे या न रखे। दूसरे शब्दों में सदन की लेजिसलेटिव पावर हम एक्जूक्यूटिव को दे देना चाहते हैं जो बहुत नामुनासिब बात है। तो इतने बड़े अधिकार को हम सरकार को सौंप दें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह अधिकार तो केवल सदन ही का है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण चुनाव होगा प्रेसीडेन्ट का जितने भी अब ऐक्ट बने हैं सब में प्रेसीडेंट के चुनाव का जो तरीका है वह ऐक्ट में दिया गया है।

एक सदस्य--सरकार आपकी है।

श्री नेकराम शर्मा--सरकार मेरी है इसलिये तो मैं और भी उसे कोई गलत बात करने की राय न दूंगा, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सरकार को दे देना ठीक नहीं है। किसी भी ऐक्ट में, जितने यहाँ पास हुए उनमें कहीं नहीं पायेंगे कि चुनाव का तरीका ही न दिया गया हो हर एक में है। तो हम ऐसा संशोधन लाकर ऐसा अधिकार सरकार को दे दें और वे रूल्स हमारे सामने भी न आयें। और जैसा अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने भी शंका जाहिर की तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस संशोधन को न मानें। इसलिये कि इसके मानने से बड़ा घातक नतीजा हो सकता है। और यदि मानें तो उसमें सीक्रेट वोटिंग की व्यवस्था जरूर हो, कम से कम इस बात की घोषणा मंत्री जी सदन में करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राम नरेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री ऐजाज रसूल--जनाबवाला, मैं भी इस अमेंडमेंट का, जो रामनरेश शुक्ल जी ने पेश किया है, विरोध करता हूं।

(तालियां)

मैं भी तकरीबन २५ साल म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन रह चुका हूं और मुझे म्युनिसिपल बोर्ड के कामों से थोड़ी बहुत वाकफियत है। म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन का एलेक्शन एक इम्पार्टेन्ट चीज है। अब सवाल यह था कि यह इन्डाइरेक्ट हो या डाइरेक्ट हो, तो इसमें सब इन्डाइरेक्ट के फेवर में थे कि इन्डाइरेक्ट होना चाहिये लिहाजा वह चीज बिल में आयी। लेकिन किस कदर होना चाहिये यह तरीके इन्तखाब भी बिल के अन्दर रहना चाहिये ताकि लोगों को मालूम हो सके और यह कि यह पावर खुद गवर्नमेंट को दे दी जाय या प्रेस्क्राइब्ड् एथारिटी प्रेस्क्राइब्ड करे, यह मेरे खयाल में मुनासिब नहीं है क्योंकि इतनी इम्पार्टेन्ट चीज जो कि इन्तखाबे चेयरमैन जिस पर कि ऐडमिनिस्ट्रेशन सारा उस नगर का चलेगा ऐसी महत्व की चीज को रूल्स के सुपुर्द कर देना, ठीक नहीं है बल्कि भवन को यह तरीका इन्तखाब तय करना चाहिये। हां, हाथ उठाकर तय करना चाहिये या सिंगिल ट्रांसफरेबुल वोट का सिस्टम होना चाहिये इसके ऊपर विचार कर लेना चाहिये। मैं तो इस्तफा साहब के तरीके इन्तखाब के मुआफिक था क्योंकि यह कहना कि वोट्स पर्चेज होंगे या वोट बिकेंगे यह गलत है, मेरे खयाल में जबकि अब पार्टी बन चुकी है, सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और भी दूसरी पार्टीज हैं तो अब वोट्स का परचेज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर एक पार्टी के टिकट पर आयेगा और आने पर वह अपनी पार्टी के डायरेक्शन पर वोट देगा। हां, थोड़े से स्वतंत्र जो बच जायेंगे, राजा साहब के ऐसे तो उनके वोट शायद बिक सकते हैं। लेकिन और जो पार्टी के टिकट पर आयेंगे उनके वोट नहीं बिकेंगे। जो पार्टी का आदमी होगा वह पार्टी के उसूलों पर चलेगा। लिहाजा शुक्ल जी ने जो संशोधन रखा है, मैं आशा करता हूं कि वह उसे वापस ले लेंगे। तरीका इन्तखाब चेयरमैन का यह भवन तय करेगा क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है कि यहीं इसे तय होना चाहिये।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं माननीय रामनरेश जी के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। माननीय नेकराम शर्मा के स्पष्टीकरण

के बाद में आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी अपनी राय बदल ली होगी और वह इस बोझ को जो कि माननीय रामनरेश जी का संशोधन उनके कंधों पर डालता है उसको लेने को तैयार नहीं होंगे। एक अच्छा ढंग या एक अच्छा तरीका जिसको कि हमारे माननीय मंत्री महोदय के विभाग के अधिकारियों ने और दूसरे विधान के परामर्श देने वालों ने सदन के सामने रखा है, हम उस तरीके को न मानकर इस सदन की जिम्मेदारी को अपने ऊपर से हटाकर सदन के कर्त्तव्य का पालन नहीं करेंगे। अपने बोझ को हम सरकार पर डालें, यह कुछ अच्छा नहीं मालूम होता है। एक साफ चीज हमारे सामने आयी है और जिसके लिये सभी वक्ताओं ने जो कि अब तक बोले हैं उन सबने उससे सहमति प्रकट की है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम इसको फिर गवर्नमेंट के हाथ में दें कि गवर्नमेंट ही इसको तय करे। गवर्नमेंट की राय तो हमने देखी कि गवर्नमेंट यह चाहती है, फिर क्या जरूरत रह जाती है कि हम फिर इसे गवर्नमेंट को वापस करें। इस कारणवश मैं अपने मित्र माननीय रामनरेश जी से यह आशा करूंगा कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे और सदन को मौका देंगे कि सदन उस तजवीज को जोकि विधेयक में से आयी है, स्वीकार करे।

यह ढंग जो हमारे इस प्रस्तावित विधेयक में रखा गया है वह वर्तमान समय में हमारे देश में जनतंत्र को शक्ति देने के लिये एक खास साधन है। अभी हमारा देश उस स्थान पर नहीं आया है जहां कि सामाजिक व्यवस्थायें कुछ समानता पर आ गयी हों। आज हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की असमानतायें हैं और मैं यह कहते हुए नहीं हिचकूंगा कि जिस वक्त म्युनिसिपल बोर्ड के एलेक्शंस होंगे तब शहर की बड़ी से बड़ी ताकत और शहर का बड़े से बड़ा दल उसमें दिलचस्पी लेगा, तो कैसा ही मजबूत से मजबूत आदमी हो मैं अपवाद को छोड़ता हूं, संभव है कुछ महान् व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति इस तरह के हो सकते हैं जो अपनी राय का आजादाना तरीके पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी लोगों, से यह आशा करें कि वह एलेक्शन के जमाने में होने वाले प्रोपेगेंडे और तरीके के असर में न आयें, ऐसी बात आज के समाज में संभव नहीं है। तो हमें उन तमाम खतरों से बचाने के लिये और लोगों को अपनी राय का सही इस्तेमाल करने का मौका देने के लिये यह आवश्यक है कि हम उस तजवीज को मानें जो कि विधेयक में रखी गयी है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राम नरेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लें और माननीय मंत्री महोदय से आशा रखता हूं कि उन्होंने जो तजवीज सदन के सामने रखी है वह उस पर ही और अपनी बात पर जमे रहेंगे।

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय स्पीकर महोदय, जो तरमीम मेरे दोस्त रामनरेश शुक्ल ने रखी है, मुझे अफसोस है कि मैं भी उससे मुत्तफिक नहीं हो सका। श्री शुक्ल जी ने जो तजवीज रखी है, उसके जरिये से मैं समझता हूं कि उन्होंने इस दफा में कोई तरमीम तो नहीं चाही है, सिर्फ यह चाहा है कि अब तक जो चीज इस विधेयक के अन्दर मौजूद है उसको रूल्स में मुन्तकिल कर दिया जाय। इस सिलसिले में मैं इतना अर्ज करूंगा कि जो तजवीज उन्होंने की और जिस शक्ल से तजवीज उन्होंने की, मेरी समझ में नहीं आया कि उसकी वजह क्या है? उन्होंने अपनी तकरीर में कोई ऐसी वजह पेश नहीं की जिससे यह अन्दाजा हो सकता कि बिल से हटा कर अगर यह रूल्स में रख दिया जाय तो बिल के मकसद को कुछ नफा पहुंचेगा। मैं समझता यह हूं कि इसके लिये प्राविजन ड्राफ्ट किये हुए बिल में मौजूद हैं और शायद रूल्स में भी यह प्राविजन रखा जायगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे प्राविजन रूल्स के अन्दर होने चाहिये या बिल के अन्दर? एक मुसल्लिमा उसूल है कि जितने उसूली मसले होते हैं, जितने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं वह सब बिल्स और ऐक्ट्स के अन्दर आते हैं, अलबत्ता जब उनके डिटेल्स वर्क आउट किये जाते हैं तो वह रूल्स में ही रखे जाते हैं ताकि इंटरप्रिटेशन में गलती न हो। तो मैं समझता हूं कि दफा ९ के मातहत जो प्राविजन दफा ४३ में ड्राफ्ट बिल में मौजूद हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाय और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने फैसले पर नजरसानी करें और हो सके तो उसको वापस ले लें और

[श्री सुल्तान आलम खां]

जैसी कि दफा ड्राफ्ट किये हुए बिल में है उसको वैसे ही रहने दें। उनको एहसास होगा कि ख्वाह इस तरफ के बैठने वाले या उस तरफ के, सबकी ख्वाहिश यह है कि जो पावर हाउस की हैं वह हाउस के अन्दर रहें और उसमें कमी नहीं होनी चाहिये और यह भी सही है कि जो चीज यहां रखी जायगी, हम जो पसन्द करेंगे वही मुनासिब हो सकती है, वही अच्छी होगी और उसमें कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी।

इन अल्फाज के साथ मैं, जो तरमीम पेश हुयी है, उसकी मुआफिकत नहीं कर सकता।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामनरेश जी शुक्ल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त प्रतिक्रियावादी संशोधन है जो हमें रोशनी से अंधेरे की ओर ले जा रहा है। जो अधिकार सरकार ने पहले सोच-विचार कर इस विधेयक में रखा है उसके छीनने का यह दुष्प्रयास है। पंचायत राज ऐक्ट के सिलसिले में जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की बात उठायी गयी थी और उसकी इस सदन में काफी चर्चा और मुखालफत हुई थी लेकिन सरकार ने उसको स्पष्ट नहीं किया था कि उससे उसका क्या मतलब है। ठीक इसी तरह की बात यहां दुहरायी जा रही है। प्रेसीडेंट के चुनाव के विषय में जो एक निश्चित मत इस विधेयक में व्यक्त किया गया है उसको अस्पष्ट करके इस संशोधन के जरिये उसे गोल मटोल कर दिया गया है ताकि जैसा सूट करे शासक गुट की अथवा उनके नुमायन्दों को वैसा ही इसको फिट कर दिया जाय।

इस तरमीम को मान लेने से परिणाम यही होगा। इस लिये मैं माननीय राम नरेश जी शुक्ल से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको फिर से सोचें और वापस लें। अपने को पावर में रखने के लिये ऐसे प्रयास सफल नहीं हुआ करते, ऐसा दुनिया का पिछले ५० साल का इतिहास बतलाता है। इस प्रकार कोई भी पार्टी या दल अपने को पावर में नहीं रख सकता है। इसलिये इस संशोधन के जरिये से जो ताक़त हमको दी गयी थी मंत्री जी उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, यह उचित बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस संशोधन के विषय में माननीय मंत्री जी विशेष कर गौर करें। अगर उनका भी यही मत है, जैसा कि अक्सर हुआ करता है कि माननीय रामनरेश जी जो संशोधन पेश करते हैं वह आम तौर पर सरकार की तरफ से ही किया जाता है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन माननीय मंत्री जी बड़ी गम्भीरता से मौन धारण किये हुये हैं। इसलिये आशा है कि वह इस सदन को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि प्रेसीडेंट के चुनाव की नीति तथा रीति निर्धारित करना सदन का ही अधिकार है। एक छोटी सी कमेटी को यह अधिकार प्रदान कर देना जिसे सरकार पुकारते हैं, दे देना मैं उचित नहीं समझता हूं। इसके स्पष्टीकरण और इस पर मत व्यक्त करने में जितने सदस्य बोले हैं, मेरा खयाल है कि सिवाय प्रस्तावक महोदय के सभी ने इसका विरोध ही किया है। विशेषकर कांग्रेस दल के लोगों ने जो भाषण दिये हैं और जिस तरह से विरोध किया है उसको देख कर मंत्री जी को विशेष गौर करना पड़ेगा। जो संशोधन पेश किया गया है अगर मंत्री जी भी उसी मत के हों तो भी प्रबल विरोधक इसको ध्यान में रख कर इस संशोधन को वापस कराने की कोशिश करें और जो सदन का मूल अधिकार है उससे सदन को वंचित करने की चेष्टा न करें।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय शुक्ल जी ने पेश किया है मैं चाहता हूं कि उसको किसी तरह से सपोर्ट करता, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें सपोर्ट करूं तो किस बात को? चुनाव के दो तरीके हो सकते हैं।

या तो ओपेन वोट हो या सीक्रेट बैलट हो। लेकिन इन्होंने दोनों रास्तों में से किसी को भी नहीं अपनाया है बल्कि गोल छोड़ दिया है और यह समझ में नहीं आता कि कौन सा तरीका अपनाया जायगा।

इस सम्बन्ध में बहुत सी नैतिकता और जनतंत्रवाद की बातें भी कही गईं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जनतंत्र चले और नैतिकता का स्तर भी ऊंचा हो क्योंकि मुझे इन दोनों में कोई संघर्ष या विरोधाभास मालूम नहीं होता है। अगर ओपेन वोट हो तो कोई संकट नहीं आता है जनतंत्र के अन्दर या नैतिकता के अन्दर। कम से कम ऐसी बात नहीं है। अगर सीक्रेट बैलट होता है तो नैतिकता नष्ट हो जाय ऐसी कोई बात नहीं है। हमको अपने दिमाग़ में साफ़ होना चाहिये। जो कोई पद्धति हम अपनायें वह पद्धति इस भवन के सामने हो और भवन उस पर अपनी खुली राय दे। तो हम चाहते हैं कि अच्छा यह हो कि जो भी तरीका माननीय शुक्ल जी को पसन्द हो और शायद उनको तो यह बात पसन्द भी थी चूंकि इससे पहले एक अमेंडमेंट आया था उसको उन्होंने सपोर्ट भी किया था, मैं यही चाहता हूं कि जो भी उनकी राय हो, उसको एक स्पष्ट अमेंडमेंट के रूप में वह इस हाउस के सामने रखें ताकि यह हाउस उस पर अपनी राय दे सके।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं इस संशोधन को इस वजह से वापस लूंगा, क्योंकि डिटेल में बतलाने के लिये कि किस तरह से वोटिंग वग़ैरह हो माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे मौक़ा देंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, इसका मैं विरोध करता हूं कि बाद में एक मौका और दिया जाय। इसकी जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह तो उस वक्त सोचा जायगा जब सामने आयेगा। मैं शर्त तो कोई मंजूर कर नहीं सकता हूं। इस वक्त तो सवाल यह है कि आप इसको वापस ले रहे हैं या नहीं।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

(श्री नारायण दत्त तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुल्तान आलम खां—आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर सर, यह इस किस्म का अमेंटमेंट तो नहीं हो सकता है। पूरी दफ़ा के ऊपर तकरीर हो सकती है, लेकिन यह उस वक्त तकरीर होगी जब कि जितने अमेंडमेंट्स हैं वे सब खत्म हो जायं।

श्री अध्यक्ष—अमेंडमेंट तो और कोई रहा नहीं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खंड हमारे सामने प्रस्तुत है, मैं यह समझता हूं कि इसको स्वीकार करने से सदन एक ऐसी मिसाल हमारे देश में और स्वायत्त शासन के इतिहास में रखेगी, जो हमारे भविष्य की प्रगति के अंशों को देख कर अत्यन्त ही वांछनीय होगी। इसी लिये मैं इस प्रस्तुत खंड का आमूल विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

प्रस्तुत खंड के द्वारा हम अपने वर्षों के उस अनुभव को भुलाने जा रहे हैं, जिसको हमने संचित किया था। इस खंड को स्वीकृत कर हम एक इनडाइरेक्ट एलेक्शन की पद्धति को, सभापति के चुनाव की व्यवस्था में स्वीकार करने जा रहे हैं। जहां कहीं भी स्वायत्त

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

शासन का प्रबन्ध हुआ है वहां के इतिहास या संगठन की तरफ अगर हम दृष्टि फेरेंगे तो हम यह पायेंगे कि जहां कहीं भी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से सहारा लिया गया है वहां पर सभापति को ऐसे अधिकार नहीं दिये गये हैं जैसे कि अधिकार इस हमारे म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट में दिये हुये हैं। माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात के साक्षी हैं। उन्होंने अपने भाषण में इस बात की ओर इशारा किया था कि जो हमारे यहां प्रेसीडेंट की ताक़तें हैं, जो हमारे म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट में हैं, वह शायद बाम्बे कारपोरेशन, या मदरास कारपोरेशन या कलकत्ता कारपोरेशन के प्रेसीडेंट की नहीं हैं। शक्तियां हैं, वह दूसरे प्रकार की हैं। प्रश्न यह उठता है, केवल यही प्रश्न नहीं उठता कि हम सभापति का चुनाव प्रत्यक्ष करें या अप्रत्यक्ष करें, तो इतने ही से समस्या का हल हो जाता है। अगर हम चुनाव की पद्धति को बदलते हैं तो हमें उसके साथ ही साथ सभापति के अधिकार, बोर्ड के सदस्यों के अधिकार, सभापति और सदस्यों को मिलाकर बोर्ड के अधिकार, सभी अधिकारों की ओर दृष्टिपात करने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट में पिछले वर्ष यहां वाद-विवाद हो रहा था, तो इस आदरणीय सदन में सभी ओर से माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की थी कि जल्दी से जल्दी इस प्रदेश में लोकलसेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड बनाया जाय। विभागीय नियन्त्रण से हमारे प्रदेश के म्युनिसिपल बोर्डों, टाउन एरियाज़ और नोटिफाइड एरियाज़ को मुक्त किया जाय। वहां के सभापतियों और बोर्ड को स्वतंत्र गति से लोकलसेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड के नियंत्रण में कार्य करने का मौका दिया जाय। तो श्रीमन्, आपको याद होगा कि उस समय माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम इसमें सिद्धांतों की विवेचना नहीं कर रहे हैं हम केवल चुनाव करवाने के बालिग मताधिकार के अनुसार चुनाव कराने के लिये वर्तमान विधेयक ला रहे हैं। उन्होंने सदन में विश्वास दिलाया था कि कबाल टाउन्स में यानी कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ—इन शहरों मे कारपोरेशन की स्थापना करते समय जो विधेयक वह लायेंगे, उसमें सारे सिद्धांतों पर विचार कर, जिन सिद्धांतों को सदन स्वीकार करेगा, उन्हीं के आधार पर म्युनिसिपैलिटीज़ का नया विधान बनाया जायगा, नये संशोधन लाये जायंगें।

श्री अध्यक्ष—आम बहस शुरू कर दी आप ने। यह जो खंड है उसी पर बोलिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—उसी पर आ रहा हूं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि माननीय मंत्री जी ने पहले कारपोरेशन बिल में जिन सिद्धांतों को लाने का वायदा किया था वे सिद्धांत हमारे सामने नहीं आये। उसमें यह भी था कि प्रेसीडेंट का चुनाव बालिग मताधिकार के अनुसार होगा या प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, यह बहुत बड़ा सिद्धांत था। लेकिन उस समय का इंतज़ार किये बिना, एक साल की ही इस एक सीमा के अन्दर माननीय मंत्री जी ने अपनी सारी पुरानी व्यवस्था की हत्या कर दी और उन्होंने सारी चुनाव प्रणाली जो थी, बालिग मताधिकार की प्रणाली या पद्धति के अनुसार जो चुनाव होता था, उस व्यवस्था को फेयर ट्रायल नहीं दिया। वे स्वयं इस बात का उत्तर दें कि उन्होंने इस सिस्टम को कि सभापति बालिग मताधिकार के अनुसार चुना जाय, इसको फेयर ट्रायल दिया, पर्याप्त समय दिया? मैं समझता हूं कि सदन के प्रत्येक सदस्य की राय होगी कि उन्होंने बिना उस प्रणाली को पूरा समय दिये एक असमय से इस खंड को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सवाल यह उठता है कि आया इस चुनाव से कोई चीज हल होने जा रही है, किसी प्रकार की कोई गुत्थी सुलझने वाली है? मैं समझता हूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी की यह शिकायत है कि पिछले साल भर के अन्दर ४७८ शिकायतें उन बोर्ड्स की आ गयीं। श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि आप के पास सन् ३७ से मिनिस्ट्री के जमाने की या सन् ४६ से ५० तक कितनी शिकायतें आईं, इसके हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। अगर किसी प्रकार इस समय की फायल हमें मिल सकती या माननीय मंत्री हमको बतलाते तो मैं तुलना कर सकता कि जिस समय अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिये म्युनिसिपल बोर्ड्स के चेयरमैनों का चुनाव होता था

उस समय कैसी हालत थी ? उस समय कितनी शिकायतें आईं ? अगर ये भी आंकड़े मालूम होते तो आज हम कह सकते कि ४७८ क्या, हजारों शिकायतें उन वर्षों में आई होंगी। जब माननीय विजय लक्ष्मी पंडित स्वायत्त शासन विभाग की मंत्राणी थीं तो उन का एक कोटेशन मैं देना चाहता हूं। उन्होंने तो चेयरमैन की पोस्ट ही एबालिश कर दी थी नामिनेटेड या इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने गये चेयरमैनों की। ह्यु टिकर ने एक नई किताब लिखी है और उसमें इस सम्बन्ध में एक नया विश्लेषण किया गया है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स ने भी यही राय दी कि म्युनिसिपल बोर्ड्स में अप्रत्यक्ष चुनाव होना हानिकारक होगा, जब तक कि इंग्लैंड के पैटर्न को लागू न किया जाय। इंग्लैन्ड के पैटर्न के मुताबिक प्रेसीडेंट का टर्म एक साल के लिये होता है। इसमें मैं यह उदाहरण पेश कर रहा हूं --

"In pronouncing the dissolution of the U. P. education committees in 1939, Mrs. Vijay Lakshmi Pandit had this to say :

> 'With the creation of education committees ..... the enthusiasm of the district boards abated to a great extent. The Chair of the education committee .... became gradually degraded and has now become a marketable commodity obtainable through bargaining at the time of the election of the chairman of the district board ..... education committees have in recent years been manned by people entirely unconnected with education."

इसी प्रकार आगे चल कर इसी पुस्तक में कहा गया है कि नान आफिशियल चेयरमैन कहां पर सफलता प्राप्त कर सकता था:--

> "Only when a Chairman was able to command a steady majority by reason of unusual powers of personality, by the possession of wealth or territorial influence-or in the case of Congress Boards only, by reason of unquestioning party support only then could there be continuity and efficiency in local board affairs."

ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस जिन दिनों में होते थे, किन हालतों में सफल हो पाते थे उसका एक विश्लेषण एक विदेशी लेखक ने किया है। अब जैसा कि माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कुछ बोर्ड्स में स्थिति ऐसी है जहां चेयरमैन एक पार्टी के हैं या स्वतंत्र हैं, और बोर्ड में अलग-अलग दल बने हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जहां किसी दल विशेष की मजारिटी बोर्ड में नहीं है वहां पर क्या होगा ? क्या यह सही नहीं है कि फिर वहां बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी उसूल के चेयरमैन बनाने और बिगाड़ने के लिये एलायेंसेज हुआ करेंगे ? पार्टीज सिद्धान्तों को, कार्यक्रमों को बलायताक पर रख कर अपने व्यक्तिगत या जाति स्वार्थों की रक्षा के लिये एलायेंसेज बनायेंगे। श्रीमन्, आपको याद होगा कि, जिन दिनों हम स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे उस समय एक अच्छे कार्यक्रम को ले कर भी कांग्रेस को म्युनिसिपल बोर्डों में चुनाव जीतने में दिक्कत हुई थी, क्योंकि वहां दूसरी ही बातें काम करती हैं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२* मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस समय जब कि हम लोग कांग्रेस की टिकट पर आजादी के उद्देश्य को ले कर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ा करते थे, उस समय भी शहरों की विशेष परिस्थिति को देखते हुये म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव को किसी एक आधार पर जीतना असंभव होता था, असंभव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य

---

* गणपूर्ति के अभाव के कारण कार्यवाही ७ मिनट देर से आरम्भ हुई।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

होता था। आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी को यह विश्वास है कि वे सभी बुराइयां जो हो रही हैं, किसी विशेष पद्धति के चलाने के कारण हैं? माननीय मंत्री का खयाल यह है कि जितनी भी बोर्ड्स की बदइंतजामी है, जो शिकायतें आ रही हैं वह दूर हो जायंगी अगर यह पद्धति बदल दी जाय। मैं नहीं जानता कि उनके पास जो ये ४७८ शिकायतें आयी हैं, वे किस कारण से हैं। उनका कारण यह भी हो सकता है कि कोई शिकायत नियुक्ति के बारे में हो, कुछ शिकायतें टैक्स लगाने के बारे में भी हो सकती हैं, कुछ शिकायतें प्रेसीडेंट के दबाव के बारे में भी हो सकती हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पहले ही साफ कर चुका हूं कि ये शिकायतें मेम्बरों की प्रेसीडेंट्स के खिलाफ हैं न कि नियुक्ति, टैक्स आदि के सम्बन्ध में हैं। सदन का समय बेकार न लिया जाय, इसलिये मैं फिर यह बता देना चाहता हूं कि शिकायतें सिर्फ प्रेसीडेंट और मेम्बरों के आपसी झगड़े की हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्हें दुबारा स्पष्टीकरण की आवश्यकता प्रतीत हुई। मैं स्वयं ही इस बात को कहने वाला था, इसलिये उनका जो इंटरवेंशन का स्वभाव हो गया है, अगर उसको वह कम करने की कृपा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

मैं यह कह रहा था कि मेम्बरों और सभापति के संबंधों के विषय में उनके पास जो शिकायतें पहुंची हैं, इन शिकायतों का इस चीज से कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये मैं भुवाली की मिसाल प्रस्तुत करता हूं जहां कांग्रेसी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों का झगड़ा नहीं है। वहां पर प्रेसीडेंट के अतिरिक्त ९ के ९ मेंम्बर कांग्रेसी हैं। लेकिन उस जगह भी चेयरमैन को इस्तीफ़ा देना पड़ा, उसका कारण केवल गुटबंदी थी, जो कांग्रेसी मेम्बरान के बीच में आपस में थी। अभी फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मामला भी आया। इसलिये नहीं कहा जा सकता कि गुटबंदी या जिच केवल इसलिये होती है कि विभिन्न पार्टियों के लोग चुन कर आते हैं या दूसरी पार्टी का चेयरमैन चुन कर आ जाता है। क्योंकि कभी भी पार्टी की अलाइंसेज भी बदल सकती हैं, लोग एक पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। स्वतन्त्र उम्मीदवार भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं नहीं, दूसरे स्थानों पर भी ऐसा होता है। उदाहरण के लिये जब कि विधान सभा के अन्दर ऐसी स्थिति देखी गयी है कि पार्टियां सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि स्वार्थों के आधार पर बदल जाती हैं। इस सम्बन्ध में एक बयान आंध्र के डिप्टी लीडर आफ दि हाउस श्री संजीवा रेडी ने दिया है, जिसमें कहा गया है कि आंध्र कांग्रेस मंत्रिमंडल को इसलिये स्तीफा देना पड़ा कि कुछ मेम्बरों के कहने के अनुसार एक सब-इंसपेक्टर का तबादला नहीं किया गया। इसलिये अलाइन्सेज भी बदल सकती हैं, गुटबंदी भी हो सकती है। आपने म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन की स्थिति को एक अजीब डांवांडोल बना दिया है। एक ओर तो उसको आप ने व्यापक अधिकार दे दिये हैं और दूसरी ओर आपने उसको जनता का जिम्मेदार बनाने के बजाय मेम्बरों के प्रति जिम्मेदार बना रहे हैं। अगर उसने दो-चार मेम्बरों का भी सपोर्ट खो दिया तो उसको अविश्वास के प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा।

मेरा तो निश्चित विश्वास है, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं और न उसके होने का दावा ही करता हूं, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि इनडाइरेक्ट एलेक्शन के बाद माननीय मंत्री जी के पास शिकायतों की वृद्धि ही होगी। इससे उनकी समस्या कोई सुधरने वाली नहीं है। एक मिसाल मैं और दूं, मान लीजिये कि एक सभापति या प्रेसीडेंट सिम्पुल मैजारिटी से चुना जाय, बोर्ड के ४० सदस्य हों और तीन-चार उम्मीदवार खड़े हों और १५ वोट पाने वाला व्यक्ति मेम्बर चुना जाता है। ऐसे बोर्ड तो ४० सदस्यों का है लेकिन वह १५ मतों से चेयरमैन

चुना जाता है । तो १५ मतों से चुना हुआ चेयरमैन बाकी २५ मतों के खिलाफ जाता है, दो उम्मीदवारों के बीच में, तो आप सोचें कि चुना तो वह अल्पमत से गया है और ४० सदस्यों के बोर्ड को चलाना है, इस तरह से पहले ही उनकी स्थिति अपरिहार्य हो जायगी और वह काम नहीं कर सकेगा, जिच पैदा हो जायगी । एक परिस्थिति नहीं बल्कि कितनी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि इनडाइरेक्ट एलेक्शन आगे चल कर घातक सिद्ध हो सकता है और माननीय मंत्री जी ने यहां पर जो तर्क दिया , उन्होंने केवल इतना ही कहा कि हमने कोई कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी के आधार पर यह बात नहीं उठायी है और कुछ मिसालें भी उन्होंने पढ़ीं, मैं उस विवाद का उत्तर नहीं देना चाहता लेकिन म केवल इतना ही कह सकता हूं कि थोड़ी देर के लिये मान भी लें कि माननीय मंत्री जी ने अपने प्रशासन में किसी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से काम नहीं लिया है, लेकिन इस विधेयक को लाकर के उन्होंने पक्षपातपूर्ण नीति का परिचय दे दिया । मैं कहूंगा कि कम से कम जो तर्क अनेक माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये थे कि तमाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जहां पर एक पार्टी का बहुमत है, वहां के लिये उन्होंने इनडाइरेक्ट एलेक्शन की बात न सोची । लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड्स में जहां पर कि उनकी पार्टी का बहुमत नहीं मिला , उन्हें फौरन ही इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुयी, इस तर्क का उत्तर उनसे कुछ नहीं बना । मैं चाहता हूं और माननीय मंत्रीजी से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि वे इस तर्क का समुचित उत्तर दें कि जो स्थिति डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की नहीं थी, जो आवश्यकता डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के चुनाव में नहीं प्रतीत हुयी, उसको आज म्युनिसिपल बोर्डस के ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं । उन्होंने हमको बतलाया है कि हमने माननीय कुंवर गुरुनारायण के बिल को इस प्रकार से स्वीकार कर लिया है । मैं तो नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी माननीय कुंवर गुरुनारायण के विचारों से कहां तक सहमत हैं लेकिन उनकी बातों से यह प्रतीत हुआ कि उन्होंने कम से कम म्युनिसिपल बोर्ड्स की राय जानने की कोई चेष्टा नहीं की । उनका कहना है कि म्युनिसिपल बोर्ड स्वयं उनको राय दे दें । मैं नहीं समझता कि बिना माननीय मंत्री जी की इच्छा के म्युनिसिपल बोर्ड्स ऐसी राय कैसे दे सकती हैं ? वहां पर विभिन्न रायों और अलग-अलग विचारधाराओं का होना सम्भव हो सकता है, लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड्स से इस सम्बन्ध में कोई राय न लेना, मैं समझता हूं कि यह किसी प्रकार से भी उचित कार्य नहीं रहा । मैं इस समय सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर चुका हूं और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप भले ही इस खंड को पास कर दें लेकिन आने वाला समय इस बात का साक्षी रहेगा कि जो अप्रजातांत्रिक और प्रतिक्रियावादी कदम इस खंड को स्वीकार करके उठाया जा रहा है उसके लिये भविष्य का इतिहास और आने वाला जमाना हमको कभी धन्यवाद नहीं देगा, हमको बधाई का पात्र नहीं बनायेगा ।

**श्री सुल्तान आलम खां**—इसमें जो संशोधन पेश होने वाला है वह हो जाय तो ठीक है ।

**श्री उपाध्यक्ष**—मैं समझता हूं कि मैं सदन को यह सूचना दे दूं कि खंड ९ पर एक संशोधन मेरे पास आया है ।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार जो यहां और हर सदन में चली आयी है और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस मेरे पास यहां मौजूद है, हाउस आफ कामंस में भी यही तरीका रहा है कि जब पूर्ण खंड का विरोध हो रहा है और सारे खंड का प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और कोई संशोधन का प्रश्न हमारे सामने नहीं है तो इस समय इस खंड पर कोई संशोधन नहीं आ सकता । इसलिये मैं इस समय अमेंडमेंट की रिलेवेन्सी के बारे में रूलिंग चाहता हूं ।

**श्री व्रजविहारी मिश्र**—उपाध्यक्ष महोदय, जब तक संशोधन प्रस्तुत न किया जाय उससे पहले ही एतराज करना कहां तक उचित होगा, यह भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं समझता हूं कि मूव करने वाले माननीय सदस्य संशोधन पेश ही न करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्य चाहें तो अपना संशोधन उपस्थित करें ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ६ में प्रस्तावित धारा 43 (1) की जगह निम्नलिखित रखने का प्रस्ताव करता हूं:—

"43. (1) As soon as may be after the election of the members of the board is completed at a general election, the members shall elect a President of the board in the manner mentioned as under :—

(*i*) A meeting of the board of which no previous notice shall be required to be given shall be held at the office of the board at 1.00 p.m., on a date which shall be fixed by the State Government by notification in the official gazette.

(*ii*) A stipendiary judicial officer previously appointed by the State Government in this behalf shall act as Chairman of a meeting held under the provisions of this Section, provided that such Chairman shall have no right to vote thereat.

(*iii*) The following procedure shall be observed at a meeting held under the provisions of this Section, namely (*a*) voting shall be by show of hands.

(*b*) if only one duly qualified candidate is proposed and seconded, he shall be deemed to be elected.

(*c*) If two but not more than two duly qualified candidates are proposed and seconded, the candidate who obtains the greater number of votes shall be deemed to be elected.

(*d*) If more than two duly qualified candidates are proposed and seconded, the names of the two candidates who obtain the greatest number of votes shall again be put to the vote and the candidate who then obtains the greater number of votes shall be deemed to be elected.

(*e*) In case of equality of votes the chairman shall decide the question by drawing lots."

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में पेज ४०० से ४०४ तक जो चेप्टर है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । उसमें लिखा हुआ है कि ३६ घंटे की सूचना आवश्यक है, यह तो इतना महत्वपूर्ण संशोधन है कि जिसकी सूचना अभी तक एजेंडा में भी नहीं थी और जिसको मैं भी अभी तक नहीं पढ़ पाया हूं कि उसमें है क्या ? माननीय रामनरेश शुक्ल का जो संशोधन था वह आपने कल हमारे पास भिजवा दिया था । तो मेरी पहली आपत्ति तो यह है कि हमें ३६ घंटे की सूचना नहीं मिली है ।

लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो दूसरी व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखा है और उसके लिये पूरा परिच्छेद प्रस्तुत किया है । उसमें पांच छ जगह लिखा हुआ है जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जब अमेंडमेंट्स की लिस्ट समाप्त हो गयी और सारा ही खंड समाप्त हो तो एक ही प्रश्न पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार हो सकता है कि वह खंड उस विधेयक का अंग माना जाय या नहीं । जब यह विवाद शुरू हो गया है तो उसके मध्य में पहले तो कोई संशोधन ही नहीं हो सकता और दूसरे आपको याद होगा कि जिस समय आप यहां पर उपस्थित नहीं थे माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे इजाजत दी थी कि क्रम संख्या ८ आइटम को पेश करूं जिसका अर्थ विरोध होता है । आइटम ८ पर लिखा हुआ है कि खंड ६ निकाल दिया जाय तो इसका अर्थ

यह होता है कि सारे संशोधनों पर विचार समाप्त करने के बाद ही मेरे संशोधन पर विचार आरम्भ हुआ यानी पूरे खंड का विरोध आरम्भ हुआ है और अभी उस पर विचार समाप्त नहीं हुआ है, तो बीच में एक नया संशोधन जब तक यह संशोधन उपस्थित न हो जाय कि पूरा खंड निकाल दिया जाय, नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार पहला एतराज मेरा ३६ घंटे की सूचना का है और दूसरा उससे बड़ा एतराज यह है कि जब खंड के सारे संशोधन समाप्त हो गये हों और विरोध का सवाल आये तो कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता, जब तक उस विरोध के प्रश्न पर विचार नहीं हुआ है तब तक कोई नया संशोधन नहीं लाया जा सकता।

श्री व्रजविहारी मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एतराज माननीय नारायण दत्त जी की तरफ से उपस्थित किये गये हैं उचित नहीं हैं। किन कारणों से नहीं हैं मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो यह कहना कि ३६ घंटे की नोटिस होनी चाहिये सही है परन्तु अगर सदन चाहे तो किसी भी प्रस्ताव के लिये अनुमति दे सकता है और अगर सदन अनुमति दे तो वह संशोधन उपस्थित किया जा सकता है। यह तरीका पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार है, माननीय तिवारी जी भी इन्कार नहीं करेंगे कि इस सदन को अनुमति देने का अधिकार है। दूसरा एतराज माननीय तिवारी जी का यह हुआ है कि जिस वक्त यह संशोधन उपस्थित कर दिया गया कि यह खंड निकाल दिया जाय तो उसके बाद यह संशोधन नहीं आ सकता है। यह भी उचित नहीं जान पड़ता इसलिये कि अगर खंड ९ पर विचार समाप्त हो गया होता तो ठीक था। लेकिन अभी उस पर विचार जारी है और जब माननीय तिवारी जी ने उसी के सम्बन्ध में यह संशोधन उपस्थित किया है कि उसको निकाल दिया जाय तो फिर यह भी संशोधन उपस्थित किया जा सकता है। अर्थात् यदि कोई खंड ९ में संशोधन करना चाहे तो वह उपस्थित कर सकता है। तो यह हमारी दूसरी दलील है उनके उस तर्क के उत्तर में। मैं समझता हूं कि जो संशोधन मैंने उपस्थित किया है कि वह बिलकुल इन आर्डर है और बिलकुल उचित है। इस पर श्रीमन्, जैसा मैंने कहा, सदन की अनुमति के लिये सदन की राय भी ले सकते हैं कि इस पर सदन अनुमति देता है या नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एतराज अभी मेरे दोस्त नारायण दत्त जी ने उठाया है उसके बारे में नियम ११२ में प्राविजन है :—

"If a notice of a proposed amendment has not been delivered to the Secretary thirtysix hours before the meeting of the Assembly at which the Bill is to be considered, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved :"

तो यह तो आपके कतई अख्तियार में है कि अगर आप इजाजत दें तो यह मूव किया जा सकता है। दूसरे यह कि मेरे दोस्त ने जो अमेंडमेंट किया है कि इस धारा को निकाल दिया जाय वह अमेंडमेंट की सूरत में नहीं हो सकता था। लेकिन बहरहाल डिस्कशन में उन्होंने कहा कि इसको निकाल दिया जाय। लेकिन अगर निकाल दिया जायगा तो उससे जो वैकुअम पैदा हो जायगा उसको फिलअप करने के लिये कोई चीज होनी चाहिये और इसलिये यह मुमकिन हो सकता है कि आप इस अमेंडमेंट को मूव करने की इजाजत दे दें। मैंने जो क्वेश्चन मूव किया था और जिस समय मैं उसे वाइंड करने जा रहा था उस समय यह सवाल पैदा हुआ और उस समय उस पर गौर करने के बाद यह अमेंडमेंट रखा गया। इसके अलावा रूल्स २२२ और २२४ की तरफ में आपकी तवज्जेह दिलाना चाहता हूं। रूल २२२ में है –

"222. If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the decision of the Speaker shall be final."

और रूल २२४ में है :

"224. No decision of the Speaker in respect of disallowance of any resolution or question or in respect of any other matter shall be questioned."

[श्री सुल्तान आलम खां]

तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि यह कतई आपके हाथ में है कि चूंकि एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया है और हमारे सामने इस पूरे खंड को निकाल देने का सवाल है अतः इस समय अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन आये कि जो सारे हाउस को एक्सेप्ट हो तो वह मंजूर किया जा सकता है।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैंने अपना संशोधन वापस किया था तो उस समय माननीय सदन से यह प्रार्थना की थी और एक तरह से उधर के बैठने वालों को नोटिस दिया था कि इस विषय पर एक विस्तृत संशोधन थोड़ी देर में पेश किया जायगा और इसलिये मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय विराजमान थे। तो मैं समझता हूं कि जैसा हमारे दोस्त सुल्तान आलम साहब ने कहा कि ऐसा अक्सर हुआ करता है और आखिरी वक्त में श्रीमन् आज्ञा दे दिया करते हैं संशोधन पेश करने की, तो उस असाधारण स्थिति का और जो कंवेंशन अब तक यहां रहा है उसका सहारा लेते हुए यह संशोधन आशा की जाती है कि श्रीमन् पेश करने की अनुमति देंगे। श्रीमन् तो अनुमति दे ही चुके हैं, इसको सदन के सम्मुख रखने की अनुमति देंगे।

श्री इस्तफा हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जनाबवाला, मेरा ख़याल यह है कि यह असल में एक अमेंडमेंट है और हर स्टेज पर लाया जा सकता है। इसके अल्फाज इस तरह के होने चाहिये कि यह निकाल दिया जाय और इसकी जगह हस्बेजैल निम्नलिखित रख दिया जाय। अगर यह अल्फाज हैं तो यह किसी स्टेज पर भी मूव किया जा सकता है और मैं समझता हूं कि इस आब्जेक्शन में ज्यादा जान नहीं है।

(श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर)

श्री ब्रजविहारी मिश्र—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी ने एतराज पेश किया है, आब्जेक्शन रेज किया है और आब्जेक्शन में एक ही बार बोलने का अधिकार होता है। उसके विवाद का जवाब देने का अधिकार विधान में आब्जेक्लन रेज करने वाले को नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप कोई कानूनी बात पेश करना चाहते हैं तो उनको मौका देने में मैं कोई हर्ज नहीं समझता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे वास्तव में कभी-कभी आश्चर्य होता है कि वास्तव में हम पार्लियामेंटरी पद्धति का अनुकरण करना चाहते हैं या उसकी अवहेलना। माननीय रामनरेश जी ने बतलाया कि उन्होंने हमको नोटिस दे दिया था। मैं नहीं जनता कि नोटिस किस प्रकार का दिया था लेकिन मैंने उनको इतना जरूर कहते हुए सुना था कि आप यह दूसरी बात जो कह रहे हैं वह नहीं कह सकते हैं और आप यह कहिये कि वापस ले लिया। तो उन्होंने सीधे सादे कह दिया कि वापस ले लिया और फिर प्रश्न उपस्थित हो गया। इसको (अमेंडमेंट को) लाने का एक ही तरीका हो सकता है कि जिस समय अंतिम संशोधन समाप्त हो गया उस समय एक मोशन माननीय मंत्री की तरफ से आता कि इस प्रश्न पर डिबेट सस्पेंड की जाय ताकि नया संशोधन लाया जा सके। जिस समय मैं खड़ा हुआ उस समय माननीय रामनरेश जी और माननीय मंत्री जी चुप थे लेकिन जब मेरा प्रश्न चल रहा था तो उसके बीच में एक संशोधन लाना किसी प्रकार से पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुकूल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम पार्लियामेंटरी पद्धति को सुदृढ़ बनायें और कम से कम मौका दें कि हम लोग कुछ सीख सकें और कुछ नहीं तो बेकार है मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस रूल्स वगैरह बनाना, और अगर पालन नहीं करना है तो अलग बात है।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामूली तौर पर इस वक्त कोई संशोधन पेश नहीं होना चाहिये। पर यह जो संशोधन इस वक्त पेश किया जा रहा है वह एक प्रकार से महत्व का है और जैसा कहा जा रहा है कि इसके द्वारा जो कुछ कमी पड़ी है वोटिंग की बाबत, वह कमी इससे पूरी हो सकती है। मुझे मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की बाबत बतलाया गया है। मैं मानता हूं कि मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के आधार पर हमारे बहुत से काम हुआ करते हैं। परन्तु जहां हमारे नियम बन चुके हैं वहां केवल मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की दुहाई मुनासिब नहीं है। जब यह सदन अपना नियम ११२ बना चुका है और जहां किसी संशोधन में हमें यह मौका मिलता है कि किसी एक धारा को अच्छी तरह से ला सकें तो ऐसे मौके पर किसी संशोधन को रोक देना मुनासिब बात नहीं है। यह आज कोई नयी बात नहीं कर रहे हैं। पहले भी ऐसे मौके आये हैं जबकि किसी बिल में संशोधन करने के लिये बड़ी लेट स्टेज में भी इजाज़त दे दी गयी है और इसमें भी सारे सदन को उस पर विचार करना है, उसमें कोई बड़ी आपत्ति की बात रह नहीं जाती है। इसलिये जो अधिकार नियम ११२ के मुताबिक दिया गया है उसके अनुसार मैं इस संशोधन को पेश करने की आज्ञा दिये देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा जो प्रश्न विचारार्थ था, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—यदि यह संशोधन स्वीकृत हो जायगा तब तो जो आपका विरोध है वह रह जायगा, या मैं राय ले सकूंगा। मैं श्री नारायणदत्त तिवारी का ध्यान नियम ११६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिस वक्त यह विरोध का उनका प्रस्ताव होगा, उसको लिया जायगा, उस वक्त मैं यह बात सदन से पूछ लूंगा कि संशोधन के सहित स्वीकार करना चाहिये या नहीं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—यह तो अमेंडमेंट में अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से यह कह देना चाहता हूं कि यह जो नारायणदत्त तिवारी जी ने सवाल पेश किया था, वह अमेंडमेंट नहीं है बल्कि विरोध के रूप में है। तो विरोध के मामले में भी नियम ११६ के अनुसार अन्त में ऐसी राय ली जा सकती है कि अमेंडमेंट के रूप में वह स्वीकार किया जाय या नामंजूर किया जाय, जैसा उसका विरोध है। (श्री व्रज विहारी मिश्र से) संशोधन पर आप भाषण करें।

श्री व्रजविहारी मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि आपको धन्यवाद दूं कि आपने उचित व्यवस्था दी है और इसके अनुसार यह संशोधन जो मैंने प्रस्तुत किया है वह सदन के समक्ष विचारार्थ आ गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही कल मैंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि अध्यक्ष का चुनाव किस प्रणाली से होना चाहिये अब हमने एक तरह से इसको मान लिया है, संशोधन कर दिया है कि जो चुनाव होगा वह जो डाइरेक्ट मैथड था उसके अनुसार चेयरमैन का चुनाव नहीं होगा बल्कि इन्डाइरेक्ट रीति से होगा। अब यह विचारणीय प्रश्न है कि चुनाव कैसे किया जाय। इस पर जो इस विधेयक में दिया गया था खंड ९ के ४३ (१) में वह इस प्रकार था कि:

"43. (1) As soon as may be, after the election of members of a board is completed at a general election, the members shall elect a President of the Board in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो उपस्थित है इस पर बहुत वादविवाद इस सदन में हो चुका है और हर तरफ के लोगों ने इसके पक्ष में और विपक्ष में बातें बतलायी हैं। मैं इस राय का हूं कि यह एलेक्शन जो हो वह सफाई के साथ होना चाहिये। सिंगिल ट्रांसफरेबुल वोट का इसमें प्रश्न ला देना उचित नहीं मालूम होता है। जो एलेक्शन अध्यक्ष का हो वह किस प्रकार से हो मैंने इस संशोधन में एन्युमरेट कर दिया है। मीटिंग की तारीख

[श्री व्रज विहारी मिश्र]

की भी कभी-कभी गड़बड़ी पायी जाती है उसके लिये भी मैंने अपने संशोधन में यह शर्त रख दिया है कि उसकी तारीख स्टेट गवर्नमेंट निश्चित करके आफिशियल गजट में घोषणा कर देगी जिससे यह सबको मालूम हो जायगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो तारीख चुनाव के लिये निश्चित की जाती है, उस पर बहुत से मेम्बरों को एतराज होता है कि उनको नोटिस नहीं मिलती, एजेंडा नहीं मिला। इसलिये यह रख दिया है, मैंने अपने संशोधन में, कि उसके लिये आफशियल गजट में तारीख दे दी जायगी और फिर उसके बाद हर व्यक्तिगत मेम्बर को सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि गजट में वह दिन निश्चित कर दिया जायगा और दिन ही नहीं बल्कि मैंने तो समय भी रख दिया है कि १ बजे दिन में चुनाव होगा। इसके बाद यह भी रख दिया है कि कौन प्रेसाइड करे, उस मीटिंग में। इसके लिये यह नियम मैंने रखा है कि जो वैतनिक सिविल आफिसर हो वह प्रिसाइड करे, जैसे सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज या और कोई आफिसर दीवानी का, प्रिसाइड करे, मैंने जानबूझकर कलेक्टर को या कलेक्टरी के किसी आफिसर का नाम नहीं रखा है ताकि किसी को कोई विरोध न हो। जुडिशियरी के लोग निष्पक्ष होते हैं। इसलिये यह रखा है कि वही प्रिसाइड करे। वोटिंग के लिये भी नियम रखा है कि वोटिंग कैसे करायी जाय। उसमें मैंने यह नियम रखा है कि अगर एक नाम प्रस्तुत किया जाना है, तो वह डिक्लेयर कर दिया जायगा, अगर दो नाम प्रस्तुत किये जाते हैं तो वोटिंग हो जायगी और जो ज्यादा वोट पायेगा उसका नाम घोषित कर दिया जायगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि तीन नाम या चार नाम आ जाते हैं। तो उसके लिये भी साफ नियम रख दिया है ताकि कोई ऐम्बिगुईटी न रह जाय। अगर दो से अधिक नाम प्रस्तुत किये गये तो जिन दो आदमियों को सबसे ज्यादा वोट मिला रहेगा, उन आदमियों में फिर से वोटिंग हो जायगी उसी प्रणाली से जिसका जिक्र ऊपर किया गया है और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसका नाम घोषित कर दिया जायगा। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है वह सब चुनाव को सिम्पलीफाई कर देता है, बिलकुल आसान बना देता है एलेक्शन को। मैं उन सारी दलीलों को फिर दुहराना नहीं चाहता जो कि कही जा चुकी है। मैं समझता हूं कि जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है वह ऐसा है कि जो सबको मान्य होगा और माननीय मंत्री महोदय से मैं खास तौर पर इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—श्रीमन्, मुझे दुख है कि मुझे फिर आपको एक व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में तकलीफ देनी पड़ रही है। आज की जो कार्यसूची है उसमें माननीय इस्तफा हुसैन के संशोधन नं० ४ को कृपया देखिये जिस पर आज विवाद हो चुका है। मैं इसको पढ़ देता हूं—

"43. (*a*) As soon as may be, after a Board is completed at a general election, the members shall elect a President of the Board by a simple majority vote, in case there are only two candidates, and in case of more than two candidates, by the system of eliminating the candidate or candidates obtaining lesser votes than the two candidates obtaining the greatest number of votes at the first round of voting and again putting to the vote the names of the remaining two candidates.

Every member desiring to vote shall raise his hand when names of candidates are put to vote."

यह सारांश में बिलकुल वही है जोकि अभी माननीय व्रजविहारी जी ने संशोधन रखा है, बल्कि इसकी जो उपधारा (बी) है वह बिलकुल करीब करीब वही है जोकि इनकी उपधारा (डी) की है। वह यह है—

"(*b*) Every member desiring to vote shall raise his hand when names of candidates are put to vote"

तब अब प्रश्न केवल यह उठता है कि काफी विवाद के बाद माननीय इस्तफा हुसेन जी का जो संशोधन था वह वापस ले लिया गया और इस हाउस ने इस प्रश्न को स्वीकार कर लिया कि इस सब्सटेंस के मतलब रखने वाले अमेंडमेंट को वापस ले लिया जाय, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि जिस संशोधन को हाउस ने काफी वाद-विवाद के बाद वापस लेने को कह दिया क्या उसको दूसरे रूप में उसी सब्सटेंस का अमेंडमेंट हम स्वीकार कर सकते हैं जबकि उसकी भाषा भी करीब करीब वही है ?

श्री उपाध्यक्ष—अगर कोई संशोधन अस्वीकृत होने के बाद दूसरे रूप में रखा जाय तो वह नहीं माना जायगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन दोनों में बड़ा अन्तर है, इसलिये मैं इसको गलत नहीं समझता हूं।

श्री ऐजाज रसूल—जनाब वाला, जो तरमीम मेरे दोस्त ने पेश की है मैं उसकी ताईद के लिये खड़ा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब इनडायरेक्ट एलेक्शन हो रहा है तो वोट्स खुले आम होना चाहिये और हर शख्श को अख्तियार है कि जिसको चाहे वोट दे। बहुत से मेम्बर्स में आप देखें कि क्वालिफिकेशंस हैं नहीं और अगर वह सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट के तरीके पर वोट देंगे तो उनको बड़ी दुश्वारी होगी। इसलिये यह जो तरीका है वह निहायत सिम्पिल है। अगर लोग यह समझते हैं कि हमें फलां को वोट देना है तो वह हाथ उठा देंगे। आप देखेंगे कि अब पार्टियां बन चुकी हैं। सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरा पार्टियां के तरीके से सब मेम्बर बोर्ड में काम करते हैं और सब मेम्बर्स अपनी अपनी पार्टी की मर्जी के मुताबिक वोट देते हैं। तो यह खयाल करना कि वोट परचेज हो जायेंगे, वोटों में गड़बड़ी होगी यह मुनासिब नहीं है। आप अपने यहां ही देखें, इतने रोज हो गये लेकिन तरीका यही है कि रेजोल्यूशन होने के बाद हर पार्टी अपने व्हिप के मुताबिक वोट देती है। तो उसी सूरत से म्युनिसिपल एलेक्शंस में भी, प्रेसीडेंट के एलेक्शन में भी, जो पार्टी होगी उसी के इशारे पर वोट दिया जायगा। तो मेरे खयाल में यह बहुत अच्छा तरीका निकला और यह ट्राइड तरीका था कि जहां कि इनडाइरेक्ट एलेक्शंस हमेशा से हो रहे थे और इसी तरीके से लोग वोट देते थे, लोगों को वाकफियत थी तो उसी तरीके को रहने दिया जाय। सीक्रेट वोटिंग करने और सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से लोगों को परेशानी होगी और ठीक तरह से वह वोट नहीं दे सकते, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि यह अमेंडमेंट भवन मंजूर करेगा, यह बहुत मुनासिब है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी सदन के सामने पेश हुआ है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मुझे यह सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ जबकि माननीय ऐजाज रसूल साहब ने यह कहा कि साहब वहां पर तो वोटिंग जो होगी वह अलग अलग पार्टियों की होगी और उनको जो व्हिप मिलेगी उसी के मुताबिक वोट देंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आंध्र में हुआ। हाल ही में वहां पर हमारी कांग्रेस की मैजारिटी थी, उसी मैजारिटी का समर्थन सरकार को प्राप्त था, लेकिन बावजूद कांग्रेस के व्हिप के कांग्रेस वालों ने मिनिस्ट्री के खिलाफ वोट दिया। और मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ा तो यह होता रहता है, गल्ती होती रहती है। लेकिन आप यह चाहते हैं कि आप दर्शक गैलरी में बैठे रहें और व्हिप बाहर से लगा रहे, जिसको आप लाइसेंस दें या फेवर दें उस से खुला वोट दिलायें। छिपा हुआ वोट कोई बात नहीं होती है। आप पार्टीबन्दी को बढ़ाना चाहते हैं। आप डराना चाहते हैं कि हाथ उठाकर वोट लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि चुनावों में जहां थोड़े से वोटर्स होते हैं और जब उनमें पैक्ट बनता है कि तुम हमारे साथी को सपोर्ट करो, हम तुम्हारे साथी को सपोर्ट करेंगे, यदि सीक्रेट बैलट होने लगता है तो लोगों को एतबार नहीं रहता है कि यह हमारा वोट देगा या नहीं।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

इसलिये यह खतरा है कि कोई वायदा कर जाय और फिर वोट न दे। इसको दूर करने के लिये हम यह चाहते हैं और इस पर काफी बहस भी हो चुकी है।

माननीय रामनरेश जी शुक्ल ने अपना संशोधन वापस ले लिया है। यह म्युनिसिपैलिटीज का मामला है और इसमें आप हाथ उठाकर वोट लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। इससे लोगों में बिटरनैस फैलेगी और लोग समझेंगे कि यह वैसा नहीं करता है। जिसको आप फेवर करते हैं अगर उसको वोट नहीं दिये जायेंगे तो उसके खिलाफ हो जायेंगे। अगर गुप्त वोटिंग हो तो उसमें कौन सी ऐसी दिक्कत है? इसलिये इसको हटा दिया जाय। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको माना जा सकता था। लेकिन हाथ उठाकर वोट देने का मैं विरोध करता हूं।

श्री नवल किशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन मिश्रा जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्याय जी ने इसके विरोध में आंध्र की बात कही तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो मिसाल दी वह स्वयं इस बात का सबूत है कि ओपेन वोटिंग हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। लेकिन बदकिस्मती से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में भी ऐसा ही हुआ। अगर ओपिन वोटिंग होता तो उनको कोई शिकायत नहीं हो सकती थी।

असल में हमारी मंशा यह है कि हमें चेयरमैन चुनना है और ऐसा चुनना है जिसको बहुमत की सपोर्ट प्राप्त हो और चेयरमैन को इस बात का अंदाजा हो जाय कि कौन कौन मेम्बर्स उसके साथ हैं और सच्चे दिल से साथ हैं। सीक्रेट बैलट में बड़ी भारी जनतंत्र की बात बन जाती है या नहीं बनती है इसके लिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह भी एक तरीका है और बहुत ठीक है। लेकिन ओपेन वोटिंग से यह फायदा होगा कि यदि कोई उम्मीदवार ऐसा है जो सदस्य नहीं है बल्कि बाहर का है तो उसे पता चल जायगा कि कौन कौन उसके सपोर्टर हैं सच्चे माने में, तो मैं समझता हूं कि बोर्ड का कार्यक्रम ज्यादा सफलतापूर्वक आगे चल सकता है।

सीक्रट बैलट में डिप्लोमेसी हो जाती है। ऊपर से मालूम होता है कि फलां व्यक्ति हम लोगों के साथ है लेकिन असल में नहीं होता है। इसलिये इस परिस्थिति में यही तरीका ठीक है कि ओपेन वोटिंग हो। हम चाहते हैं कि बोर्ड का काम चले और मजबूत मजारिटी बने। मैं समझता हूं कि उसके लिये यही तरीका है कि ओपेन वोटिंग हो जाय यानी हाथ उठाकर वोटिंग हो जाय। इन शब्दों क साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जोरावर बर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शुक्ल जी का सूद रूपी संशोधन जैसा सदन के द्वारा अस्वीकृत हो गया, तो माननीय मिश्र जी का एक मसला सामने आ गया। इससे अच्छा तो मैं समझता हूं जो श्री इस्तफा हुसैन साहब ने प्रस्तुत किया था वही था। इसका करीब करीब ९० फीसदी सारांश वही है। सिर्फ थोड़े से टाइम की लिमिट कर दी गई है। और जहां तक मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी का भी मकसद बहुत कुछ वही था जो शुक्ल जी का था। लेकिन चूंकि उसका विरोध बड़े जोरों के साथ हुआ और खास तौर से गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से हुआ तो माननीय मंत्री जी लाचार हो गये। और उसको वापस करवा दिया। तो ऐसी परिस्थिति में अब इंटरवल के बाद एक घंटे के अन्दर एक चीज हमारे सामने आ गयी जो हमको फिर बैकग्राउन्ड में पीछे ढकेल रही है जिसका इस सदन में बहुमत से लोगों ने विरोध किया था। इसमें जो बातें रखी गयी हैं वह बहुत कुछ ठीक ही है लेकिन दो बातें जो पहले इस्तफा हुसैन साहब ने रखी थीं, अगर दो से ज्यादा कैंडीडेट्स हों तो उसका पहल मतदान हो और दो उम्मीदवार चुने जायं। जब दो व्यक्ति चुने जायं तो उनका चुनाव हाथ उठा कर किया जाय। तो यह हाथ उठाने की प्रणाली अनुपयुक्त है, वैसे हर पक्ष के कृष्णपक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष होते हैं। अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। लेकिन

जिस बात को सदन के बहुत से सदस्यों ने पहले भी नहीं माना और और माननीय मंत्री जी ने भी जिन बातों का विरोध किया था उसी आधार पर माननीय इस्तफा हुसैन साहब ने उसको वापस भी ले लिया, और जो संशोधित विधेयक है, माननीय मंत्री जी की इच्छा यही मालूम पड़ती थी कि उसमें जो सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था है वह न हो कर खुलासा वोटिंग होनी चाहिये। ऐसी परिस्थिति में पार्टीबन्दी का बोलबाला होगा। पहले जो सीक्रेट बैलेट वाली बात थी उसमें यह अच्छाई थी कि दलबन्दी के दलदल से दूर जो बोर्ड के सदस्य अपनी स्वेच्छा से, बाहरी डर से स्वतंत्र होकर किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट दे सकते थ जो बहुमत का न होता बल्कि अल्पमत का होता और जहां तक मैं समझता हूं उधर से जब सामान्य विवाद में जो दो एक सज्जन बोले तो उन्होंने भी कहा कि माननीय मंत्री जी ने जो व्यवस्था रखी है उसमें अल्पमत का चेयरमैन भी हो सकता है। यही मालूम पड़ता है कि संभवतः माननीय मंत्री जी के मस्तिष्क में भी यह बात खटक गयी कि ऐसा हो सकता है। इसलिये इसको फौरन चेंज, परिवर्तन कर देना चाहिये। तो जो इंटरवल मिल गया उसमें इतने सोचने की गुंजाइश हो गयी। उसमें इतना बड़ा कायाकल्प हो गया। पहले ऐसा अन्दाजा लग गया था कि अब चूंकि संशोधन रिजेक्ट हो चुके हैं तो जो विधेयक में रखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट से अध्यक्ष का चुनाव होगा वही रहेगा और उसमें ऐसे व्यक्ति के चुके जाने की भी गुंजाइश होगी जो किसी पार्टी का नहीं होगा या अल्पमत दल का होगा।

अब उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो कि एक घंटे के इंटरवल में सोचने के बाद उपस्थित हुआ है यह पास ही हो जायगा और शायद मंत्री स्वीकार जरूर कर लेंगे क्योंकि अब उनके लिये और कोई रास्ता रहता ही नहीं। जो मुख्य रास्ता था, शुक्ल जी वाला वह खत्म हो चुका है। यही एक रास्ता इंटरवल में बनाया गया। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं क्योंकि इसमें जो आदमी स्वतंत्र विचार का है और सचमुच में पार्टीबन्दी की गन्दगी से दूर रहना चाहता है, उसके लिये अध्यक्ष चुने जाने का कोई मौका नहीं रहता। मैं आपको और बताऊं कि जो कमजोर लोग हैं उनके लिये यह खुलासा वोट की प्रणाली उचित नहीं होगी। उनमें हरिजन और दूसरे लोग हो सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट होंगे जो दूसरों की बदौलत वहां आये हुये हैं। वे यह हिम्मत नहीं कर सकते कि अपनी इच्छा रखते हुये एक ऐसे आदमी को वोट दे सके जिसको वे चाहते हों। उनके लिये मजबूरी हो जायगी कि जो पार्टी की तरफ से आदमी खड़ा हुआ है उसके लिये हाथ उठायें। लिहाजा सिक्रेट बैलेट की जो व्यवस्था थी उसमें बड़ी भारी स्वतंत्रता थी जिसको हमने इतनी लड़ाई के बाद प्राप्त किया, लेकिन उसे एक घंटे के इंटरवेल के बाद खत्म कर दिया गया, इस पर तरस आता है। इस विधेयक में माननीय मंत्री ने लीगल रिमेम्बरेन्स और जितने सलाहकार थे उनकी राय के बाद जो सिक्रेट बैलट रक्खा था, उसे एक घंटे के बाद ही खत्म कर दिया, मैं नहीं समझ सकता कि और प्राविजन्स में भी क्या-क्या नहीं हो सकता। इस तरह के इसमें स्वतंत्रता का हनन होता है और जो सदस्य करना चाहते थे उनकी वह भावना नहीं रहेगी। अब तो पार्टीबन्दी की बात निश्चित हो जायगी। माननीय मिश्र जी और नेक राम शर्मा जी ने संशोधन का विरोध किया था कि गवर्नमट को क्या खतरा है? गवर्नमेंट तो अपनी ही है, उनका यह कहना तो ठीक है, लेकिन पता नहीं उन्हें यह कैसे मालूम है कि सरकार उनकी ही रहेगी। प्रजातंत्र का जमाना है। सरकार बदलती रहती हैं लेकिन कानून हमेशा के लिये बनते हैं जब तक कि वे संशोधित न हो जायं या रिपील न हो जायं। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो व्यवस्था इसमें बहुत सोच समझ कर रक्खी है, उसको वे स्वीकार न करें। माननीय मंत्री जी इसे वापस ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा।

श्री झारखंडे राय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विचारों और मतों में परिवर्तन होता है, एक प्रकार की परिस्थितियों में एक विचार एक मत बनते हैं उनके बदल जाने के बाद ही मत या विचार बदला करते हैं और बदलने चाहिये। अभी इस्तफा हुसैन साहब ने जो तरमीम पेश की थी, उसका विरोध माननीय मंत्री जी ने स्वयं किया। उसी प्रकार का एक संशोधन

[श्री झारखंडे राय]

ठीक एक घंटे बाद इस हाउस के सामने पेश करना जचता नहीं। मैं इससे यह समझता हूं कि पहले जो बात पेश की गई थी या तो उस पर पूर्ण विचार नहीं हुआ था अथवा किन्हीं अज्ञात कारणों से पुनः यह तरमीम पेश करने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी और उनकी सरकार तुली हुई है इस बात के लिये, जैसा कि मैंने कल भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि किसी भी इकाई में जहां शासन की सत्ता है वे अपने को सत्तारूढ़ बनाये रखें। इसलिये येनकेन प्रकारेण, जितने भी संभव उपाय दिखलाई देते हैं उनके अनुसार वे चाहते हैं कि कोई भी विरोधी या विरोधी पार्टी उस इकाई में सत्ता न पाने पाये। वह अपनी आंखों से यह देखना चाहते हैं कि कौन उनके दल में या बाहर के लोगों में भी, उनके विरोध में उनके खिलाफ वोट देता है ताकि बाद में उसको ठीक किया जा सके। ठीक करने के तरीके भी बहुत हैं। जिनको सरकार जानती है और अच्छी तरह से सरकार ठीक करती भी है। सरकार जानती है कि ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो किसी चेयरमैन को, जो उन्हीं की पार्टी का ही चाहे क्यों न हो, लेकिन जिसे वह दिल से न चाहते हों (हो सकता है वह अयोग्य हो या निष्पक्ष न रह सके या पूरी देख रेख अच्छी तरह से कर न सकता हो) वोट न दें। अगर वोट सिक्रेट बैलट से होगा तो कांग्रेस पार्टी में चाहे जो भी बात तै हो जाय एक व्यक्ति अथवा मेम्बर आजाद उम्मीदवार ईमानदारी से अथवा किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को भी उसे सच्चा एवं अधिक योग्य समझ कर स्वयं अपनी इच्छा से वोट दे सकता है। उसके लिये इस तरह की खुली वोटिंग की प्रथा प्रचलित होने के बाद यह संभव नहीं होगा कि वह तमाम दबावों को बरदाश्त करके आजाद इच्छा से वोट दे सके।

मैं देखता हूं कि इस तमाम विधयक की अनेक धारायें केवल एक ही दृष्टिकोण से लायी जा रही हैं कि किसी तरह से मौजूदा शासन हरेक इकाई में सत्तारूढ़ रहे। खास तौर से उन भाइयों को जो मुसलिम कम्युनिटी से या हरिजन कम्यूनिटी से आये हैं मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय चुनाव का अनुभव तो आपको हमसे ज्यादा है कि किस तरह चुनावों में मुसलमानों को वोट कांग्रेस पार्टी की ओर से डराया जाता है और धमकियां दी जाती हैं कि अगर वे कांग्रेस को नहीं देंगे तो उनका स्थान पूर्वी पंजाब के उस पार पाकिस्तान में दिखाई देगा। हरिजन भाइयों की भी गरीबी और भोलेपन का किस प्रकार चुनाव में लाभ उठाया जाता है यह सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो विरोधी पार्टी के हैं उनका डर तो हरिजनों को हो ही नहीं सकता क्योंकि वे उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उनका डर तो सत्तारूढ़ लोगों से होता है। ऐसी प्रथा में मुसलमान और हरिजन भाई उन्हीं लोगों को वोट देंगे जो शहरों या समाज पर हावी हैं चाहे वे उन्हें दिल से चाहें या नहीं। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर फिर से विचार करें। उनकी पार्टी के दृष्टिकोण से और पूरे जनतंत्रवाद के स्वस्थ विकास के दृष्टिकोण से यह उपाय हानिकर होगा इस प्रणाली से एक तरह के रिजिड क्लीक्स बन जावेंगे, कठोर गुटबन्दी होगी। यह बड़ा हानिकर होगा। सीक्रेट वोटिंग में यह संभव है कि एक आदमी ने एक चीज को आज अच्छा समझा तो उसे किया लेकिन कल उसका मत परिवर्तित हो गया परिस्थितियां के परिवर्तन के बाद, तो वह अपनेमत को बदल सकता है, लेकिन हाथ उठाकर वोट देने से जिनके विरोध म मत होगा उनके मन में दुश्मनी पैदा हो जायगी और वह काफी लम्बी अरसे तक कायम रहेगी। वोट देने वाला भी अपनी वोट की लाज रखने के लिये अपने आपको एक लम्बे समय के लिये एक गुट की तरफ ही बांधने के लिये मजबूर होगा। इसलिये इस प्रकार की दुश्मनी की पैदाइश की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेषकर दिलाना चाहता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि वे इस पर पुनः विचार करें। वह एक जमाने से समाजवादी नेता रहे हैं। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में एक वह रहे हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस है कि इस प्रकार के तमाम रिएक्शनरी बातों के रखने का श्रेय या दुश्रेय उन्हीं को मिला है। अध्यक्ष महोदय, आप पंचायत राज्य संशोधन विधेयक को ले लीजिये या म्यूनिसिपल अमेंडमेंट बिल को ले लीजिये। वह अपने पीछे एक ऐसी परम्परा बांध रहे हैं, जो उनकी पुरानी परम्पराओं को धो देगी। इसलिये मैं

उनसे बार बार प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर फिर से गौर करें और अपनी पहली सद्भावनाओं का परिचय यहां पर भी दें। उनको जनता की सामूहिक बुद्धिमानी में विश्वास होना चाहिये। जनता से विश्वास उठाकर कोई भी हुकूमत, चाहे वह किसी भी पार्टी या विचारधारा की हो, नहीं टिक सकती है। तिकड़मों से शासनसत्ता को संभालने, बनाये रखने का प्रयत्न दुनियां में कहीं भी सफल नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसा प्रयत्न करके माननीय मंत्री जी अपनी सरकार को कब्र और अन्त की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मुझे इसमें अफसोस की बात नहीं होगी, लेकिन हम तो सलाह देना चाहते हैं कि सरकार समय रहते चेते और अगर आप अपने अन्त को दूर रखना चाहते हैं तो इन धाराओं को फौरन हटावें।

*श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मिश्र जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। अपने भाषण के सिलसिले में माननीय झारखंडेराय जी ने बड़े मार्के की बात कही थी, मैं सदन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिस परिस्थिति में यह विधेयक लाया गया है उस स्थिति पर आपको ध्यान देना होगा। कहा जाता है कि एक साल भर भी पूरा न हो पाया और यह विधेयक आ गया। किस पृष्ठ-भूमि में आया, क्यों आया? इस पर हमें ध्यान देना होगा। यद्यपि यह ठीक है कि हमें स्वतंत्र विचारों का होना चाहिये लेकिन उसके साथ ही साथ हमें बहुमत के सिद्धान्त को भी मानना होगा। अगर इस पृष्ठभूमि पर विचार किया जाय तो उनके इस दृष्टिकोण के खिलाफ यह दृष्टिकोण हो जाता है। अब हमें यह विचार करना है कि वह कौन सा दृष्टिकोण है, कौन सी हानि है? हमें यह ध्यान देना होगा कि यह लोकतंत्र का युग है और उसमें हमें प्रतिनिधित्व के ढंग से काम करना होता है और उसमें भी हमें पार्टीबन्दी और गुटबंदी का भी ध्यान रखना होगा और यह विचारना होगा कि आया उनको हमें कायम रखना है या नहीं? संसार में सर्वत्र ही विचारों की विभिन्नता पायी जाती है और संसार में बहुधा देखा जाता है कि किसी विषय पर भी सब लोगों की एक राय नहीं पायी जाती। कंधे से कंधा मिला कर चलने वाले और लड़ने वाले दो सिपाहियों की राय भी किसी एक मसले पर, किसी एक सिद्धांत पर एक नहीं होती, मतभेद हो जाता है। वैसे सामान्य परिस्थिति में हम स्वतंत्र हैं, चाहे जो कुछ करें लेकिन वोट देते समय हमें अपने प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। कारण यह है कि किसी समय कोई यह नहीं कह सकता है कि उसके ही विचार सही हैं, इसलिये हमें अपने स्वतंत्र विचारों की रक्षा उस हद तक करना है जिससे दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। हमें यह मानना होगा कि जिस प्रकार से हमारे विचार सही हैं उसी प्रकार से दूसरे के विचार भी सही हो सकते हैं। महान विज्ञान वेत्ता आइन्स्टाइन ने यह साफ तौर पर बताया कि हम किसी भी विचार को, किसी भी दृष्टिकोण को गलत नहीं कह सकते। हर एक दृष्टिकोण परिस्थिति के अनुसार ही सही होता है। इसलिये हमें अपनी स्वतंत्रता और मौलिकता को रखते हुये भी एकता के सूत्र में बंधे रहना है। इसी एकता के सूत्र में बंधे रखने के लिये बहुमत की बात कही गयी है, वह इसी सिद्धांत पर अवलंबित है। हम यहां ४०० मेम्बर हैं और अगर ४०० ही अपनी-अपनी बात रखना चाहें तो कभी भी कोई बात नहीं तय हो सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि कौन विचार ठीक नहीं है, या जो विचार रखा जा रहा है वह सही ही होगा। इसलिये हमें उसको बहुमत से तय करना होता है। फिर ऐसा भी होता है कि आज एक नियम सही है, वह हमेशा सही नहीं रह सकता। जो रास्ता आज अपनाया जा रहा है वह हमेशा सही नहीं हो सकता। यह भी हो सकता है कि अगर आज जो निर्णय गलत है वह कल की स्थिति में सही हो जाय। इसलिये हमें बहुमत के साथ चलना होगा और जहां बहुमत का प्रश्न आ जायगा वहां अपने विचारों को दबाकर रखना होगा। इसमें फिर हमें यह भी देखना होगा कि बहुमत ऐसा तो नहीं है कि आज कुछ करता है और कल कुछ और करता है और वह जो बदलाव करता है वह गलत तो नहीं करता? जो कुछ भी निर्णय हो वह एक ऐसे सिद्धांत पर होना चाहिये कि कम से कम एक एलेक्शन के पीरियड तक, यानी कम से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशभ:न राय]

कम पांच वर्ष तक एक लाइन पर चल सकें। अगर रोज बहुमत के विचार बदलते रहें, अगर मेम्बरों को आजादी दे दी जाय कि वे जब जैसा चाहें, जिस तरह से चाहें वोट दें तब तो बहुमत एक मशीन की तरह से हो जायगी और इस तरह से काम नहीं चल सकेगा। क्योंकि आज हमने कोई पंचवर्षीय योजना बनायी और साल भर के बाद ही उसके लिये इधर से उधर वोट दे दिया तो इसका नतीजा यही होगा कि बहुमत अपने सिद्धांतों की रक्षा करते हुये भी कोई कार्य नहीं कर सकेगा। आज समय की आवश्यकता के लिये जरूरी है कि हम कुछ समय तक एक ही नीति का प्रयोग करें। वह गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है लेकिन हमें तो प्रयोग करना पड़ेगा और उसके लिये आवश्यकता है पार्टीबन्दी और गुटबन्दी की। यह गुटबन्दी जो धारा देगी उस धारा के अनुसार ही अपने सिद्धांतों की रक्षा करते हुये हमें अपने को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम उस धारा में बहते हैं तो हम कोई अपने सिद्धांत का बलिदान नहीं करते हैं। हम अपने सिद्धांत पर ही चलते हैं और बहुमत जो अपनी पालिसी निर्धारित करता है, उसी नीति के अनुसार अपने को मोड़ते हैं ताकि हमको कुछ समय मिले और उस समय के अनुसार हम अपने निर्णय को कार्यान्वित कर सकें। आप देखें कि म्युनिसिपैलिटीज में डाइरेक्ट चुनाव की चर्चा हुई, उसमें हमको क्या वांछनीय होगा? यह वांछनीय होगा कि हम जितने दिन भी रहें, एक साल रहें, दो साल रहें या चार साल रहें, एक गुट में रहें। लेकिन जो हमारी गुटबन्दी हो वह ठोस हो।

जहां तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव का संबंध है मेरी राय से प्रेसीडेंट का चुनाव ओपेन होना चाहिये। क्योंकि अगर सिक्रेट चुनाव होता है तो प्रेसीडेंट को मालूम नहीं होता कि किसने उसको वोट दिया और किसने नहीं दिया, कितने उसके पक्ष के हैं कितने विपक्ष के हैं तथा कितने किस मत के हैं, कितने दूसरे मत के हैं? इससे बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। अगर प्रेसीडेंट को मालूम होगा कि किस तरह से वोटिंग हुई है तो उसी की पृष्ठभूमि में वह काम करेगा। और इस तरह से जितने भी अधिकारी हैं उन सबको उसी पृष्ठभूमि में काम करना आवश्यक हो जायगा। आज उसको इस बात का पता बिलकुल ही नहीं लगता है कि कौन से लोग उसके साथ थे और वे किस मत के थे? यह जानना उसके लिये आवश्यक हो जाता है इसलिये इस मसले पर भी हमको विचार करना है। यदि हमारे देश में गुटबन्दी की धारणा है और उसी नीति के अनुसार हम चलते हैं तो हमारी धारणा मजबूत ही होगी। आज म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज के जितने भी नतीजे आये हैं वे इस बात के द्योतक हैं कि मेम्बरों को चुनते समय किसी ने किसी सिद्धांत से काम नहीं लिया बल्कि अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके जब जैसी इच्छा हुई उसको वोट दे दिया, और प्रेसीडेंट के चुनाव में किसी दूसरी पार्टी या मत के आदमी को वोट दे दिया। गत वर्ष शहरी एरियाज से उत्तर प्रदेश की म्युनिसिपैलिटीज या टाउन एरियाज के जितने भी चुनाव हुये उसके नतीजे यह बतलाते हैं कि कहीं पर भी कोई दल बहुत बड़ी संख्या में चुन कर नहीं आया। कहीं पर कोई सोशलिस्ट प्रेसीडेंट हो गया तो मेम्बरों में बहुमत कांग्रेस पार्टी का रहा। कहीं पर हिन्दू महसभा के मेम्बरों का बहुमत हुआ तो वहां प्रेसीडेंट कांग्रेस पार्टी का हो गया। ये इस बात का द्योतक हैं कि चुनाव करते समय तक उनके बीच में पार्टी की भावना मजबूत नहीं हो पायी थी और उन्होंने चुनाव करते समय व्यक्तिगत भावना से ही वोट दिया। इस स्थिति में जब केवल मेम्बर चुन कर आ जाते हैं और फिर प्रेसीडेंट का चुनाव होता है तो उसकी क्या स्थिति होगी? श्री झारखंडेराय जी ने बतलाया कि एक बार खुलेआम चुनाव हो जाने पर बाहरी दबाव पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बतलाया कि अगर कांग्रेस पार्टी के लोग प्रेसीडेंट के पक्ष में नहीं है तो भी अपनी पार्टी के सम्मान के लिये उनको उसकी तरफ झुकना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं कि तो क्या आप चाहते हैं कि लोगों को मनमाना करने के लिये छोड़ दिया जाय? इस तरह से तो अनुशासन भी नहीं रह सकेगा। तो होगा यह कि कल तक जो मैंने आपका साथ दिया था, आपको सही मानता था और आज अगर गलत हो गया तो किनारे हो जाता हूं। तो समझना यह है कि इस तरह से कदम-कदम पर किनारे जाने से कैसे काम चल सकता है। इसलिये इतने बड़े बाडी में या बोर्ड में डिसिप्लिन की आवश्यकता है। हमें यह

देखना चाहिये कि हममें जनहित की भावना आत्म-सम्मान की भावना गुप्त वोट से आयेगी या सामने हाथ उठाने से आयेगी। जब हम इस पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि गुप्त वोट देने से हम अपने अलग होने की भावना को कायम करते हैं। आप चाहे गुप्त वोट रखें या ओपिन रखें, कोई मेम्बर यह नहीं कह सकता कि मैं आज एक बात में एकमत का हूं तो कल भी उसी मत का रहूंगा। वह आज एक सिद्धांत को मानता है कल उसके खिलाफ भी जा सकता है। आज अगर एक सदस्य किसी के खिलाफ है और कल अगर उसके मुआफिक भी वह वोट देगा तो पता नहीं चलता कि वह अब उसके अनुकूल है, समझा यही जाता है कि वह आज भी खिलाफ है। इसलिये जब हम प्रत्यक्ष वोट की बात कहते हैं तो हम अपने मित्रों से मांग करते हैं कि बहुत सोचसमझ कर वोट दिया जाय और उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाय। हमारे लिये ट्रायल के तौर पर एक मौका देना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि इससे आप कहते हैं कि डायरेक्ट दबाव पड़ेगा। मैं कहता हूं कि इससे बचा ही कैसे जा सकता है? मैं समझता हूं कि जो मेम्बर होंगे या प्रेसीडेंट होंगे उनसे आप कभी भी कोई चीज चुनाव के संबंध में गुप्त नहीं रख सकते हैं। रोजमर्रा के काम में जब-जब मसले आवेंगे, तो आपको पक्ष में या विपक्ष में वोट देना ही होगा, उस समय भी यह नहीं हो सकता कि हर चीज पर बेलट से ही वोट लिया जाय। जनता के प्रतिनिधि होकर रात-दिन हर चीज के लिये बैलट से वोट लेना संभव भी नहीं हो सकता और न यह उचित ही प्रतीत होता है। इससे बहुत परेशानी हो सकती है। इसमें कोई डरकर वोट देने का भी प्रश्न नहीं है, जो दबकर वोट देगा वह तो हमेशा दब कर ही देगा, ओपिन या बैलट से उसके लिये कोई अन्तर नहीं पड़ता है। जब इस तरह के मसले आते हैं तो अक्सर गुप्त तरीके से वोट देने वाले लोग तटस्थ हो जाते हैं, इसलिये नहीं कि उनकी राय नहीं होती बल्कि वह ऐसे समय जो रास्ता उनको बताया जाता है ऐसे अवसरों पर वह देखते हैं और क्लियर कट रास्ते से किनारे हो जाते हैं। हमें इस चीज को रोकना चाहिये। मैं समझता हूं कि जनता का प्रतिनिधि हो कर हममें यह बहादुरी होना चाहिये और उन बोर्ड के सदस्यों में यह ताकत होनी चाहिये कि वह किसी मसले पर अपनी निर्भीक राय दे सकें। यह आवश्यक है कि वह राय देते वक्त खुल कर कहें कि वह क्या राय रखते हैं? इन सब बातों पर विचार करते हुये मैं आवश्यक समझता हूं कि संशोधन का समर्थन किया जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं इस संशोधन पर संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब तो क्लोजर मूव हुआ है, मैं उस पर राय लेना चाहता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या करूं, अभी धारा ९ पर बहस हो रही थी, उसके बाद संशोधन आ गया और इसलिये मुझे भी अब संशोधन पर संशोधन लाने का अधिकार है और उसी के लिये मैं आपसे इजाजत मांग रहा हूं।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन कुछ जल्दी में आया है। इस सदन को यह तो अधिकार है कि वह इस बात का फैसला करे कि वोटिंग सीक्रेट बैलट से हो या ओपेन हो? लेकिन जो भी फैसला हो वह इस तरह का हो जो कायदे बनें वे पूरे हों उसमें कोई कमी न रह जाय। मुझे यह दिक्कत महसूस हो रही है कि जो संशोधन आया है वह पुराने ऐक्ट की धारा ४४ के अनुसार मालूम होता है, लेकिन वह कुछ अधूरा रह गया है। पुराने ऐक्ट की धारा ४४ के तीन तक तो इसमें है लेकिन ४, ५, ६ और ४४-ए की बातें रह गई हैं। इसका मतलब यह है कि अगर यह फैसला सदन करे कि ओपेन वोटिंग हो तो अगर एक मीटिंग में बराबर वोट आये तो लाटरी डाल दो यहां तक तो हो गया। लेकिन अगर उस मीटिंग में किसी वजह से फैसला न हो तो पुरानी धारा ४४ में यह था कि सातवें दिन दूसरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

मीटिंग होगी। उसमें समय दिया हुआ है उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। उसके बाद यह भी दिया हुआ है कि अगर दूसरी मीटिंग में भी प्रेसीडेंट न चुना गया तो उसका भी इंतजाम किया गया है। इस प्रकार वह चीज मुकम्मिल होती है। लेकिन जिस रूप में यह संशोधन है उसके मुताबिक तो फैसला करने का अधिकार सदन को है कि ओपेन वोटिंग हो। लेकिन सदन से प्रार्थना है कि अगर यह फैसला हो तो फिर उसमें कायदे कानून की कोई कमी न रह जाय। इसलिये अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जो वीरेंद्रशाह जी करना चाहते हैं, या जो हमारी दिक्कतें है उनको पूरा कर लिया जाय ताकि कायदे ठीक तरह से बन सकें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से उसको मुकम्मिल कर दिया जाय। मैंने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है, लेकिन अभी अच्छी तरह से उसको देखा नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो कि इसी वक्त ले लिया जाय तब तो मैं उस संशोधन में संशोधन उपस्थित करना चाहूंगा, लेकिन अगर यह हो जाय कि कल के लिये इसको छोड़ दिया जाय, और चाहे ओपेन हो या सीक्रेट वोटिंग, लेकिन ला मुकम्मिल हो और कोई अधूरापन उसमें न रह जाय। इसलिये आज न लेकर अगर कल लिया जाय तो अच्छा है और इसके साथ ही जो भी माननीय सदस्य चाहें, तो इस संशोधन में संशोधन भी दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ पर आज विचार स्थगित कर दिया जाय और कल उस पर विचार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा ४३-एए का रखा जाना।

१०—मूल अधिनियम की धारा ४३-ए के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ४३-एए के रूप में रख दिया जाय—

"43-AA. (1) A person shall not be qualified to be chosen as President of a board unless he—

(*a*) is an elector for any ward in the municipality concerned; and

(*b*) is not less than 30 years of age on the date of his nomination as a candidate for election to the office of President under section 43-C.

(2) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a President of a board—

(*a*) if he is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in clauses (*a*) to (*j*) of section 13-D and the disqualification has not ceased or been removed under the said section;

(*b*) is a member of a district board under the U. P. District Boards Act, 1922."

श्री विष्णुदयाल वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 43-AA की उपधारा (१) के भाग (*a*) और (*b*) को निकाल दिया जाय और उनके स्थान पर निम्नलिखित वाक्यांश रख दिया जाय :—

"is qualified to be chosen as a member of the board concerned"

श्रीमन्, जो विधेयक में प्रस्तावित धारा में (*a*) और (*b*) क्लाज हैं, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो प्रेसीडेंट चुना जाय उसकी क्वालिफिकेशन यह हो कि वह उस

म्युनिसिपैलिटी का एलेक्टर हो और उसकी उम्र कम से कम तीस वर्ष हो। तो जब मैं उस धारा पर विचार करता हूं तो मेरे सामने बहुत सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जिस उमर की लिमिट इसमें रखी गई है वह बहुत ज्यादा है। इस एसेम्बली के सदस्य के लिये भी आपने उम्र की लिमिट २५ वर्ष की रखी है, और हमारे बहुत से सदस्य यंग होने पर भी पुराने तजुर्बेकार आदमियों से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो यह व्यवस्था कर दी है ३० वर्ष की, मैं समझता हूं कि यह उनके साथ एक बड़ा अन्याय है और उनको अच्छा काम करने का मौका नहीं मिल पायेगा जो कि उनको मिलना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें जिससे कि हमारे जो यंग आदमी भी इसमें आ गये हैं उनको काम करने का मौक़ा मिले।

**श्री मोहनलाल गौतम**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दोनों चीजें जरूरी हैं (*a*) और (*b*)/(*a*) में यह है —

"A person shall not be qualified to be chosen as President of a Board unless he (*a*) is an elector for any ward in the municipality concerned.

और (*b*) में है —

(*b*) is not less than 30 years of age on the date of his nomination as a candidate for election to the office of President under sestion 43-C."

इन दोनों की जगह अगर यह रक्खा जाय कि—

"is qualified to be chosen as a member of the board concerned" तो उसका पहला हिस्सा तो एक तरह से कवर हो जाता है कि वह वोटर न होगा तो चुना नहीं जा सकता। लेकिन इन सब बातों का निचोड़ यह हो जाता है कि ३० साल की जो शर्त रखी गई है वह न रखी जाय। असेम्बली में २५ साल की उम्र की लिमिट है और कौंसिल आफ़ स्टेट में कुछ ज्यादा है। हर जगह अलग-अलग है, लेकिन असेम्बली के मेम्बरों में, इस सदन के सभी सदस्यों की इज्जत करते हुए, मैं यह अर्ज करूंगा कि वह एक कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। यह कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, जिसके अच्छे या बुरे होने से खराबी पैदा हो जायगी। अगर यहां चार छः यंगर आदमी हों और उनको ट्रेनिंग दी जाय तो अच्छा है, इसमें आना चाहिये। लेकिन प्रेसीडेंट जो म्युनिसिपैलिटी का होता है, वह शहर का इन्तजाम करता है, वह अगर कम उम्र में बना दिया जाय और अगर नातजुर्बेकारी से वह गल्तियां करे तो उससे सारे शहर को नुकसान पहुंचेगा। मेम्बर बनने से कोई नुकसान न होगा, वह तजुर्बा करेंगे। लेकिन अगर उनको तजुर्बा कुछ कम हुआ और उनको कुछ दिक्कत पड़ती है चीजों को समझने में तो वह नुकसान कुछ नहीं करेंगे। उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी इस तरह की नहीं है कि जिससे किसी को नुकसान पहुंच जाय। तो इसलिये मेम्बरों की मिसाल प्रेसीडेंट के साथ नहीं जंचती। प्रेसीडेंट का जजमेंट काफ़ी मेच्योर होना चाहिये और तभी उसे प्रेसीडेंट बनाया जाना चाहिये। तो इसलिये मेरा ख्याल है कि वर्मा जी इसको प्रेस नहीं करेंगे। यह बहुत अच्छा प्राविज़न है जो रखा गया है और इसको हटाने से नुकसान होगा।

**श्री रामसुभग वर्मा**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णुदयाल वर्मा जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में यह रखा गया है कि म्यूनिसिपल बोर्ड का अध्यक्ष जो चुना जायगा वह तीस वर्ष से नीचे का न होना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कैद लगाना कि ३० वर्ष के ऊपर का होगा नीचे का नहीं होगा, यह मेरी राय में अच्छा नहीं है।

[श्री रामसुभग वर्मा]

माननीय विष्णुदयाल जी ने जो संशोधन रखा है कि ३० वर्ष की कैद न रखी जाय कि जो मेम्बर चुने जायं वह २१ से ऊपर के चुने जायं, यह ठीक है। बल्कि बालिग मताधिकार से अपना वोट पा करके आये हैं, जैसा कि यहां के मेम्बरों के लिये है, यह तरीका वहां भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके सामने अपनी यह राय प्रकट करने की इच्छा है कि जितने हमारे यहां इस विधान सभा में, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले करके आये हैं, उसमें बहुत से आदमी ३० वर्ष से कम के भी हैं। यही नहीं, विधान परिषद् में हमने देखा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी देखा। और पंचायत में भी हमारे यहां बहुत से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, जिनके सामने मुकदमे। आते हैं फैसले के लिये और उनको कैद की तथा फांसी तक की सजा करने का अख्तियार है। लेकिन उनके ऊपर भी यह कायदा नहीं है कि वह ३० वर्ष से ऊपर के रखे जायं। इसलिये इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि विष्णुदयाल जी ने जो संशोधन रखा है वह ठीक है। जो बालिग हो, म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष पद पर आ करके काम अच्छी तरह से निभा सके और काम ठीक तरह से चला सके तो उसके चुनने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये। तो मेरी समझ में यह उम्र का प्रतिबन्ध लगा देना ठीक नहीं है, यह अच्छा नहीं लगता है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे विष्णुदयाल जी के संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री विष्णु दयाल वर्मा जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से ही २५ वर्ष की अवस्था विद्यार्थी जीवन की मानी गई है, और उसी अवधि तक के लिये हम यह व्यवस्था कर दें कि वह चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड चुना जायगा तो यह एक उपयुक्त बात नहीं होगी। इसलिये जो ३० वर्ष की व्यवस्था रखी गयी है यह बहुत ही उपयुक्त है। मैं समझता हूं कि विष्णुदयाल जी इसको मानेंगे, अगर वह विधिवत् अध्ययन करेंगे तो जरूर मान लेंगे। मैं यह भी समझता हूं कि विरोधी बेंचों पर बैठने के नाते ही उनको किसी चीज को विरोध करना था, इसीलिये उन्होंने विरोध का प्रदर्शन कर दिया है और कोई बात नहीं है। इसलिये मैं आशा करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरूरत तो नहीं थी कि इस वादविवाद में मैं भी अपने कुछ सुझाव दूं। लेकिन हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य ने २५ वर्ष पर अपनी सम्मति प्रकट की है और कहा है कि २५ वर्ष तक तो पुराने जमाने में लोग विद्याध्ययन किया करते थे। मैं समझ रहा हूं कि उनकी यह विचारधारा, प्राचीन जो भारतीय पद्धति रही है उससे सम्बन्धित है। जिस समय मनुष्य के जीवन को शास्त्रकारों ने १०० वर्ष का बताया है और उसके चार विभाग माने हैं, उसके अनुसार एक संस्कृत का श्लोक है :---

"प्रथमे नार्जिता विद्या,
द्वितीये नार्जितं धनम्।
तृतीये नार्जितं ज्ञानं,
चतुर्थे किं करिष्यति॥"

माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूंकि जो ३० वर्ष के नीचे के लोग होते हैं उनको ज्ञान कम होता है और यहां जो माननीय सदस्य अभी बोल गये, उनके मत के अनुसार तृतीय अवस्था जो होती है उसमें जाकर आदमी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो फिर उसके बाद चतुर्थ अवस्था में, यानी ७५ से १०० वर्ष इसके लिये रक्खी जाय। यह ठीक रहेगा

उनके अनुसार। इसलिए मैं माननीय वर्मा जी के संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी का जो संशोधन है, उसका भी विरोध करते हुए यह सुझाव देता हूं कि ७५ और १०० वर्ष के बीच का सभापति रखा जाय। यह बहुत मुनासिब होगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने अभी किया है। इससे माननीय मंत्री जी की भी अड़चन दूर हो जायगी और माननीय वर्मा जी को भी संतोष हो जायगा।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री वर्मा जी ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मुझे अफ़सोस है कि मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक उम्र का सवाल है, जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि २५ साल की उम्र रखी जाय, तो वर्मा जी भी और पूरा सदन भी इस बात से वाकिफ़ होगा कि २५ साल की अवस्था मुनासिब नहीं है। मेम्बरी के लिये कोई भी कैद नहीं रखी गई है। २१ साल का वोटर होने के बाद कोई भी मेम्बर बन सकता है। लेकिन जहां तक चेयरमैनी का सवाल है उसके लिये जो आदमी चुना जाय उसके विचार परिपक्क होने चाहिए, उसे कुछ दुनिया का तजुर्बा होना चाहिये। और वह ऐसा होना चाहिये कि जो तजुर्बे से कुछ सीख सके और उसका कुछ सदुपयोग कर सके। जहां तक मुझे याद पड़ता है, जिस समय हमने पंचायतराज ऐक्ट में संशोधन पास किया था उस वक्त भी हमने ग्राम सभा के प्रधान के लिये ३० साल की उम्र ही रखी है। तो यह तो एक असंगत सी बात मालूम होती है कि ग्राम सभा का प्रधान तो ३० साल की अवस्था पूरी करने के बाद हो और एक म्यूनिसिपैलिटी, जहां कि बहुत से पढ़े लिखे आदमी रहते हैं और जो कि अधिक टीका टिप्पणी कर सकते हैं, और जहां कि अधिक समझदारी की जरूरत होती है, वहां का चेयरमैन २५ साल का हम रखें! तो मैं समझता हूं कि इन सब बातों को सुनने के बाद वर्मा जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ३० साल की उम्र ही मुनासिब उम्र है जो कि संशोधन विधेयक में रखी गई है और २५ साल मुनासिब नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयु का सम्बन्ध न भारतीय संस्कृति से है न उस वर्ण व्यवस्था से है जिसकी दुहाई हमारे माननीय रामेश्वर लाल जी ने दी। जिस ख्याल से इस संशोधन विधेयक में ३० साल रखा गया है उसका एकमात्र कारण है प्रशासकीय सुविधा। २१ साल की अवस्था सदस्य होने के लिए रखी गई है, बालिग मताधिकार के अनुसार। यदि यह मान लिया जाय कि वह २१ वर्ष में ही म्यूनिसिपल बोर्ड का मेम्बर हो जाता है तो एक टर्म या दो टर्म वह म्यूनिसिपैलिटियों में विभिन्न कमेटियों में कार्य करे, और वहां कार्य करके म्यूनिसिपल शासन का अनुभव प्राप्त करे तथा विभिन्न विभागों की कार्य व्यवस्था से परिचित हो और उसके बाद दूसरे या तीसरे टर्म में इस प्रकार की योग्यता और इतना अनुभव उसको हो जायगा कि वह एक नगर के प्रशासन को अपनी अध्यक्षता में सुन्दरतापूर्वक और सुचारु रूप से संचालित कर सके। पहले टर्म में, यह बात ठीक है कि एक्सेप्शन्स होते हैं, अपवाद हो सकते हैं और ऐसा व्यक्ति निकल सकता है जो पहले टर्म में चेयरमैन हो जाय और उस काम को सफलतापूर्वक निभा ले जाय। लेकिन अपवाद के ऊपर कोई शासन या व्यवस्था नहीं चला करती है। इस प्रकार की जीनियस प्रतिभा बहुत कम देखी जाती है कि जो जाते ही, यानी मेम्बरी को आरम्भ करते ही इस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर ले कि वह सारे काम को संभाल सके।

हमारे मित्र श्री रामसुभग जी वर्मा ने सेशन्स जज और डिस्ट्रिक्ट जज का उदाहरण दिया। अगर उनको इस व्यवस्था का अनुभव हो तो शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन्स जज ३०/३५ साल से पहले होता हो। वैसे कोई हो जाय वह बात दूसरी है। हाई कोर्ट के जज तो और भी ज्यादा परिपक्क अवस्था के

[श्री देवदत्त मिश्र]

होते हैं। तो इस दृष्टि से, वैसे तो जैसा कि मैंने कहा कि जो असाधारण प्रतिभा के लोग हों उनकी बात दूसरी है, जैसे श्री षणमुखम् चेट्टी ३५ वर्ष की अवस्था में ही जब अंग्रेजी हुकूमत थी, हमारी इंडियन पार्लियामेंट के प्रेसीडेंट चुने गये थे। और यह कहा गया था कि यह पहला व्यक्ति है जो इतने बड़े देश की पार्लियामेंट का प्रेसीडेंट हुआ है। इस तरह से, जैसा कि मैंने कहा कि अपवाद तो हो सकते हैं और इस प्रकार के उदाहरण मिल सकते हैं। लेकिन यदि हमें नगर के भविष्य का निर्माण और उसके विकास का ध्यान रखना है तो हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम स्वस्थ्य परम्परायें डालें और सिविक ज्ञान, नागरिक शासन और व्यवस्था का ज्ञान और उसकी ट्रेनिंग अपने यहां के लोगों को दें। इसके बाद इस प्रकार के परिपक्व व्यक्ति को इस आसन पर बिठायें तो हम अनुभव कर सकते हैं कि उस नगर का प्रबन्ध सुन्दर और अच्छा चल सकेगा।

वर्ण व्यवस्था से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि यह एक व्यावहारिक सुझाव है। हमें कार्य चलाना है। आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट फ़र्म होती हैं उनके यहां मान लीजिये कि कोई एक अच्छा फ़र्म है, और उसका मालिक मर जाता है तो उसका लड़का जो १८–२० साल का है उसको एक दम मालिक नहीं बना देते हैं, बल्कि उनके यहां जो प्रमुख होता है वह उसको अपनी ट्रेनिंग में रखता है और धीरे-धीरे उसको सब चीजों को समझा देता है। जब उसे व्यापार का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है तब उसको पूरा मालिक बना कर अपने ऊपर बिठाता है। यही कारण है कि प्राइवेट फ़र्म्स अच्छी तरह से कार्य करती हैं। ठीक इसी तरह से जो हमारे यहां नागरिक शासन है उसके लिये हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि अमुक आदमी को चेयरमैन बनाना है तो पहले उसे विभिन्न कमेटियों का चेयरमैन बना कर नगर की जितनी समस्याएं हैं उनसे उसको अवगत करा दें। इसमें एक टर्म और दो लग जाते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि जो संशोधन हमारे मित्र माननीय विष्णु-दयाल जी ने उपस्थित किया है, इसमें न कोई डिप्लोमेसी की बात है और न कोई चीज़ है। इसलिये वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (ज़िला देवरिया)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विष्णुदयाल वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन के विपक्ष में बहुत से दलीलें माननीय मित्रों नें दीं, लेकिन मेरी समझ में यह दलील नहीं आई कि अधिक उम्र आ जाने पर ही अधिक अच्छा प्रशासक हो सकता है। गवर्नमेंट में जितनी कम्पटीटिव परीक्षा हैं, जैसे आई० ए० एस०, पी० सी० एस० वगैरह-वगैरह, उनमें जहां तक मैं समझता हूं, जो उम्र की कैद रखी गयी है वह २१ साल से २४ साल तक है और एक आई० ए० एस०, पी० सी० एस०, एक एक्टिक्यूटिव आफिसर...

श्री देवदत्त मिश्र—डिप्टी कलेक्टर से शुरू होता है।

श्री विष्णुदयाल वर्मा—डिप्टी कलेक्टर ही सही, वह भी म्यूनिसिपल बोर्ड का प्रशासक हो सकता है यदि उसमें आवश्यक योग्यताएं हैं। तो जब उसकी योग्यता के अनुसार प्रशासक चुनते हैं तो जनता के चुने हुए को क्यों नहीं माना जाता, उसको प्रशासक बनाने में क्या आपत्ति है?

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

दूसरी बात मेरे एक मित्र ने कही कि हमारे यहां वर्ण-व्यवस्था के मुताबिक़ जो उम्र का विभाजन किया गया है वह २५ साल के खंडों में किया गया है। और २५ साल का जो पहला भाग है वह विद्यार्थी जीवन का है। यह तो पुराने जमाने में था और हम यह कामना किया करते थे कि "जीवेमु शरदः शतम्" हम सौ वर्ष जीएं। लेकिन आज हम कितने वर्ष जीते हैं? उसी का चौथाई कर लीजिये। बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि "बुजुर्गी बा अक़ल अस्त, न बा साल", यानी जो अकलमन्द है, वही बुजुर्ग है। एक साठ साल का बुड्ढा अगर उसमें अक्ल नहीं है तो वह बुजुर्ग नहीं कहा जा सकता। हां, अगर उसमें योग्यता है और जनता उसको चाहती है, तो २१ साल का भी हो सकता है। तो मैं यह नहीं समझता कि एग्जिक्यूटिव आफिसर या गवर्नमेंट के द्वारा चुने गये या नामजद किये हुए लोग जब प्रशासन का काम कर सकते हैं तो जनता के द्वारा चुने गये क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे संशोधन को अवश्य मान लें। अगर २५ साल वह ठीक समझते हैं तो मैं इसको वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिये आश्वासन होना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 43--AA की उपधारा (1) के भाग (a) और (b) को निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित वाक्यांश रख दिया जाय :—

"Is qualified to be chosen as member of the board concerned."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री विष्णुदयाल वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 43—AA की उपधारा (1) के भाग (b) की प्रथम पंक्ति में शब्द "30 years" के स्थान पर "25 years" रख दिया जाय ।

इसके सम्बन्ध में मुझे अधिक नहीं कहना है, क्योंकि जो बातें मैं पहले कह चुका हूं, वे कवर हो जाती हैं। सिर्फ़ यह बात कि अगर मेरा पहले का संशोधन मान लिया जाता तो प्रेसीडेंट की उम्र २१ साल हो सकती थी। लेकिन इसके मुताबिक जो प्रेसीडेंट चुना जायगा उसकी उम्र २१ साल से बढ़ करके २५ साल होगी। इस प्रकार से जो सुझाव २५ साल का था वह पूरा हो जाता है, और मैं आशा करूंगा कि अगर मेरे पहले संशोधन को नहीं माना गया तो कम से कम इसको अवश्य ही मान लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। दलीलें काफ़ी दी जा चुकी हैं। इसलिये ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इससे मिलता जुलता एक संशोधन माननीय विष्णुदयाल वर्मा जी का उपस्थित किया गया था और उस संशोधन के संबंध में विचार प्रगट करते हुये मैंने ७५ वर्ष की आयु इसके लिये उचित समझी थी कि ७५ वर्ष की आयु के ही लोग मंडल के सभापति हों। लेकिन अब मैं माननीय विष्णुदयाल वर्मा के इस संशोधन का समर्थन करने जा रहा हूं क्योंकि माननीय देवदत्त जी ने एक बड़ा अजीब सा तर्क उपस्थित किया है। अपना तर्क उपस्थित करते हुये इस तर्क को कि पुराने इतिहास और

[श्री रामेश्वर लाल]

परम्परा के अनुसार मनुष्य का जीवन सौ वर्ष रखा गया था, पूरे तौर से आपने उसको क्रिटिसाइज किया है। शायद हर एक आदमी, जो इतिहास के सिर्फ उन्हीं पन्नों पर नहीं विश्वास करता, जो कि आज के यूनिवर्सिटी के पढ़े हुये इतिहासकारों ने लिखा है वह मेरे इस मत से सहमत होगा कि वेद विहित बातों में यह निश्चित है कि मनुष्य की जिन्दगी सौ वर्ष मानी गयी थी। और आज पचास वर्ष मानी गयी है। जहां तक उम्र का सवाल है कि मनुष्य किस उम्र में जाकर बुद्धिजीवी या बुद्धिमान हो जाता है, इस संबंध में शास्त्रकारों में बड़ा मतभेद है। आज का "आज" दैनिक पत्र अगर पढ़ें तो उसमें निकला है कि माननीय कमलापति त्रिपाठी, सिंचाई मंत्री, जो कि हमारे हिन्दी भाषा भाषियों के गौरव और एक सच्चरित्र और अच्छे साहित्यकार भी हैं, उनके बंगले पर एक बालक को वेदांत की शिक्षा देने के लिये आमंत्रित किया गया है। उसमें लिखा है कि उस १३ वर्ष के जरा से बालक ने माननीय जवाहरलाल नेहरू और सर राधाकृष्णन जैसे विद्वानों को वेदान्त की शिक्षा दी है। यह आज के "आज" अखबार में निकला है। माननीय कमलापति जी यदि आज सदन में होते तो वे मेरे कथन की पुष्टि करते।

श्री अध्यक्ष—वह मौजूद नहीं हैं। कम से कम अखबार की खबर जब तक वह मौजूद नहीं हैं, तब तक उनके ऊपर न थोपी जाय यह अच्छा होगा।

श्री रामेश्वर लाल—मेरे कहने का मतलब यह है कि वास्तव में मनुष्य की बुद्धि कब परिपक्व होती हैं, इस संबंध में बड़ा मतभेद है।

माननीय मिश्र जी ने यह कहा कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक उक्तियां नहीं हैं। अगर इतिहास के पन्नों को उलट कर वे देखेंगे तो उनको मिलेगा कि १४ वर्ष की आयु में अभिमन्यू ने किस बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था? १६ वर्ष की आयु में भगवान राम ने जो राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी थी, और १२ वर्ष की अवस्था में हमारी क्रांति के प्रवाह में चन्द्रशेखर आजाद ने जो परिवर्तन दिखाया था, ये सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि मनुष्य जो है उसकी बुद्धि उम्र के अनुसार परिपक्व नहीं होती है बल्कि वह तो शिक्षा दीक्षा, उसका सामाजिक वातावरण, उसके रहने-सहने के ढंग पर निर्भर करती है। यह कहना कि तीस वर्ष के आदमी की बुद्धि परिपक्व हो जाती है कोई भी बुद्धिमान् आदमी इसको मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता। तीस वर्ष के आदमी ऐसे भी हैं जो बिलकुल बुद्धू हैं। जो सोच नहीं सकते कि कुकर्म सुकर्म क्या है? पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। फिर भी यह कहना कि तीस वर्ष के लोग ही म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हों यह तर्क समझ में आने वाला नहीं है। हम २५ वर्ष की अवधि इसलिये लाना चाहते हैं क्योंकि आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, और शिक्षा के तरफ आज की अभिरुचि में मनुष्य २१ वर्ष में पूर्ण शिक्षित हो जाता है और चार वर्ष उसको देश के राजनीतिक वातावरण में अनुभव प्राप्त करने के लिये काफ़ी हैं। तो २५ वर्ष की अवस्था में कोई भी आदमी चेयरमैन हो सकता है म्यूनिसिपैलिटी का, तो मुझे विश्वास है कि ३० वर्ष के आदमी से २५ वर्ष की उम्र के आदमी की अपरिपक्व बुद्धि नहीं होगी। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। अगर आप देखें तो बोर्ड में ३० वर्ष की उम्र से ज्यादा ही लोग आयेंगे यह निश्चित है, क्योंकि जिन वार्ड्स से लोग आयेंगे उनमें रहने वाले लोग उसी आदमी को चुनते हैं अपना प्रतिनिधि, जो उनके लिये लाभदायक सिद्ध हो, जो उनके लिये काम करता हो, जिसकी जनहित की भावना हो। बोर्ड में चुने हुये मेम्बर जब चैयरमैन का चुनाव करेंगे तो वह ३० वर्ष या अधिक का ही होगा, २१ वर्ष के आदमी का नहीं करेंगे, क्योंकि जिसे वह अपनी काबिलियत से ज्यादा या उम्र से ज्यादा न समझेंगे उसका चुनाव वे नहीं करेंगे। अपने से कम उम्र वाले चेयरमैन को पसन्द नहीं करेंगे और हमेशा ऐसी कोशिश करेंगे कि उनसे ज्यादा उम्र का चेयरमैन हो। हमारे देश की परिपाटी भी है कि बूढ़े लोग पढ़े हों या न पढ़े हों, उनके बाल चाहे धूप में ही सफेद हों, अपने से छोटों को वे बच्चा ही समझते हैं और कम पढ़ा लिखा समझते हैं। आप चाहे मंत्री हों या विधान सभा के सदस्य हों, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमें

कम बुद्धिवाला और बच्चा ही समझेंगे। बूढ़े लोग अपने से छोटी उम्र वाले लोगों को अवसर नहीं देना चाहते। इन शब्दों के साथ में यह उचित समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे मान लें, क्योंकि २५ वर्ष की अवस्था मौजूं है।

**श्री अध्यक्ष**—मैं जरा जल्दी करना चाहता हूं ताकि कुछ थोड़ा सा मौका आप लोगों को और विषयों पर बोलने का मिल सके, नहीं तो यह होगा एक दम से बचे हुये प्रश्नों पर राय लेनी होगी अगर उसी पर बहस होती रहेगी। अगर आप अनुचित न समझें तो इस पर अब भाषण न करें। श्री विष्णुदयाल जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

**श्री विष्णुदयाल वर्मा**—जी नहीं।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 43-AA की उपधारा (1) के भाग (b) की प्रथम पंक्ति में शब्द "30 years" के स्थान पर "25 years" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

**श्री जोरावर वर्मा**—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 43-AA की उपधारा (2) की पंक्ति २ में शब्द "board" के बाद "——" हटा कर शब्द "if he——" रख दिया जाय और उसके भाग (a) में से शब्द "if he" हटा दिये जायं, और अन्त में शब्द "under the said section" के बाद शब्द "or" रख दिया जाय।

मैं समझता हूं कि इसमें कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है, यह आवश्यक शब्दावली है और माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

**श्री मोहनलाल गौतम**—मुझे यह दोनों संशोधन स्वीकार हैं, और माननीय जोरावर जी से यह जरूर कहूंगा कि उन्हें मेरे स्वीकार करने से यह भ्रम न हो जाय कि मैं गल्ती कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 43-AA की उपधारा (2) की पंक्ति २ में शब्द "board" के बाद "——" हटा कर शब्द "if he—" रख दिया जाय और इसके भाग (a) में से शब्द "if he" हटा दिये जायं और अन्त में शब्द "under the said section" के बाद "or" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 43-AA की उपधारा (२) के भाग (b) के अन्त में अंक "१९२२" के पश्चात् शब्द "or a notified area" जोड़ दिये जावें। मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के आधार पर यह संशोधन उपस्थित किया है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

**श्री मोहनलाल गौतम**—माननीय अध्यक्ष महोदय अभी तक जैसी परिपाटी रही है उसमें एक म्युनिसिपल कमेटी का मेम्बर या नोटीफाइड एरिया का मेम्बर दूसरी म्युनिसिपैलिटी का प्रेसीडेंट नहीं होता रहा है। यह जरूर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी का भी मेम्बर हो। इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में यह साफ तौर से कर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर प्रेसीडेंट नहीं होगा। लेकिन आशा नहीं की जाती कि नोटीफाइड एरिया का मेम्बर कहीं प्रेसीडेंट होगा क्योंकि दोनों अलग-अलग क्षेत्र हैं और दोनों की वोटर्स लिस्ट अलहदा-अलहदा हैं। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता मालूम नहीं होती। लेकिन कदम जी की राय से मैं सहमत हूं।

**श्री लक्ष्मणराव कदम**—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## खंड ११

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४३—बी का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा ४३—बी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"43-B. (1) No election of the President shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

(2) An electition petition may be presented by any member entitled to vote at the election or by a candidate who has been defeated at the election on one or more of the following grounds, that is to say—

(*a*) that the returned candidate has committed any corrupt practice within the meaning of section 28;

(*b*) that the nomination of any candidate has been worngly rejected, or the nomination of the successful candidate or any other candidate, who has not withdrawn his candidature has been wrongly included;

(*c*) that the result of the election has been materially affected by—

(i) the improper rejection or refusal of a vote, or
(ii) any non-compliance with the provisions of this Act or of any rules or orders made under this Act.

(3) An election petition shall be presented to such officer as the State Government may by notification in the official *Gazette* appoint in this behalf and different officers may be appointed in respect of petitions relating to different municipalities.

(4) If an election petition has not been presented within the time allowed therefore under section 43-C or is not accompained with the requisite court fee or security the officer appointed under sub-section (3) shall reject the petition.

(5) An election petition not rejected under sub-section (4) shall be heard by a Tribunal consisting of one or more civil judicial officer or officers not below the rank of a District Judge to be appointed by the State Government in this behalf."

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 43-B की उपधारा (२) के भाग (*b*) व (*c*) निकाल दिये जांय ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो आगे की 43 (*c*) धारा है उसका संबंध इस 43 (*b*) धारा से है। अभी जब मैं आया तो मुझे मालूम हुआ कि 43 (*c*) पर विचार चल रहा था और मेरे ख्याल से स्थगित हो गया है। लेकिन मैं यह नहीं समझ सका, क्योंकि मैं बाद में आया, कि 43 (*c*) पहले कैसे आ गई ? 43 (*c*) अगर स्थगित हो गई है तो 43 (*b*) को भी स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—४३ स्थगित हुआ है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—जी हां, ठीक है। मेरा विचार गलत था।

अध्यक्ष महोदय, जो पुराना कानून था नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव के संबंध में, उसके अन्तर्गत कोई पेटीशन नहीं हुआ करता था। चुनाव होने के बाद एक मुतफर्रिक प्रार्थनापत्र सरकार के पास हुआ करता था। अब ४३–सी धारा से यह पता चलता है कि रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति होगी, नामीनेशन पर्चे भी फाइल होंगे और उसके बाद यह भी विचार होगा कि पर्चे उचित हैं या नहीं। अगर कोई पर्चा उचित नहीं है, अगर कोई अयोगता है, तो वह खारिज कर दिया जायगा। इसके अलावा ४३–बी में कुछ आधार भी दिये गये हैं जिनके ऊपर पेटीशन हुआ करेगा। उनमें से तीन आधार ये भी हैं कि पर्चा अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया हो। दूसरा पर्चा खारिज होने के कारण यह हो सकता है कि उसका चुनाव के ऊपर मेटीरियल असर पड़ता हो यानी ऐसा असर पड़ता हो कि अगर पर्चा खारिज न होता तो वह उम्मीदवार जीत सकता था। अभी सरकार की तरफ से ऐसा मालूम हुआ कि सरकार ४३–सी को निकालना चाहती है। जैसा कि कि मैंने अभी सदस्यों के पास संशोधन देखा। अगर ४३-सी की धारा निकल जाती है और वह संशोधित रूप में रख दी जाती है तो मैं समझता हूं कि ४३–बी को भी निकल जाना चाहिये। कर्मचारियों से भी बातचीत हुई, उनका कहना है कि उसके कारण उसमें भी काफी परिवर्तन हो जायगा। लेकिन मेरी राय में काफी परिवर्तन ही नहीं ४३–बी निकाल ही दी जायगी। जब इंडाइरेक्ट इलेक्शन हो जायगा तो नामीनेशन का कोई प्रश्न नहीं होगा, चुनाव का कोई प्रश्न नहीं होगा। जब मीटिंग होगी तो उसमें एक सिविल आफीसर आयेगा और उसके सामने जैसा भी तय होगा, बाई हैन्ड या बाई बैलेट वोटिंग हो जायगा। इसलिये इसमें जो पर्चे के बारे में दिया हुआ है उसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब चुनाव इनडाइरेक्ट इलेक्शन्स के द्वारा होंगे तो फिर इस ४३–बी और सी की जो व्यवस्था की गयी है उससे उसका कोई संबंध ही न रहेगा। क्योंकि जो कुछ ४३–बी और सी में है वह इंडाइरेक्ट इलेक्शन्स से कनैश करता है। मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि वह इस पर विचार कर लें। किसी तरह से भी ४३–बी फिटइन नहीं करती है। क्योंकि न तो इस समय चुनाव आफीसर की ही आवश्यकता होगी और न नामीनेशन पेपर्स की ही आवश्यकता होगी। इसीलिये मैं चाहता हूं कि इस बी और सी को हटा दिया जाय। अगर मिनिस्टर महोदय इस सी को हटाना स्वीकार करते हैं तो उसके साथ ही साथ वे यह भी देख लें कि उसके साथ ४३–बी को भी हटा दिया जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्कीम कि इस बिल में पेश की गयी थी, वह एक पूरी तस्वीर थी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुपस्थिति में एक और संशोधन आया था जिस पर वादविवाद मुल्तवी हो गया है कि चुनाव बाई शो ऑफ हैन्ड्स हो। इस वक्त जो स्कीम थी वह यह कि चुनाव सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से होगा। उसमें नामीनेशन भी हो सकता है, रिटर्निंग ऑफीसर भी हो सकता है, पोलिंग भी हो सकता है

[ श्री मोहनलाल गौतम ]

और किसी वक्त किसी का नामीनेशन पेपर रिजेक्ट भी हो सकता है लेकिन इस वक्त दिक्कत यह आ रही है कि जब तक उस खंड का फैसला न हो जाय कि चुनाव ओपिन बैलेट से होगा या सीक्रेट बैलेट से, तब तक इसके संबंध में कुछ कहना मुश्किल होगा।

श्री अध्यक्ष—उस संशोधन को उपस्थित क्यों नहीं कर देते ?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, वह उपस्थित किया जा चुका है लेकिन उसमें कुछ कमियां थीं इसलिये वह कल के लिये मुल्तवी हो चुका है। उसमें कुछ और भी संशोधन आयेंगे। अगर उसमें सदन यह कर देता है कि चुनाव बाई शो आफ हैन्ड्स हो तो एक जुडीशियल आफीसर आकर उसमें प्रीसाइड करेगा। इसलिये अगर वह पास हो जाता है तो यह सब चीज बेकार हो जायगी। न रिटर्निंग आफीसर की आवश्यकता होगी और न नामीनेशन पेपर की आवश्यकता होगी इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि उसके बाद ही उसको लिया जाय तो अच्छा होगा क्योंकि जब तक यह निर्णय न हो जाय कि किस तरह से प्रेसिडेंट का एलेक्शन होगा तब तक उसके पहले और चीजों का फैसला करना मुश्किल होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि उसको भी अगर आपकी आज्ञा हो तो मुल्तवी करना पड़ेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्लाज १२ को ही मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ये तो तीनों कल ले लिये जायेंगे। एक आपत्ति मुझे इस बात की मालूम होती है कि कल १२ बजे से पौन बजे तक समय के हिसाब से सब खतम हो जाना चाहिये। और अगर ये तीनों संशोधन कल के लिये रखते हैं तो आप तीनों कंसिक्वेंशल अमेंडमेंट के बारे में तैयार होकर आवेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—एक स्कीम ऐसी है कि मैं प्रयत्न करूंगा कि दो एक सेट में पूरे हो जायं और दो दूसरे सेट में पूरे हो जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, ऐसी हालत में मैं एक दूसरा प्रस्ताव करना चाहता हूं। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के बनाये गये नियमों के अनुसार मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि चूंकि कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हैं, जिन पर विचार नहीं हो सका है और तीन महत्वपूर्ण क्लाजों पर विचार स्थगित करने का निश्चय हुआ है, इसलिये कल दो घंटे तक सदन द्वारा इस पर विचार हो। बिजनेस कमेटी के नियम के अनुसार अगर सदन चाहे तो किसी विधेयक पर विवाद करने के लिये लीडर आफ दि हाउस की सलाह से समय बढ़ा सकता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी कल ही विचार हो जायगा। पहले आप देख तो लें कि क्या बात है, किस तरह के संशोधन आते हैं, तो फिर उस पर विचार कर लेंगे। मैंने उसकी तरफ इशारा भी कर दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने भी इसीलिये उसकी तरफ इशारा कर दिया।

श्री अध्यक्ष—इस पर राय लेने की जरूरत नहीं है, आज कोई निर्णय नहीं करना है। मैंने आपको सूचित कर दिया कि अगर इस पर समय बढ़ाने का प्रश्न आये तो चाहे तो सदन विचार कर ले। वैसे अगर संशोधन को देख लेंगे तो उसी के हिसाब से होगा।

(इसके बाद खंड ११ का विचार अगले दिन के लिये स्थगित कर दिया गया)

[ * * * * * ]

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से तथा सदन की अनुमति से निकाल दिया गया।

(खण्ड १२ व १३ पर विचार स्थगित किया गया।)

खंड १४

यू० पी० एक्ट २, १९१६ की धारा ४६ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा ४६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"46. The term of office of a President elected in a casual vacancy shall commence from the declaration of his election under the Act and shall be the remainder of the term of the board."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

यू० पी० एक्ट २, १९१६ की धारा ४७-ए का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा ४७-ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"47-A (1) If a motion of non-confidence in the President has been passed by the board and communicated to the President in accordance with the provisions of section 87-A, the President shall resign his office within three days of the sending of the communication.

(2) In the event of failure of the President to resign within the time allowed under sub-section (1), the State Government shall remove him with effect from a date to be specified in the order and any person so removed shall notwithstanding anything in section 43-AA be not eligible for re-election or to fill any casual vacancy occurring before the general elections next following."

श्री ऐजाज रसूल— मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ में प्रस्तावित धारा 47--A के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"47-A. (1) If a motion of non-confidence in the President has been passed by the board and communicated to the President in accordance with the provisions of section 87-A, the President shall, (*a*) within three days of the sending of such communication, either resign his office or represent to the State Government to dissolve the board, stating his reasons therefor.

(*b*) On the expiry of three days after the date of sending of such communication stop acting as president and shall be deemed to be incapacitated from functioning as president within the meaning of section 55.

(2) In the event of failur of the President to act in accordance with the sub-section (1) within the time allowed under that sub-section, the State Government shall remove him with effect

[श्री ऐजाज रसूल]

from a date to be specified in the order and any person so removed shall notwithstanding anything in section 43-AA be not eligible for re-election to fill any casual vacancy occuring before the general election next following.

(3) If a representation has been made in accordance with sub-section (1), the State Government may, after considering the same either ask the President to resign or dissolve the board including the President.

(4) If the State Government ask the President to resign under sub-section (3) he shall within three days of the receipt of the order resign the office of President.

(5) In the event of failure to resign within the time allowed in sub-section (4) the President shall be removed by the State Government and shall not be eligible for re-election at the next election of the President or to fill up any casual vacancy occurring before the next general election of the board.

(6) If the State Government dissolve the board under sub-section (3) the consequences mentioned in section 31-A shall follow as if there had been a dissolution under section 30."

इसका मतलब यह है कि अगर कोई नोकान्फीडेंस रिजोल्यूशन चेयरमैन के ऊपर पास हो गया तो वह चाहे उसके तीन रोज के अन्दर इस्तीफा दे दे और अगर वह गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहे तो तीन रोज के अन्दर अपना केस गवर्नमेंट के पास बोर्ड के खिलाफ भेज दे। लेकिन उसके साथ पाबन्दी यह होगी कि वह केस तो गवर्नमेंट को भेज देगा। लेकिन बहैसियत बोर्ड के प्रेसीडेंट के वह बोर्ड का कोई काम न कर सकेगा। वह समझिये कि अन्डर सस्पेंशन रहेगा, मुअत्तल रहेगा उस वक्त तक जब तक कि गवर्नमेंट फैसला न करे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फैसला यह किया कि बोर्ड गलत है तो बोर्ड के साथ चेयरमैन भी इस्तीफा दे देगा और अगर यह गवर्नमेंट ने फैसला दिया कि चेयरमैन ने गलती की है तो उसको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। यह इसलिये लाया गया कि बिला वजह उसमें पार्टीबन्दी की वजह से या बावजूद इसके कि प्रेसीडेंट ठीक काम कर रहा है वहां कुछ दल बन गये, और कुछ मेम्बर गुट बना कर नो कांफीडेंस का मोशन ले आये, तो उसका ख्याल रखते हुए यह अमेंडमेंट रखा गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसे मंजूर करेगा।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, पहले तो मैं इस पद्धति पर सख्त एतराज करता हूं कि एक अंतिम अवसर पर और इतने महत्वपूर्ण खंड पर विधेयक में एक संशोधन मूव किया जाय और सदन के सदस्यों को बिल्कुल इस बात का अवसर न दिया जाय कि वे संशोधन के पूरे पर्याय को उतनी ही अच्छी तरह समझ लें जितनी कि माननीय मंत्री जी या उनके डिपार्टमेंट वाले समझ सकते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि सवा दो बजे के बाद से, जिस समय से यह सदन दुबारा बैठा है यह एक बीमारी सी चल पड़ी है और लगातार ऐसे संशोधन लाये जा रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप, श्रीमन् देखें कि पहला तो मुझे इस संशोधन पर इसलिये एतराज है कि अभी हमें यह भी पता नहीं चला है कि प्रसीडेंट का एलेक्शन किस प्रकार होगा ? जब तक सभापति का एलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में हमें कोई प्रणाली नहीं मालूम होती तब तक हम इस अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में कोई प्रणाली निश्चित करने लगें यह मुझे उपयुक्त नहीं दिखलायी पड़ता। दूसरी बात जो मुझे इस संशोधन के बारे में कहनी है वह सब से ज्यादा आश्चर्यजनक है। वह यह कि इसमें लिखा है कि पहले अगर प्रेसीडेंट पर अविश्वास का प्रस्ताव होगा तो प्रेसीडेंट तीन दिन के अन्दर या तो इस्तीफा दे देगा या राज्य सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र भेज सकता है कि बोर्ड भंग कर दिया जाय। लेकिन अगर वह चाहे कुछ भी करे, या तो बोर्ड भंग करने के लिये लिखे या इस्तीफा दे। आप देखिये इसकी शब्दावली इस प्रकार है—

"On the expiry of three days after the date of sending of such communication stop acting as president and shall be deemed to be incapacitated....."

श्रीमन्, मैं शब्द incapacitated. पर जोर दे रहा हूं।

"On the expiry of three days after the date of sending of such communication stop acting as President and shall be deemed to be incapacitated from functioning as president within the meaning of section 55."

अब, श्रीमन् incapacitated का अर्थ क्या होता है, यानी अपंगु हो गया है, इन्वैलिड हो गया है। जो आदमी इंन्वैलिड हो जाय, शक्तिहीन हो जाय शारीरिक सेन्स में, शारीरिक दृष्टिकोण से इसके लिये यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है.....

श्री ऐजाजरसूल—आप सेक्शन ५५ पहले पढ़ लीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वह मैंने पढ़ ली है उसमें लिखा हुआ है कि: "In terms of....

तो इसमें यह मतलब है ही नही जो आप कह रहे हैं। उसमें तो उपसभापति के अधिकार बतलाये गये हैं। "Duties of Vice-President.

A Vice-President shall, in the absence of the chairman from a meeting of the board and unless prevented by reasonable cause, preside, regulate the conduct of business and maintain and enforce order at the meeting, and when so presiding may exercise the powers specified."

श्री ऐजाजरसूल—यह किस सन् का है ? मेरे ख्याल में यह गलत सेक्शन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप पढ़ दीजिये मेरी तरफ से।

श्री ऐजाजरसूल—सेक्शन ५५ का बी पढ़िये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—55. (1) A vice-chairman—

(*a*) shall, in the absence of the Chairman from a meeting of the board and unless prevented by reasonable cause, preside, regulate the conduct of business and maintain and enforce order at the meeting, and when so presiding, may exercise the powers specified in section 91 ;

(*b*) shall, during a vacancy in the office of chairman or the incapacity or temporary absence of the Chairman, perform any other duty and, when occasion arised, exericse any other power of the Chairman ;

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो यहां पर incapacity और temporary का अर्थ यह है कि कोई बीमार हो जाय या इन्वैलिड हो जाय। तो यहां पर किस दृष्टिकोण से, किस तरह से किया गया है, तोड़ मरोड़ कर किया गया है कि अगर प्रेसीडेंट ने कोई रिप्रजेन्टेशन किया है तो तीन दिन के अन्दर वह इंवैलिड मान लिया जायगा। अब श्रीमन्, आपसे क्या कहूं कि इस प्रकार का प्रोवीजन रखना इस विधेयक में, इस विधेयक की पुरानी धाराओं की इनसल्ट करना है। और आगे चल कर आप देखें, श्रीमन् इसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लिया जाय प्रेसीडेंट साहब की बात रह गई और राज्य सरकार बोर्ड को डिजाल्व करने की बात सोचे तो इसमें लिखा हुआ है कि—

> "47-A. (4) If the State Government ask the President to resign under sub-section (3) he shall within three days of the receipt of the order resign the office of President."

पहले तो माना जायगा कि प्रेसीडेंट नाकाबिल रहा और बाद में फिर वह इस्तिफा भी देगा। यह कैसी शब्दावली है कि दो-दो प्रोवीजन रखे गये हैं एक ही बारे में ? मैं तो समझता हूं कि इसको आप दुबारा रिफर कर दें और अभी इसको स्थगित कर दें। दोनों एक दूसरे के वरोध में जाती हैं और पुराने विधेयक की धारा ५५ के मानों के बिल्कुल विरोध में हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा मंत्री जी से बजाय इसके कि इसको स्वीकृत करे, इसको स्थगित करके एक दूसरा ड्राफ्ट लायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस लफ्ज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया उसके अर्थ का अनर्थ करके सदन का सारा समय नष्ट हुआ। लीगली जो इनकैपिसिटेटेड होगा, उसका कोई जरूरी नहीं है कि कोई अंग भी भंग हो जाय, और इसलिये जितनी यह सारी दलीलें हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। इस स्कीम में जो है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। अगर समझने में कोई कठिनाई हो तो और जोर दिया जाय। सीधी बात है कि अगर बोर्ड आफ नो कान्फीडेंस हो तो तीन दिन के अन्दर रिजाइन कर दे या गवर्नमेंट को कह दे कि बोर्ड डिजाल्व कर दिया जाय। और जब गवर्नमेंट को लिख दे तो उसके तीन दिन के अन्दर उसका फंक्शन करना खत्म हो जायगा। इसलिये यह किया गया कि अगर रिजाइन करना, और आलटर्नेटिव है गवर्नमेंट को रिफर करने का, तो हर प्रेसीडेंट रिफर कर देगा और महीने दो महीने लग जायंगे और वह काम करता रहेगा। तो यह अच्छा है कि एक प्रेसीडेंट के खिलाफ वोट आफ नो कान्फीडेंस हुआ हो और वह महीनों फंक्शन करता रहे। यह सीधी बात है, इसमें इसलिये जब गवर्नमेंट को लिख देगा तो लिखने के तीन दिन के अन्दर , अगर पहले दिन लिख देगा तो चौथे दिन, दूसरे दिन लिखेगा तो पांचवें दिन उसके अधिकार सब समाप्त हो जायंगे। वह ऐज ए प्रेसीडेंट फंक्शन नहीं कर सकता। यह है बात। तो इसकी कोई भाषा में या इसे समझने में कोई दिक्कत हो, ऐसी कोई बात नहीं मालूम पड़ती।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मतलब हुआ इसका ज़रा यह तो बतलाइए ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसका मतलब यह है कि वह फंक्शन नहीं कर सकता, कोई अधिकार उसको फंक्शन करने का नहीं रहा। यह है इसके माने।

श्री जगन्नाथ मल्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस वक्त भवन के सामने प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि संशोधन है, ठीक उसी किस्म का प्राविजन पिछले ऐक्ट में था जब कि एलेक्शन डाइरेक्ट हुआ करता था। और उस वक्त इस किस्म का नियम रहना ठीक भी था, क्योंकि प्रेसीडेंट जो होता था वह आम जनता के द्वारा चुना हुआ होता था, लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी की बातों से पता चलता है कि अब एलेक्शन इनडाइरेक्ट होगा और जैसा मंत्री जी चाहेंगे वैसा पास करा ही लेंगे, तो ऐसे वक्त में इस किस्म की प्रेसीडेंट को सुविधा देना कि जब उसके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आये तो उसको यह सुविधा रहे कि वह पेटीशन लिख सके सरकार के पास कि पूरा बोर्ड ही सस्पेंड कर दिया जाय, यह मुनासिब नहीं मालूम होता है। और इसके पीछे तो मैं यह समझता हूं कि वह भावना है कि जिस भावना के अनुसार जिस बोर्ड में माननीय मंत्री जी की पार्टी का चेयरमैन है, लेकिन उसकी माइनारिटी है, वहां अगर उस चेयरमैन के खिलाफ़ अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो फिर मंत्री जी यह चाहते हैं कि उस चेयरमैन से पेटीशन लिखवाकर पूरे बोर्ड को ही सस्पेंड कर दिया जाय। मान लीजिये कि किसी बोर्ड में कांग्रेस पार्टी का प्रेसीडेंट है और वहां उसकी माइनारिटी है। मेजारिटी किसी दूसरी पार्टी की है और वह उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाती है तो प्रेसीडेंट को आपने यह अख्तियार दे दिया कि अगर्चे उसके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पेश होता है तो वह गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे कि बोर्ड को ही सस्पेंड कर दिया जाय और फिर यहां से माननीय मंत्री जी पूरा बोर्ड ही सुपरसीड कर दें! तो यह तो कुछ उचित नहीं मालूम होता। अगरचे पिछला जैसा था कि आम चुनाव से प्रेसीडेंट चुना जाता था, तो उस समय तो यह ठीक था। लेकिन अब जैसा कि आप उसको बनाने जा रहे हैं, अगर इस किस्म का आप विधेयक पास कराने जा रहे हैं तो उसमें इस किस्म की धारा का रखना एक बहुत ही खतरनाक बात होगी और उसमें हम समझते हैं कि अपोजीशन पार्टियों को बहुत ही इससे नुकसान होने का भय है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से इस्तदुआ करूंगा कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लें और माननीय मंत्री जी भी माइनारिटी का या और लोगों का ख्याल करते हुए इस तरह का एक ज़बर्दस्ती का संशोधन जो आया है उसे कबूल न करें।

श्री नवलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, जो संशोधन उपस्थित किया गया है, उसका समर्थन करता हूं। इसके विरोध में सब से बड़ी बात यह कही गई कि कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि कांग्रेस सरकार की ऐसी नीयत है कि जहां कहीं उसका प्रेसीडेंट हो। और उसके साथ मेजारिटी न हो। और वह मेजारिटी यदि उसके खिलाफ नो कान्फिडेंस का मोशन ले आये तो प्रेसीडेंट इससे फ़ायदा उठाकर सरकार को लिख सकता है और सरकार बोर्ड को डिज़ाल्व कर सकती है। मैं समझता हूं कि अगर इसको हम थोड़ी देर के लिये मान भी लें तो इसका असर क्या होगा? असर यह होगा कि अगर वे बोर्ड को डिजाल्व किया तो नये सिरे से बोर्ड का चुनाव होगा। पिछले डिबेट के दौरान में यह कहा गया था जब कि यह सवाल था कि प्रेसीडेंट का चुनाव कैसे हो, तो यह था कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाय तो बोर्ड को डिज़ाल्व कर दिया जाय। तो उसमें भी फिर से नया चुनाव होगा। इससे भी वही चीज़ पैदा होती है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि कोई भय या आशंका की बात इसमें नहीं है। अमूमन जब इन्डाइरेक्ट चुनाव होगा तो गुटबन्दी होगी। अक्सर यह देखा गया कि छोटी-छोटी बातों पर नो कांफ़िडेंस का मोशन चेयरमैन के खिलाफ़ आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मेम्बर ने कहा कि हमारे फलां आदमी को आप न नौकरी दे दीजिये, और चेयरमैन किसी वजह से उसको नौकरी न दे सका, तो इसी बात के ऊपर उस पर नो कांफ़िडेंस का मोशन आ जाता है। या कोई

[श्री नवल किशोर]

मामूली किसी मास्टर के ट्रांसफ़र, या उसके डिसमिसल के ऊपर भी चेयरमैन के खिलाफ नो कांफिडेंस का मोशन आ जाया करता है। श्रीमन् मैं क्या बताऊं, अफसोस होता है अभी हाल में एक वाक्या हुआ। आन्ध्र सरकार के खिलाफ़ जो नो कांफिडेंस का मोशन आया उसके सम्बन्ध में जब मैंने वहां के डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ा तो मालूम हुआ कि किसी थानेदार को वह रीइंस्टेट नहीं कर सके थे उसकी वहज से वह नो कांफ़िडेंस का मोशन आ गया। तो जब ऐसी जहनियत हो हमारी तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अंकुश हमारे मेम्बर सहाबान पर भी होना चाहिए कि वह छोटी-छोटी बातों पर नो कांफिडेंस मोशन न लायें। यह जो अमेंडमेंट आया है यह सिर्फ एक अंकुश है कि उनको भी इस बात का भय रहे कि यदि हम छोटी-छोटी बातों पर नो कांफ़िडेंस मोशन लायेंगे तो सरकार को इस किस्म का अधिकार होगा कि अगर इस किस्म का रिप्रिजेंटेशन उसके पास जाएगा, और वह समझेगी कि मेम्बर ने जबरदस्ती की है तो वह सारे बोर्ड को सस्पेंड कर देगी। तो जब मेम्बर साहबान यह समझेंगे कि नो कांफिडेंस के साथ-साथ उनको भी हटना पड़ेगा तो वह शायद मामूली बातों पर नो कांफिडेंस मोशन न लायेंगे। इससे बोर्ड के लिए ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह अमेंडमेंट लाया गया है और इसके पीछे कोई किसी किस्म की नीयत की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जिन माननीय साथियों को इससे किसी प्रकार का भय या आशंका है, वह उस भय को दूर कर देंगे और इसको ठीक रोशनी में समझकर इसका समर्थन करेंगे।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय सदस्य नें सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह एक ऐसा संशोधन है जिसके सम्बन्ध में सदन के बाहर स्थितियों का ध्यान रखने के कारण विरोध करने का साहस होता है। प्रश्न यह है कि यदि किसी पार्टी का चेयरमैन किसी म्युनिसिपल बोर्ड का हो जाता है और उस चेयरमैन के समर्थक, उसके सहयोगियों का सदन में बहुमत हो रहा है, तो फिर इस अवसर पर यह लाज़मी है कि चेयरमैन के खिलाफ जहां नो कानफ़िडेंस मोशन मूव हुआ और चेयरमैन....

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ दिसम्बर, १९५४

गो० एस० यू० पी० ए० पी० २७६ एल० ए०—१९५५—८००।